

# 65<sup>TH</sup> ANNUAL REPORT 2024-25

६५ वां  
वार्षिक रिपोर्ट  
२०२४-२५



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL  
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक  
महासंघ मर्यादित**

## Board of Management

(As of 1st August 2025)

## प्रबन्धन मंडल

( 9 अगस्त 2025 तक)

**Shri Dolar V. Kotecha**, Chairman

(Chairman, Gujarat SCARDB)

**श्री डोलर व. कोटेचा**, अध्यक्ष

(अध्यक्ष, गुजरात एससीएआरडीबी)

**Shri K. Ravinder Rao**, Vice Chairman

(Director, Telangana SCAB)

**श्री के. रविन्द्र राव**, उपाध्यक्ष

(निदेशक, तेलंगना एससीबी)

**Dr. Moinul Hassan**, Ex-MP, Vice Chairman

(Special Officer, West Bengal SCARDB)

**डा मोइनुल हसन**, भूतपूर्व सांसद, उपाध्यक्ष

(विशेष अधिकारी, पश्चिम बंगाल एससीएआरडीबी)

**Dr. A.R. Shivaram**, Vice Chairman

(Director, Karnataka SCARDB)

**डा ए. आर. शिवराम**, उपाध्यक्ष

(निदेशक, कर्नाटक एससीएआरडीबी)

**Shri Pawan Kumar Tinnu**, Vice Chairman

(Chairman, Punjab SCARDB)

**श्री पवन कुमार टिनु**, उपाध्यक्ष

(अध्यक्ष, पंजाब एससीएडीबी)

**Dr Bijender Singh**

President, Delhi SCB

**डा बिजेन्द्र सिंह**

अध्यक्ष, दिल्ली एससीबी

**Shri G. Harisankar**

Convenor-Administrative Committee, Kerala SCARDB

**श्री जी हरीशंकर**

संयोजक-प्रशासनिक समिति, केरल एससीएआरडीबी

**Shri Bijay Kumar Singh**

Director, Multi State Coop. Land Dev. Bank Ltd.  
(Bihar - Jharkhand)

**श्री बिजय कुमार सिंह**

निदेशक, बहुउद्देशिय एससीएलडीबी  
(बिहार-झारखण्ड)

**Shri Dalip Singh Yadav**

Director, Haryana SCARDB

**श्री दलीप सिंग यादव**

निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी

**Shri M. Murugan**

Managing Director, Tamil Nadu CSARDB

**श्री एम. मुरुगन**

प्रबंध निदेशक, तमिलनाडू सीएसएआरडीबी

**Shri W.K. Kyndiah**

Chariman, Meghalaya CAB

**श्री डब्ल्यू. के. किन्द्या**

अध्यक्ष, मेघालया सीएबी

**Shri Sanjay Singh Chauhan**

Chairman, H.P. SCARDB

**श्री संजय सिंग चौहान**

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश एससीएआरडीबी

**Shri K.K. Ravindran**

Managing Director

**श्री के. के. रविन्द्रन**

प्रबन्ध निदेशक

# ***SIXTY FIFTH ANNUAL REPORT 2024-25***



## **NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED**

703A, BSEL Tech Park, 7th Floor, A-wing, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station  
Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 40004969 / 40004970 • Fax : (022) 2781 4223

E-mail : [nafcard.org@gmail.com](mailto:nafcard.org@gmail.com) / [ncardbf.org@gmail.com](mailto:ncardbf.org@gmail.com) • Website : [www.nafcard.org](http://www.nafcard.org)

**NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE &  
RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION**

**NOTICE**

Notice is hereby issued to conduct the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2025 **at 12.30 PM on Tuesday, 22nd July 2025 in the Board Room, National Cooperative Union of India, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi 110016** to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 29th August 2024 in the Board Room of Gujarat SCARDB, Ahmedabad.
2. Consideration of Audited statement of Accounts for the year 2024-25.
3. Disposal of surplus for the year 2024-25.
4. Consideration of the Audit report for the year ended 31.03.2025.
5. Consideration of Audit Compliance Report for 2024-25.
6. Consideration of Annual Report for the year 2024-25.
7. Appointment of Auditors for the year 2025-26 and fixing audit fees.
8. Consideration of Annual Budget for the year 2026-27.
9. Ratification of Payment of Sitting Fees to Board Members for attending Board Meetings.

Please make it convenient to attend the meeting.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

**By Order of the Board of Management**

**Place :** Navi Mumbai  
**Date :** 27<sup>th</sup> June 2025

Sd/-  
**(K.K. Ravindran)**  
**Managing Director**

## BOARD OF MANAGEMENT

(As of 1st August 2025)



**Shri Dolar V. Kotecha**  
Chairman



**Shri K. Ravinder Rao**  
Vice Chairman



**Dr. Moinul Hassan**  
Vice Chairman



**Dr. A. R. Shivaram**  
Vice Chairman



**Shri Pawan Kumar Tinu**  
Vice Chairman



**Dr Bijender Singh**  
President, Delhi SCB



**Shri Bijay Kumar Singh**  
Director, Multi SCLDB



**Shri Waibha K. Kyndiah**  
Chairman, Meghalaya CAB



**Shri Sanjay Singh Chauhan**  
Chairman, HPSCARB



**Shri Dalip Singh Yadav**  
Director, Haryana SCARB



**Shri K.K. Ravindran**  
Managing Director

## MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Executives  
(As of 1st August 2025)

### Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar - Jharkhand)



Smt. Mamta Singh  
Chairperson



Dr. Kaushlendra Singh  
Managing Director

### Delhi State Co-operative Bank Ltd.



Dr. Bijender Singh  
President



Shri R.K. Kadyan  
Managing Director

### Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Dolar V. Kotecha  
Chairman

### Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Amar Pal Rana  
Chairman



Shri Naresh Goyal  
Managing Director

### Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Sanjay Singh Chauhan  
Chairman



Dr. Harish Gajju (HAS)  
Managing Director

### Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Mohammad Aslam Bhat  
Managing Director

### Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri K. Shadakshari  
President



Shri Prasanna Kumar V.K.  
Managing Director

### Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Shri G. Harisankar  
Convener - Administrative  
Committee



Shri T.V. Subhash, IAS  
Managing Director

### Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Waibha K. Kyndiah  
Chairman



Shri Osmand E.J. Nongbri  
Managing Director

### Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.



Shri Pawan Kumar Tinu  
Chairman



Smt. Barjinder Kaur Bajwa  
Managing Director

### Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.



Shri Sandeep Khandelwal  
Administrator



Shri Jitendra Prasad  
Managing Director

### Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri M. Murugan  
Managing Director

## MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Executives  
(As of 1st August 2025)

### Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Marneni Ravindar Rao  
Chairman



Shri Yadla Krishna Rao  
Managing Director

### Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.



Shri Santraj Yadav  
Chairman



Shri Rajesh Kumar Kulashretha  
Managing Director

### West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Dr Moinul Hassan, Ex-MP  
Special Officer



Shri Chinmoy Gupta  
Managing Director

### Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

General Manager :  
Shri Radha Mohan Debbarma, ARCS

### Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.

Chairman : S. Murali  
Managing Director : K. Maran

### Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Chairman : Shri Ananda Bhuban Das  
Managing Director : Shri Ghana Pegu

### Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.,

Liquidator :

## ECONOMIC SCENE

India is set to dominate the global economic landscape maintaining its status as the fastest growing major economy for the next 2 fiscal years. The January 2025 edition of the World Bank's Global Economic Prospects (GEP) report projects India's economy to grow at a steady rate of 6.7% in both financial year 2026 & 2027 significantly outpacing the global average growth rate of 2.7% projected for the next 2 years. The World Economic Outlook report of IMF has also reinforced India's strong economic trajectory. The IMF forecasts India's growth to remain robust at 6.5% for both year 2025 and 2026. This consistent growth outlook reflects India's stable economic fundamentals and its ability to maintain momentum despite global uncertainties. The continued strength of India's economic performance, as projected by both the World Bank and IMF, underscores the country's resilience and highlights the sustained strength of economic fundamentals, making India a crucial player in the global economic landscape.

The Economic survey for 2024-25 estimates India's GDP growth for FY 2025 at 6.4% against projected global growth rate of 3.2% in the next 5 years. The real GDP growth in FY 2026 is expected to grow between

6.3 and 6.8%, keeping in mind the upsides and downsides to growth. While the thrust on grassroot level structural reforms and deregulation have positive impact on growth, geopolitical tensions, ongoing global conflicts and global trade policy risks continue to pose significant challenges to growth. The data on external sector shows that India's merchandise exports grew by 1.6% in April to December 2024 while imports rose by 5.2%. Retail inflation has come down from 5.4% to 4.9% in April to December 2024. The continuous increase in capital expenditure is another positive trend contributing to the growth.

The share of services sector in GDP has risen from 50.56% in FY 2014 to 55.3% in 2025 with an average annual growth rate of 8.00% in the pre-pandemic years (2013-2020) and at 8.3% in post-pandemic period (2023-2025). The industrial sector which contributes about 29.00% of GDP is expected to grow by 6.2% in 2025. The agriculture and allied activities which contribute approximately 16% of GDP is projected to grow by 3.8%. In agriculture, the fisheries sector has shown the highest compound annual growth rate of 8.7% followed by livestock with compounded growth rate of 8%.

## AGRICULTURE 2024-25

The agriculture sector which contributes 16% of India's Gross Value Addition (GVA) in 2025 is the bedrock of the nation's economy. Despite challenges posed by global health crisis and variability in climate conditions, the sector demonstrated remarkable tenacity and resilience, contributing significantly to India's economic recovery and development. The sector grew at a higher average annual rate of 3.7% from FY 2015 to FY 2023 compared to 3.4% from 2025 to 2014. The real GVA of agriculture and allied sector has been estimated to grow by 3.8% during 2025 compared to 1.4% in 2024.

The total food grains production estimated for 2025 is 330.8 million tonnes, marking a rise of 1.1 million tonnes compared to the previous year and falling short

marginally from the record production of 332.29 million tonnes in 2023-24. High-value sectors like horticulture, livestock and fisheries have become key drivers of overall agricultural growth. Kharif food grain production for 2024 is expected to reach 1647.05 lakh Metric Tonnes (LMT), an increase of 89.37 LMT from the previous year. For the fiscal year 2024-25, the MSP for Arhar and Bajra has been increased by 59% and 77% over the weighted average cost of production, respectively. The fisheries sector registered the highest compound annual growth rate (CAGR) of 8.7%, followed by livestock with a CAGR of 8%.

### Policy Initiatives in Agriculture Sector

Agriculture being a State subject, Govt of India supports the efforts of the State through appropriate

policy measures and budgetary allocations under various schemes. The objectives of these schemes are enhancing welfare of farmers by increasing production, ensuring remunerative returns and income support.

One notable intervention among these, is the consistent increase in Minimum Support Prices (MSPs) for 22 Kharif and Rabi crops. Since the agricultural year 2018-19, the government has ensured a minimum of 50% margin over the all-India weighted average cost of production for each crop covered under MSP. This price support also aims to reduce India's import dependence and foster diversification towards pulses, oil, and commercial crops

The policy initiatives, such as Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY), Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), have played a pivotal role in providing financial and income support to farmers. PM-KISAN, launched in 2019, supplements the financial needs of small and marginal landholding farmers by transferring ₹6,000 per year in three equal four-monthly instalments. Till February 2025, 3.5 lakh crore have been transferred to nearly 100 million small holder farmers. Additionally, the government provides pension benefits to 24.66 lakh small and marginal farmers enrolled under the PM-KMY.

The following are the other major initiatives of Govt of India in the agriculture sector.

- **Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY):** This crop insurance scheme protects farmers from losses due to various crop-related risks.
- **Kisan Credit Card (KCC):** The scheme provides access to credit for agricultural activities, and the number of KCCs has been significantly increased.
- **Minimum Support Price (MSP) Enhancement:** The government regularly revises the MSP for various crops, ensuring farmers receive a guaranteed minimum price for their produce.

#### **Technology & Infrastructure Development:**

- o **Agriculture Infrastructure Fund (AIF):** This fund aims to improve post-harvest

management and strengthen the agricultural infrastructure.

- o **National Agriculture Market (e-NAM):** This platform provides farmers with direct access to national markets and facilitates online trading of agricultural products.
- o **Digital Platform for Farm Mechanization and Technology:** This initiative promotes the adoption of technology and mechanization in farming practices.
- o **National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA):** This mission focuses on sustainable agriculture practices and promotes resource-efficient technologies.

#### **Other Important Initiatives:**

- o **Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):** This scheme aims to increase the irrigation capacity of the country.
- o **National Beekeeping and Honey Mission (NBHM):** This mission aims to promote beekeeping and honey production.
- o **Seed Authentication, Traceability and Holistic Inventory (SATHI):** This initiative ensures the quality and traceability of seeds.
- o **Agri Stack Portal:** This portal provides a centralized platform for accessing information and services related to agriculture.

While the agriculture sector has performed well consistently, continuous innovation in farming practices, crop variety improvements, and technology adoption are essential to meet the growing demands for diversified and nutritious food baskets. Further, policy consistency and continuity that expand market and production choices for farmers, which, at the same time, keep the larger environmental and ecological considerations and natural resources availability and demand in the country, will be useful in encouraging farmers to adopt new technologies and practices.

#### **'SAHAKAR-SE-SAMRIDDI- MAJOR INITIATIVES OF THE MINISTRY OF COOPERATION**

The Ministry of Cooperation under the visionary

leadership of Shri Amit Shah as the first Cooperation Minister of the country since its formation in 6th July 2021 has taken more than 50 major initiatives so far to realise the vision of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi 'Sahakar-se-Samridhhi'. These initiatives are listed under 33 major heads as below.

### **1. Model Bye-Laws for making PACS Multipurpose**

The Model Byelaws is a major initiative to convert PACS to multipurpose societies catering to the entire credit and noncredit needs of rural population. This will increase the sources of income of PACS/LAMPs and create new employment opportunities in more than 25 new sectors like dairy, fisheries, storage, etc. 32 States/Union Territories have already adopted the Model Byelaws of PACS and the process of implementation of Model Byelaws is underway in the remaining States/Union Territories.

### **2. Strengthening of PACS through Computerization**

To enhance the efficiency of PACS, computerization of PACS/LAMPs has been started. Total 67,930 functional PACS/LAMPs are being linked with NABARD through a single National Software Network.

### **3. Establishment of Multipurpose PACS / Dairy / Fisheries Cooperative Societies in every Panchayat/Village**

The Union Cabinet in February 2023 approved the Scheme for setting up 2 lakh new Multi-purpose PACS/Dairy/Fisheries Cooperative Societies in the Panchayats/Villages not covered so far, in the next 5 years. The scheme is currently under implementation in 23 States/UTs.

### **4. World's largest Decentralized Grain Storage Program in Cooperative sector to ensure food security**

The Govt in May 2023 approved the World's largest food storage scheme in the cooperative sector. Under this scheme, different types of agricultural infrastructure such as godowns, custom hiring centres, processing units, fair price shops etc. will be created by convergence of various schemes of the Government of India at the PACS level.

### **5. PACS as Common Service Centres (CSCs) for better access to e-Services**

An MoU has been signed on 02.02.2023 between Ministry of Cooperation, Ministry of Electronics and Information Technology, NABARD and CSC e-Governance Services India Limited for providing CSC services through PACS, after which PACS have now become capable of providing more than 300 E-services provided by CSC.

### **6. Formation of new Farmer Producer Organizations (FPOs) by PACS**

Under the FPO scheme, it has been decided to allot 1100 additional FPOs to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) in cooperative sector. Now, PACS will be able to do other economic activities related to agriculture as FPOs. This initiative will also be helpful in providing the members of the cooperative societies with the necessary market linkage to get fair and remunerative prices for their produce.

### **7. Eligibility of PACS for LPG Distributorship**

On the initiative of Ministry of Cooperation, the Petroleum Ministry has amended its rules to make PACS eligible for LPG distributorship, after which PACS will also be able to distribute LPG. Guidelines have been issued for obtaining LPG distributorship by PACS.

### **8. PACS as Jan Aushadhi Kendra for access to generic medicines at Rural level**

Based on the suggestion of MoC, the Ministry of Chemicals and Fertilizers has decided to open Jan Aushadhi Kendras by PACS/Cooperative Societies with drug licenses from State Drug Controllers. Based on the initiative of MOC, the Ministry of Chemicals and Fertilizers shall open Jan Aushadhi Kendras by PACS/Cooperative Societies with drug licences from State Drug Controllers, at village/block level.

### **9. PACS as Pradhan Mantri Kisan Samridhi Kendra (PMKSK)**

The Ministry of Chemicals and Fertilizers decided to upgrade the PACS already functioning as fertilizer distribution centres as Pradhan Mantri Kisan Samridhi

Kendras (PMKSK). It was also decided to make PACS act as drone entrepreneurs for spraying fertilizers and pesticides. Additionally, drones can also be used for property surveys. This will create new business opportunities for PACS and increase their profits. As per information provided by States/UTs, 36,180 PACS in 22 States/UTs have been upgraded to PMKSK, remaining are in progress.

#### **10. Micro-ATMs to Bank Mitra Cooperative Societies with the help of NABARD**

Dairy and Fisheries cooperative societies have also been made Bank Mitra of District Central Cooperative Banks and State Cooperative Banks. To ensure their ease of doing business, transparency and financial inclusion, Micro-ATMs are also being given to these Bank Mitra Co-operative Societies with support from NABARD to provide 'Door Step Financial Services'.

#### **11. Rupay Kisan Credit Card to Members of Cooperative Societies**

A Pilot project has been started in Panchmahal and Banaskantha districts of Gujarat to expand the reach and capacity of Rural Co-operative Banks and to provide necessary liquidity to the members of rural Co-operative Societies.

#### **12. PACS as Paani Samiti**

In order to utilize the reach of PACS in rural areas, on the initiative of the Ministry of Cooperation, Ministry of Jal Shakti has written a Letter to all the States to make PACS eligible as 'Paani Samiti' to undertake the work of Operation and Maintenance (O&M) of Piped Water Supply schemes in rural areas.

#### **13. Convergence of PM-KUSUM Scheme at PACS Level**

The structure and reach of PACS, which have direct linkage with 13 Crore farmer members, is proposed to be leveraged to set up decentralized solar power plants at the Panchayat level.

#### **14. Formation of Fish Farmer Producer Organisation (FPPO)**

In order to provide market linkage and providing processing facilities to the fishermen, NCDC has

registered 69 FPPOs in the initial phase. Department of Fisheries, Government of India has further allocated conversion of 1000 existing fisheries cooperative societies into FPPOs to NCDC, with an approved outlay of ₹225.50 crore.

#### **15. Three new Multi-State Cooperative Societies at the National level**

Under the guidance of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and leadership of Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah, the Ministry of Cooperation constitutes the following three new Multi-State Cooperative Societies for Exports, Certified Seed and Organic Products.

##### (i) New National Level Multi-State Cooperative Society for Exports

Under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, a new National Cooperative Exports Limited (NCEL) has been set up as an Umbrella organization to promote exports from the cooperative sector. Cooperative societies from Primary to National level including District, State, National Level Federations and Multi-State Cooperative Societies can become its members.

##### (ii) New National Level Multi-State Cooperative Society for Certified Seeds

Under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, a new Bhartiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSSL) has been set up as an Umbrella organization for cultivation, production and distribution of improved seeds under a single brand name. Cooperative Societies (Primary, District, State level) of States/Union Territories can become its members. This Society will increase availability of improved seeds to the farmers, boost productivity of crops and enhance the income of the farmers.

##### (iii) New National Level Multi-State Cooperative Society for Organic Farming

The National Cooperative Organics Limited (NCOL) has been established under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 as an Umbrella organization which will work for production, distribution and marketing of certified and authentic

organic products. Primary to National level cooperative societies including District, State, National Level Federations, Multi-State Cooperative Societies, and Farmer Producer Organizations (FPOs) can become its members. This will increase production of organic products and increase the profit of the farmers.

## **16. Relief in Income Tax law for Cooperative Societies**

### (i) Reduction in surcharge on Income Tax for Cooperative Societies

Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah has made untiring efforts with the objective of bringing parity between cooperative sector and companies. The surcharge on Income Tax for Cooperative Societies with income from ₹1 Crore to ₹10 Crore has been reduced from 12% to 7% at par with Companies. This will reduce the burden of Income Tax on Cooperative Societies and more capital will be available with the societies to work for the benefit of the members.

### (ii) Reduction in Minimum Alternate Tax (MAT) on Cooperative Societies

The Minimum Alternate Tax rate for Cooperative Societies has been reduced from 18.5% to 15%. With this provision, now there is parity between Cooperative Societies and Companies in this regard. This will strengthen cooperative societies and Cooperative Sector will expand.

### (iii) Increase in limit of Cash Deposits and Cash Loans by PACS and PCARDBs

The limit for Cash Deposits and Cash Loans by PACS and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs) has been increased from ₹20,000 to ₹2 lakh per member. This provision will facilitate their activities, increase their business and benefit the members of societies.

### (iv) Tax cut for new manufacturing Cooperative Societies

New manufacturing cooperative societies commencing manufacturing operations by March 31,

2024, will be taxed at a flat rate of 15% as against the existing tax rate of up to 30% with surcharge. With this provision, now there is parity between Cooperative Societies and companies in this regard. This will encourage the formation of new cooperative societies in the manufacturing sector.

### (v) Increase in the limit of Tax Deducted at Source (TDS) in Cash Withdrawal

Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and the guidance of Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah Union Government through the Budget 2023-24, has increased the cash withdrawal limit of cooperative societies without deduction of tax at source from ₹1 crore to ₹3 crore per year. This provision will save Tax Deducted at Source (TDS) for cooperative societies, which they will be able to use to work for the benefit of their members.

### (vi) Relief in cash transactions under section 269ST of the Income Tax Act

The Income Tax Department has issued a circular making it clear that now the 'Contract' made by cooperative societies with their distributors will not be considered as 'one event'. With this clarification, cash transaction less than 2 lakhs done by a cooperative society with its distributor in a day will be considered separately, and they will not be charged with income tax penalty. With this, State and District milk unions will now be able to receive payment less than ₹2 lakh per day in cash from their distributors and do payment in cash to member milk producers during Bank holidays.

## **17. Computerisation of Central Registrar's office**

The office of the Central Registrar is responsible for administering the Multi State Co-operative Societies (MSCS) Act, 2002. The office of the Central Registrar is being computerized to create a digital ecosystem for Multi-State Cooperative Societies. This will help in processing applications and service requests in a time bound manner through electronic work flow at the Central Registrar's Office. It will have provisions for OTP based user registration, verification check for

compliance with MSCS Act and Rules, hearing through VC, issue of registration certificate and other communication, electronically. Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah inaugurated this digital portal on August 06, 2023.

### **18. The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023**

The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023 aims to amend Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 to incorporate the provisions of the 97th Constitutional Amendment and to strengthen governance, increase transparency, increase accountability, improve election process, etc in Multi State Cooperative Societies. This Bill was introduced in the Lok Sabha on December 7, 2022, and was referred to a Joint Parliamentary Committee of both the Houses on December 20, 2022. The Bill has been passed by the Lok Sabha on July 25, 2023 and by the Rajya Sabha on August 01, 2023. The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023 has come into force from 3rd August, 2023.

### **19. Revival of Cooperative Sugar Mills**

#### (i) Relief from Income Tax to Cooperative Sugar Mills

Cooperative Sugar Mills will not have to pay additional income tax on payment of higher sugarcane prices to farmers up to the fair and remunerative price or the State advised price. With this provision, Cooperative Sugar Mills will now be able to give higher price of sugarcane to their members and they will get income tax deduction on this higher expenditure. According to the clarification issued on 25.10.2021, this provision is applicable from 01.04.2016 and since then, farmer members are getting this benefit through cooperative sugar mills.

#### (ii) Resolving decades old pending issues related to income tax of Cooperative Sugar Mills

A new sub-section 19(1) has been included in Section 155 of Income Tax, by which the payments made by cooperative sugar factories to sugarcane farmers before 2016-17 will be treated as expenditure. As per report given by National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited this has benefitted

cooperative sugar mills to the tune of ₹46,524 crore, thus resolving decade pending Income Tax issues.

(iii) Constituting a Special Fund with a corpus of ₹10,000 crore in NCDC for strengthening Cooperative Sugar Mills, ethanol procurement by Ministry of Petroleum from Cooperative Sugar Mills at terms on par with private mills, reduction of GST from 28% to 5% on molasses which will increase demand for molasses from Cooperative Sugar Mills, etc are other supports given to Cooperative sugar sector at the initiative of Ministry of Cooperation

### **20. Redressal of Difficulties faced by Cooperative Banks**

At the intervention of Shri Amit Shah, Hon'ble Union Cooperation Minister, several difficulties faced by cooperative banks in their business are now resolved. Issues in opening new branches, implementing OTS Schemes, enhancing housing loan limit, lending to commercial real estate sector, issuing collateral free loans to cooperatives, onboarding in 'Aadhaar enabled payment system', relaxation in the scheduling norms for Urban Cooperative Banks (UCBs), RBI approval for Umbrella Organisation for UCBs etc., are some of the additional facilities extended to Cooperative Banks at the intervention of the Ministry of Cooperation.

### **21. Expansion of National Cooperative Development Corporation (NCDC)**

#### (i) New schemes for Cooperative Societies started by NCDC

New schemes for Cooperative Societies have been started by NCDC in various sectors such as 'Swayamshakti Sahakar' for self-help groups; 'Dirghavadhi Krishak Sahakar' for long term agricultural credit; 'Dairy Sahakar' for dairy and 'Nandini Sahakar' for women's cooperative institutions etc.

#### (ii) Financial Assistance by NCDC for Deep Sea Trawlers

NCDC is providing financial assistance for projects related to deep sea trawlers in coordination with the Department of Fisheries, Government of India. NCDC has already sanctioned financial assistance of ₹20.30

crore for purchase of 14 deep sea trawlers for the Fisheries Cooperative Societies of Maharashtra.

**22.** The Cabinet has approved Cooperative Societies to be registered as 'Buyer' on Government e-Marketplace (GeM) on 1st June, 2022. Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah e-launched the on-boarding of Cooperative Societies on the GeM Portal on 09 August 2022 in New Delhi. Cooperative Societies will now be able to buy from around 60 lakh authentic sellers/service providers available across the country on the single platform of GeM.

### **23. Formulation of New National Cooperation Policy**

In order to realize Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of 'Prosperity through Cooperation', Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah has decided to formulate a new Cooperation Policy in the country. A Multidisciplinary and National level committee consisting of 49 members comprising experts and stakeholders from different States and across the Country has been constituted under the leadership of former Union Minister Shri Suresh Prabhu to formulate the New Cooperation Policy. So far, 17 meetings of the Expert Committee have been held, during which detailed discussions were held with the stakeholders and the new National Cooperation Policy is expected to be ready soon.

### **24. New National Cooperative Database**

The MOC is in the process of building up authentic and updated National Cooperative Database in a phased manner with the assistance of State Governments. Under the First Phase, mapping of about 2.64 lakh societies of PACS, dairy and fisheries was completed. In the Second Phase, mapping of National Cooperative Societies and Federations was completed. So far, in the last phase, about 8.19 lakh cooperative societies have been included in the database.

### **25. Establishment of Cooperative University**

At the initiative of Ministry of Cooperation, the Parliament has passed the 'Tribhuvan Sahakari University Bill' on 1st April 2025. The Act seeks to set up the national Cooperative University at Anand, Gujarat.

IRMA will be dissolved and become one of the Schools of the Tribhuvan University with autonomous status. The objectives of the Tribhuvan Sahakari University include making available qualified and skilled manpower to meet the needs of the cooperative sector and to provide training, education and capacity building to the employees and board members of cooperatives.

### **26. Promotion of training and awareness through NCCT**

The National Council for Cooperative Training (NCCT), an autonomous institute under the Ministry of Cooperation, organizes cooperative education and training programs for personnel, members and board members of Cooperative Societies across the country, including personnel from Cooperative Departments of States/UTs.

### **27. Computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs)**

To strengthen the Long-term Cooperative Credit Structure, the Ministry of Cooperation has approved a Centrally Sponsored Scheme for Computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs). It will have various components such as hardware procurement, comprehensive Enterprise Resource Planning (ERP) solutions, digitization, providing training and support, and maintenance of software, etc. 25% of the expenditure incurred in this scheme will be borne by the ARDBs and the remaining 75% by the Central and State governments. Computerization will provide various benefits to ARDBs, such as increased efficiency, faster loan disbursement, reduced transaction costs, increased transparency and lower imbalances of payments, etc.

### **28. Scheme for computerization of office of Registrar of Cooperative Societies in States/ Union Territories**

To increase ease of doing business for Cooperative Societies and create a digital ecosystem for transparent paperless regulation in all States/Union Territories, Ministry of Cooperation has approved a Centrally Sponsored Scheme for computerization of

offices of Registrar of Cooperative Societies of all States/UTs. The software developed under this scheme will be based on the Cooperative Act of the respective State/UT.

### **29. White Revolution 2.0**

Ministry of Cooperation, Government of India, has launched a new initiative of 'White Revolution 2.0' with the aim of enhancing employment, promoting women's empowerment and improving milk production through cooperative societies. The key objectives of this initiative are 50% increase in procurement of milk by dairy cooperatives, providing market access to dairy farmers in areas that have not yet been covered by the organized dairy sector and promoting the share of dairy cooperative societies in the organized dairy sector. Ministry of Cooperation, in collaboration with the National Dairy Development Board (NDDB), has prepared and launched an SOP on 19th September, 2024 to guide the effective implementation of this initiative.

### **30. Atmanirbharta Abhiyan**

Ministry of Cooperation has launched the initiative to incentivize production of pulses (tur, masur and urad) to reduce dependency on imports, and production of

maize to be used for production of ethanol for meeting the goal of Ethanol Blending Programme (EBP). National Cooperative Consumer Federation (NCCF) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED) are the central nodal agencies under this initiative.

### **31. Refund to Investors of Sahara Group of Societies**

The Ministry of Cooperation filed a Petition in the Hon'ble Supreme Court based on which the Hon'ble Supreme Court vide order dated 29.03.2023, directed to transfer ₹5000 crore from Sahara-SEBI refund account to the Central Registrar of Co-operative Societies for disbursement of valid dues of the depositors of 4 Cooperative Societies of Sahara Group (Sahara Credit Cooperative Ltd., Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd., Hamara India Credit Cooperative Society Ltd. and Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.).

Claims for ₹88,924 Crore have been received so far in 'CRCS-Sahara Refund Portal' from 3.64 crore depositors of which an amount of ₹1496.28 Crore has been released to 9,42,364 depositors of Sahara Group of Cooperative Societies.

## **RURAL CREDIT SCENARIO**

Historically, farmers in India are resource poor who depend heavily on borrowings to facilitate production and smoothening of consumption pattern. With customary uncertainties of farming under rainfed conditions, increasing indebtedness of farmers at exploitative interest rates has been a continuous characteristic of Indian agriculture. Institutional credit was virtually absent till the end of 19th Century though farmers occasionally were given loans by the Govt, especially during drought years. The idea of forming Cooperative Societies to give loans to farmers came only in the beginning of 20th Century. This thinking finally resulted in the enactment of Cooperative Societies Act in 1904. Cooperatives gradually became an important source of agricultural credit throughout the country. Rural credit also received continuous

attention of the Govt in the early part of 20th Century. The original Act of 1904 was followed by a new Cooperative Act in 1912 to give legal recognition to Cooperative Credit Societies. Establishment of Provincial Cooperative Banks, resulting in the creation of 3-tier Cooperative credit structure was another important development during this period. The operations of credit cooperatives however, confined to short term loans. At the same time, farmers were in need of long term loans to free their land from prior debts, which claimed a major portion of crops they produced by way of interest on such debts. Land Mortgage Banks were established in early 1920s to meet such long term credit needs of farmers. The establishment of first Land Mortgage Bank in Punjab in 1920 was followed by formation of such banks at

provincial and primary levels in the provinces. In spite of all these efforts by 1951, only 3.3% of farmers had accessed credit from Cooperatives and only less than 1% of farmers managed to get loans from Commercial Banks. All India Rural Credit Survey Committee in 1954 observed that agricultural credit fell short of right quantity, was not of the right type and did not serve the right purpose and often failed to go to the right people. Committee observed several deficiencies in the performance of cooperatives in meeting the credit needs of farmers, but found that cooperatives had a vital role in channelizing credit to the farmers and summed up that 'Cooperation has failed, but Cooperation must succeed'. Agricultural Refinance Corporation was established in 1963 to make long term funds available to Cooperative Rural Credit Structure, particularly Land Development Banks. All India Rural Credit Review Committee was set up in 1966 to review the availability of rural credit and recommend measures to improve flow of agricultural credit. The Committee recommended that Commercial Banks should play a complementary role along with cooperatives in extending rural credit. Bank nationalization and introduction of the concept of priority sector lending in 1969 acted as a catalyst to bring commercial banks in the Rural Credit System in a big way. Lead Bank Scheme was also introduced in the same year for decentralized planning under which each district was placed with one of the commercial banks. All these initiatives however, failed to bring desirable improvement in credit flow to agriculture mainly because commercial banks were not tuned to the needs of small and marginal farmers, while cooperatives lacked resources to meet the growing demand for credit. It was on the above background that Regional Rural banks (RRBs) were set up in 1975 based on the recommendations of Narsimhan Working Group. RRBs were conceived as a separate banking structure, combining the co-operative advantages of local feel and familiarity of rural problems and the professionalism and resource base of

commercial banks. Thus, towards the end of 70s a Multi-Agency System comprising of Cooperatives, Commercial banks and RRBs was emerged for rural credit. Subsequently, following recommendations of the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development, National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD) was set up in 1982, which took over the entire operations of ARDC and the refinancing functions of RBI with regard to agriculture and rural credit. NABARD plays a central role in providing financial assistance and facilitating institutional development in the area of rural credit. 1990s witnessed initiation of financial sector reforms based on the report of Committee on the financial system (Chairman Shri M. Narsimhan 1991). Several committees on Rural Financial System were also constituted during this period including High level Committee on Agricultural Credit through commercial Banks (R.V. Gupta, 1998), Task Force Study to study the functioning of Cooperative credit system and to suggest measures for strengthening (Jagdish Kapoor, 1999), Expert Committee on Rural Credit (V.S. Vyas, 2001), Vaidyanathan Task Force I & II in early 2000s etc. The financial sector reforms in India since 1990s were carried out mainly on the basis of the recommendations of the above Committees. However, it is observed that while the recommendations relating to Commercial banks and RRBs were mostly implemented those relating to strengthening of Rural Cooperative Credit Structure were not given required attention. Vaidyanathan Task Force Report on STCCS was not fully implemented whereas Vaidyanathan Task Force Report on LTCCS was ignored and not implemented at all.

There has been phenomenal growth in the credit flow to agriculture from its implementation as may be seen from the table below showing yearly targets and achievements for agricultural credit from 2004-05 to 2024-25.

YEAR	TARGET	ACHIEVEMENT
2004-05	1,05,000 (Base year)	1,25,309
2005-06	1,41,500 (34.29%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (24.11%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (21.16%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.95%)
2010-11	3,75,000 (15.39%)	4,68,291 (21.78%)
2011-12	4,75,000 (26.67%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.32%)
2014-15	8,00,000 (14.29%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (6.25%)	9,15,509 (8.30%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	10,65,755 (16.41%)
2017-18	10,00,000 (11.11%)	11,62,617 (9.09%)
2018-19	11,00,000 (10.00%)	12,54,762 (7.93%)
2019-20	13,50,000 (22.73%)	13,73,766 (9.48%)
2020-21	15,00,000 (11.11%)	15,75,398 (14.68%)
2021-22	16,50,000 (10.00%)	18,63,364 (18.28%)
2022-23	18,50,000 (12.12%)	21,55,000 (15.65%)
2023-24	20,00,000 (8.11%)	25,10,000 (16.50%)
2024-25	27,50,000 (37.50%)	-

Source: rbi.org.in, Annual Report publication - NABARD.

Over the past few decades, especially since 1990-91, the share of long term credit has been continuously decreasing implying that farmers are taking loans for recurring expenditures rather than to fund long term investments. Although the flow of production credit has been on the increase year after year, it has not resulted in proportionate increase in agricultural production, due to falling share of investment credit and slowdown in the rate of capital formation and productivity enhancement.

The institutional credit delivery mechanism does not have long term resources. The refinance facility from NABARD is only by way of liquidity support to the banks. Commercial Banks generally squeeze the repayment period for their investment credit support thereby compelling the farmers to repay their loans even without any income. Following observations of Y.C. Nanda Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Long Term Agricultural Credit are worth quoting here. "Cooperative banks and RRBs do not

have adequate long term resources to augment their share in investment credit. ARDBs continues to be an important source to support the investment credit needs of their members with or sometimes even without NABARD's refinance support. If the share of investment credit by ARDBs need to be expanded, they should be provided with liberalized funding from NABARD or any other higher financing agency as ARDBs are the only channel purposely created for providing long term investment credit support. It, therefore, calls for a relook on the refinancing policy of NABARD which should play a proactive role of supporting the ARDBs instead of adopting restricted lending policies. In fact, NABARD has been first recovering its refinance dues from ARDBs even when they are not in a position to recover from the borrowing members, since its inception. This policy of NABARD needs to be relooked and it should adopt later-end repayment of its refinance instalments by the ARDBs. Such an approach would give adequate cushion to ARDBs in meeting unfavorable recovery climate arising out of various socio-political reasons and NABARD would also take part in risk sharing approach.”

The Finance Minister has projected credit flow to agriculture ₹27.50 lakh crore in 2025-26, which is 16.50% more than the actual credit disbursements of ₹25.10 lakh crore during 2024-25.

On the above background, the Finance Minister has earmarked ₹16.00 lakh crore for Short term crop loans and ₹11.50 lakh crore to Term loans to be disbursed by banks during 2024-25.

High interest rates payable by farmers for investment credit is another issue that should be addressed on priority. Central Govt. has taken steps for keeping interest rate of crop loans at affordable rates. After the interest subvention of 3% the maximum interest rate on crop loans is 4% per annum. With additional interest subvention by State Governments crop loans are now available at zero interest rate in some states. However,

none of these measures to reduce the cost of agriculture credit has been extended to loans given for farm investments. NABARD's refinance support to banks for investment credit carries interest rates of about 8.50% per annum, making the cost of loans at ultimate borrower level in the range of 12-14% per annum. The huge gap between interest rates of crop loans and investment loans has become a major disincentive for farm investments.

Govt. has set up Long Term Rural Credit Fund in NABARD with annual contributions out of deficit in commercial banks' lending to agriculture. NABARD has been using this Fund for giving investment credit refinance at a lower rate for a maximum period upto 5 years. However, the impact of LTRCF in the cost of funds of SCARDBs is not significant as the share of LTRCF in the total funding support from NABARD is small.

There has been significant increase in the area of irrigated farm lands in the last 10 years. However, about 50% of the total area under cultivation is still rain-fed. Financing agriculture especially under rain-fed conditions involves high risk. At present, the entire risk involved in farm financing is borne by lending institutions resulting in high level of NPAs with them. For large number of institutions in the cooperative credit structure including ARDBs which cater mainly to small and marginal farmers, the NPAs are beyond tolerable level.

### **National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks' Federation Ltd. (NAFCARD)**

The Federation was established in 1960 as the National Apex organization of Long Term Rural Cooperative Credit Structure (LTCCS). Presently, the membership of the Federation consists of 16 State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks (SCARDBs) and 3 State Cooperative Banks (SCBs) without support for Long Term Structure for credit. The Federation is registered as a Multi-State Cooperative Society and is

one of the National Federations listed in the 2nd schedule of the Act.

The principal objective of the Federation is to promote interests for its members to attain their organizational objectives & business goals and to promote mutual understanding amongst members by providing a common forum for discussing technical and practical problems relating to their business operations and devise ways and means for solving such problems, based on self-help and mutual aid in accordance with cooperative principles. The vision of the Federation is to develop and strengthen its member institutions and to make them as resource based member driven financial cooperatives, capable of helping their members to fully realise their potential for undertaking income generating activities in Farm and Non-Farm Sectors, in extending financing and non-financial support.

The Federation strives to realise the above vision by

extending a range of support services to member banks for business diversification & expansion, resource mobilization, upgradation of Human Resources & technology and to achieve efficiency in operations.

The activities of the Federation include coordinating the working of ARDBs at national level, taking up legal & policy issues with the Central and State Govts, NABARD, RBI etc., compilation & publishing of statistics relating to LTCCS, organizing Seminars, Workshops, study visits, training programmes, providing guidance & advise on institutional development, business diversification & expansion etc.

Computerization of ARDBs under Central Sector scheme, internal reforms for streamlining loans & recovery and expanding avenues for mobilizing resources, business development plans etc., are currently major areas of focus for the Federation.

## COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE - OVERVIEW

At present the structure comprises of 16 SCARDBs of which only 13 are fully functional with a network of 1,851 PCARDBs/branches of SCARDBs at ground level. These banks have a total membership of 92,97,613 rural households of which 30,43,178 have outstanding loans. The Total Loans Outstanding and Borrowings Outstanding of these banks as on 31.03.2025 were ₹22,430.58 crores and ₹13,546.98 crores respectively.

Fully functional SCARDBs have total deposits of ₹2,366.71 crores as on 31.3.2025 as against ₹2,234.27 crores as on 31.3.2024. Their total lending during 2024-25 stood at ₹6,890.52 crores as against ₹5,798.54 crores during the previous year. Aggregate ground level recoveries were 40.67% (As on 31 March 2025) as against 41.40% last year.

### Overview of Long-Term Cooperative Credit Structure for last 2 years

(₹ Crores)

Sr. No.	Particulars	During the year	
		2023-24	2024-25*
1.	No. of SCARDBs		
	i Fully Functional	13	13
	ii Others	3	3
2.	Network of outlets		
	i Branches of SCARDBs	643	640

	ii Supervisory Units	83	83
	iii PCARDBs	609	610
	iv PCARDBs branches	518	518
	<b>TOTAL</b>	<b>1,853</b>	<b>1851</b>
3.	Membership of individuals	99,29,673	92,97,613
4.	Borrowing Membership	39,34,082	30,43,178
5.	Loans Outstanding	21,362.28	22,430.58
6.	Loans Disbursed	5,798.54	6,890.52
7.	Borrowings Outstanding	12,507.88	13,546.98
8.	Deposit Outstanding	2,234.27	2,366.71
9.	Loan Recovery Position As on 31 March		
A.	<b>At Ultimate Borrowers' Level</b>	<b>2023-24</b>	<b>2024-25</b>
	i Demand	16,293.43	17,487.76
	ii Collection	6,745.36	7,111.64
	iii Balance	9,546.93	10,375.67
	iv Recovery %	41.40	40.67
B.	<b>At SCARDB Level</b>	<b>2023-24</b>	<b>2024-25</b>
	i Demand	13,451.51	13,962.08
	ii Collection	6,060.61	6,056.44
	iii Balance	7,389.76	7,905.18
	iv Recovery %	45.06	43.38
10.	Amount of Profit	297.88	248.20
	No. of banks in Profit	9	9
11.	Amount of Losses	563.27	164.44
	No. of banks in Losses	4	4
12.	Staff Position		
	i SCARDB Level (Apex)	4,371	4,281
	ii PCARDB level (Ground)	4,079	4,022
	<b>TOTAL</b>	<b>8,450</b>	<b>8,303</b>

\*Tentative Data for 2024-25.

## Major issues and challenges

- LTCCS is primarily designed as non-resource based lending agency.
  - The institutions in the structure are not given licence to function as banks coming under BR Act and hence not allowed to raise resources from the market like other rural financial institutions.
  - Depends heavily on NABARD's refinance for resources for lending.
  - The refinance support of NABARD, however, is steadily declining since the beginning of 2000s due to difficulties in arranging state govt guarantee and failure to meet eligibility conditions for refinance based on risk rating.
  - The Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit (2017) under the chairmanship of Shri Y.C. Nanda, Ex-Chairman, NABARD recommended NABARD to introduce a new additional refinance product to extend refinance to SCARDBs on the basis of their unencumbered quality assets and other qualitative norms without government guarantee or collaterals. NABARD is yet to implement this recommendation.
- Inability to advance crop loans to long term borrowers affecting returns from farm investments and loan repayment.
  - The crop loan interest subvention scheme of Govt of India is not extended to ARDBs.
  - Long term borrowers of ARDBs generally are unable to take crop loans from other agencies as their land is pledged with ARDBs.
  - Non availability of crop loans affects the income and repaying capacity of these farmers.
- Deteriorating recovery climate
  - Aggregate recovery at the ground level has been hovering around 50% in the last few years.
  - Though loans are secured by mortgage of land recovery of loan by selling agricultural land is difficult in many States.
  - Inability of the structure to give production credit/working capital loans along with investment credit deprives full benefit of investments to borrowers who are not able to access short term loan from other agencies.
  - In the absence of short term loan products and saving products, ARDBs are unable to maintain regular contact with borrowers which is necessary to improve repayment.
  - Loan waivers, even when done as a one-time measure to help farmers in distress, give rise to expectations of further waivers in the future leading to default even by those who have the capacity to pay.
- Exclusion of ARDBs from financial sector reforms.
  - The financial performance of the structure started declining since 90s due to heavy overdues in govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins and implementation of debt waiver scheme in 1990 by the Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme.
  - While financial sector reforms including recapitalisation since 90s helped Commercial Banks, RRBs and STCCS to set off such losses, ARDBs continue to remain excluded from financial sector reforms.
  - Even though Vaidyanathan Task Force II (2006) recommended a revival package comprising of reforms and recapitalization, the same was not implemented.

### **Issues and suggestions taken up through Ministry of Cooperation**

- (i) Computerisation of ARDBs - Presently, ARDBs are not fully computerised with core banking solutions in any state. The Ministry of Cooperation has now launched a scheme for computerisation of ARDBs under Centrally Sponsored Project of Strengthening of Cooperatives through IT Interventions. 1851 operating units of 13 fully functional SCARDBs are being computerized at a total estimated cost of ₹ 119.40 crores under this project. The scheme is under implementation by NABARD. The Federation and SCARDBs are grateful to MoC for this historic initiative to strengthen and modernise institutions in the structure.
- (ii) Banking licence to SCARDBs – Several Committees appointed by the Government including Capoor Committee (1999), Vaidyanathan Task Force II (2006) and of late the Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs instituted by the MoC through NABARD recommended RBI to consider giving banking licence to SCARDBs subject to prudential stipulations and to frame norms for the same. The Ministry of Cooperation (MoC) on 06 December 2023 convened a joint meeting with RBI, NABARD, NAFCARD & Gujarat SCARDB, which made an application for banking licence to RBI, in which RBI promised to consider the subject of framing norms for giving banking licence to ARDBs. However, RBI is yet to announce norms for giving banking licence to SCARDBs.
- (iii) Extending crop loan interest subvention scheme to ARDBs – Non availability of crop loans facility for its long term borrowers is a serious issue in LTCCS affecting their income and repaying capacity. MoC has already taken up this issue with Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.
- (iv) Setting up Long Term Fund with NCDC in the pattern of Long Term Rural Credit Fund (LTRCF) of NABARD which has been set up out of shortfall in commercial banks' lending to agriculture. This will help NCDC to provide funds to rural credit cooperatives for long term agricultural lending at a significantly lower interest rate than the market rate.
- (v) Extending DICGC insurance coverage to deposits of ARDBs – Though ARDBs are allowed to accept member deposits and term deposits from public upto their net worth, not much progress is made in deposit mobilisation due to lack of insurance coverage for deposits.
- (vi) Membership of SCARDBs in CIBIL and Other Credit Information Companies - Presently SCARDBs are not included in the list of Credit Institutions, which are mandated to become members of Credit Information Companies under Section 2(f) of Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. Exclusion of SCARDBs from the membership of Credit Information Companies also results in exclusion of credit history of about 47 lakh rural households, who have outstanding loans of about ₹23,500 crores with ARDBs in deciding their credit score. Consequently, even wilful defaulters of ARDBs can easily avail loans from other institutions based on the credit score given to them by CIBIL or other Credit Information Companies, which do not reflect their credit history with ARDBs. Membership of SCARDBs in Credit Information Companies therefore, is necessary to make the credit score given by Credit Information Companies to such borrowers of ARDBs more accurate and reliable. It will also help ARDBs to bring down willful default in repayment of loans

significantly. It is seen that though SCARDBs are not specifically mentioned in the definition of Credit Institutions under Section 2(f) of Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005, Section 2 (f)(vii) empowers Reserve Bank of India to include “any other institution, which the Reserve Bank may specify from time to time for the purposes of this clause”. The Federation, on the above background represented to Reserve Bank of India to consider including SCARDBs in the list of Credit Institutions mandated to be admitted as members of Credit Information Companies in exercise of its powers under Section 2(f)(vii) of Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.

(vii) Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs – Ministry of Cooperation has undertaken a Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs through NABCONS of NABARD. The Study Report exhaustively covers all the issues in the sector and made recommendations to address them. Currently, the study report is under consideration of Ministry of Cooperation. MoC has convened three meetings (on 11th & 13th December 2023 and 21 March 2024) to discuss the recommendations. The action plan with timeline for implementing the recommendations of the Study Group is expected to be finalised soon.

(viii) ARDBs are the oldest term lending institutions in the country having more than 100 years’ experience in financing farm infrastructure. However, Agri Infrastructure Fund Scheme which provides the benefits of interest subvention and credit guarantee support to farmers is not extended to ARDBs. Steps may be taken to extend the Agri Infrastructure Fund to SCARDBs.

(ix) Reforms in the refinance policies of NABARD - Waiving the condition of government guarantee/pledging fixed deposits equivalent to 135%, for giving refinance even in the case of SCARDBs in the low risk category, reversing the trend of continuous decline in yearly allocation of refinance to SCARDBs by tightening eligibility norms, making provision to support production credit/working capital needs of borrowers, broadening the purposes eligible for refinance to cover the diverse credit needs of rural households, sharing of risk in agricultural lending etc. are some of the reforms required in the refinance policies of NABARD concerning ARDBs. However, NABARD is steadfast in resisting the demand for reforms in refinance and continue to remain non responsive to recommendations by various Committees in this regard including the latest study on ‘Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs’, instituted by the Ministry of Cooperation.

## HIGHLIGHTS OF MAJOR DEVELOPMENTS/EVENTS DURING THE YEAR

### Business Development Plans of SCARDBs

The Business Development Plans for the sector formulated by the Federation last year is under implementation. According to the Business Development Plans prepared by the Federation, the aggregate loan disbursements of ARDBs during 2024-25 was projected at ₹9805.00 crores, which included Short term loan component of ₹3000.00 crore.

However, IRMA in its study report on Business Growth in LTCCS during Amrit Kaal projected aggregate advances by SCARDBs during 2024-25 at ₹6377.00 crores. The details of IRMA projections for business growth from 2024-25 to 2047-48 are appended to the Annual Report. Against the target of ₹6377.00 crores during 2024-25, the aggregate advances by SCARDBs upto February 2025 stood at ₹5776.00 crores.

### Computerisation of ARDBs under Centrally Sponsored Project of 'Strengthening of Cooperatives through IT Interventions'

The Government of India vide communication dt. 6th October 2023, announced implementation of the Centrally Sponsored Project of "Strengthening of Cooperatives through IT Interventions" with separate components for computerisation of ARDBs and Development of digital portal and computerisation of offices of Registrar of Cooperative Societies and Uts.

The computerisation scheme for ARDBs covered 1851 operational units of ARDBs in 13 states where the structure is fully functional with a total financial outlay of ₹119.40 crores with component-wise break-up, as below.

1. Hardware	₹ 63.06 crores
2. Digitization	₹ 24.03 crores
3. Support System	₹ 16.80 crores

4. Customization of Software with Cyber security and Data Centre ₹ 15.51 crores

While Govt of India will bear the entire cost of ₹15.51 crores towards customization of software with cyber security and data centre, 25% of the total estimated cost of ₹103.89 crores for other 3 components will be borne by ARDBs and the remaining 75% which comes to ₹77.91 crores will be borne by Govt of India and State Govts in the ration of 60:40 in General States, 90:10 in Northeast and Hilly states and 80:20 for UTs with legislature and 100% in UTS without legislature.

NABARD will be the implementing agency and the Scheme will be implemented over a period of three years including handholding and support for the next two years. National Software for PACSs shall be utilized for computerization of ARDBs with customization being done by national level PACSs Software Vendor. The total hardware requirement is estimated for 4127 units, the state-wise breakup, which is given below.

Sr. No.	State/UT	Total Network	No. of Hardware Units required
1.	Gujarat	195	440
2.	Haryana	90	203
3.	Himachal Pradesh	88	202
4.	Jammu & Kashmir	51	115
5.	Karnataka	207	467
6.	Kerala	255	559
7.	Pondicherry	2	17
8.	Punjab	113	272
9.	Rajasthan	163	351
10.	Tamil Nadu	200	432
11.	Tripura	6	15
12.	Uttar Pradesh	342	740
13.	West Bengal	139	314
		<b>1851</b>	<b>4127</b>

For implementing and monitoring, the existing arrangement for PACSs shall be made use of including NLMIC and Central Project Monitoring unit at the level of Ministry, Project Monitoring Unit at the level of NABARD and SLIMC at State level.

The implementation of the Scheme is in progress in all States except Kerala where the State Government is yet to issue administrative approval for the Scheme.

The Federation is monitoring the progress of the Scheme on a regular basis. Implementation of the Scheme is expected to be completed during financial year 2025-26.

**Study to Expand Business Growth in ‘Amrit Kaal’ (2022-2047) and Compliance of Section 24 of MSCS Act 2002 by IRMA**

Federation has assigned a study to IRMA as part of initiative of Ministry of Cooperation to sponsor study on Business Expansion by LTCCS during Amrit Kaal and Compliance of Section 24 of Multi State Cooperative Societies Act, 2002, by national Federations.

The study was awarded to IRMA in February 2024. Subsequently, IRMA made a presentation before Ministry of Cooperation on 8th May 2024, to finalise the objectives and Terms of Reference of the study.

The study undertaken by the IRMA covers following 3 main areas.

1) Analysis of Functions

- Assessment of listed functions or services of the NAFCARD.
- Potential functions of federation/diversification of functions.
- Good practices of members regarding service delivery.
- Identifying member support needs.
- Potential functions based on member needs and expectations.

- Identifying areas of conflict/overlapping of functions/gap in communication and possible strategies to address these issues.
- Compliance of functions defined under section 24 of Multi State Cooperative Societies Act 2002.
- Diversification of functions including scope for converting itself into an economic entity.

2) Analysis of Finances

- Assessment of existing sources of income and expenditures of NAFCARD.
- Potential revenue sources and expenditures of NAFCARD.

3) Strategies for Future Actions

- Find pathways for more synergies with the government and other organisations.
- Suggest better and diversified services for the members.
- Communication and outreach through social media platforms.

IRMA submitted its first draft report on 18.9.2024. The draft report was presented by IRMA in the meeting convened by the Ministry on 8.10.2024 under the Chairmanship of Shri Siddharth Jain, Joint Secretary.

IRMA submitted the modified draft report by incorporating additional sections on Training, Top 5 Enablers and Ranking criteria for institutions in the structure.

The study report includes state-wise visit reports, list of good practices recommended for adoption by all banks, findings of employee climate survey, recommendations for training design and delivery, major challenges faced by ARDBs and suggestions for addressing the same, certain areas of focus in the business of ARDBs where Federation has to step up engagement. Top 5 Enablers to revamp SCARDBs and projections for business growth during Amrit Kaal.

### **Major Findings and Recommendations**

Good practices recommended for adoption by all banks.

- Online loan applications
- Robust appraisal, verification by technically qualified field staff.
- Direct disbursement instead of disbursing through vendors/dealers for bargaining power.
- Group lending/lending to collectives and JLGs.
- In view of difficulty to sale of agricultural land for loan recovery, SCARDBs should consider other types of collaterals for advancing loans.
- In financing business organisations stability of management should be considered.
- Increasing proportion of down payment/own contribution of the borrowers in the project, subject to capacity of the borrower.
- Arrangement for systematic follow up and monitoring of loan.
- Arrangements for frequent and regular review meetings with branches and PCARDBs.
- Instil fear of loss of land in case of failure to repay by initiating legal recovery measures.
- One Time Settlement Schemes with interest waivers found effective in recovering bad loans.
- Shorter duration loans, banks may consider lower tenure and introducing Gold loans to improve recovery.
- Monthly or quarterly instalments to facilitate regular payments in lower amount of instalments.
- State Govts may be approached for introducing interest subvention schemes for prompt repayment of long term loans, which is available only in few States.
- Amendment in State Cooperative Act required in most of the States for removing restrictions in business expansion, diversification and deposit mobilization.

- Act needs amendment for reintroducing legal recovery provision.
- State Govt rules amendment in Tamil Nadu for giving freedom to the SCARDB to fix interest rate on loans, deposits and investments with other banks.
- The scope for financing farm tourism, especially in Kerala post-harvest processing unit through FPOs.
- Non credit businesses like insurance product development based on needs of members.
- Introducing government loans in more banks etc. need to be considered by banks in general.

### **Expanding funding sources**

- NABARD to increase refinance support at lower interest rate.
- State Govts to extend interest subvention schemes for Long term loans.
- NCDC to increase support to ARDBs.
- State Cooperative Banks, where most of the surplus funds of ARDBs are invested, need to open a line of credit to SCARDBs.
- Increase in recovery and reducing NPAs.
- Frequent contact and strong relationship with borrowers
- Strengthening loan, recovery and monitoring system.
- Cluster based lending should be adopted.
- Introduction of OTS with State Govts support.
- Interest subvention schemes for prompt repayment.
- Improve efficiency in operations in computerization to be expedited and completed.
- CIBIL membership.
- Waiving the condition of government guarantee for good working and financially strong SCARDBs.
- Multiple audits may be avoided.
- Addressing HR issues.

- NAFCARD to design and deliver capacity building programmes.
- Specialised training for employees in Banking, Finance and Recovery.
- Recruitment of staff and filling vacancies.
- Improving manpower planning.
- **Suggestions for NAFCARD's potential engagement.**
- Training of staff in different areas.
- Model code of conduct of members.
- Exploring alternative/additional sources of funds for SCARDBs.
- Taking up the issue of CIBIL membership for SCARDBs.
- Taking up with State Govt the issue of high guarantee commission.
- Taking up with NABARD/GOI to facilitate KCC.

## Business Growth Plans of SCARDBs during Amrit Kaal (2022-23 to 2047-48)

### LENDING PROJECTIONS

(₹ Crores)

Sr. No.	Name of the Bank	Actuals for 2022-23	Lending (LT + ST Advances)					Lending Projected for Next 20 Years			
			2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2032-33	2037-38	2042-43	2047-48
1	Gujarat	275.53	440.00	615.00	830.00	1115.00	1455.00	3500.00	7000.00	14000.00	28000.00
2	Haryana	95.92	135.00	260.00	450.00	730.00	1000.00	2500.00	5000.00	9500.00	18000.00
3	Himachal Pradesh	115.00	170.00	230.00	300.00	380.00	485.00	1000.00	2000.00	4000.00	8000.00
4	Jammu & Kashmir	6.75	65.00	85.00	100.00	115.00	130.00	300.00	600.00	1200.00	2400.00
5	Karnataka	303.18	500.00	700.00	900.00	1100.00	1300.00	3250.00	7000.00	13500.00	25500.00
6	Kerala	2808.37	3600.00	4000.00	4400.00	4800.00	5200.00	9500.00	19000.00	36500.00	70000.00
7	Pondicherry	39.57	50.00	110.00	170.00	220.00	350.00	785.00	1570.00	3000.00	5500.00
8	Punjab	5.07	330.00	500.00	700.00	950.00	1250.00	3125.00	6250.00	12000.00	21600.00
9	Rajasthan	157.14	300.00	450.00	650.00	900.00	1150.00	3200.00	6500.00	12800.00	23600.00
10	Tamil Nadu	1061.59	1300.00	1480.00	1680.00	1930.00	2200.00	5500.00	11000.00	19800.00	35500.00
11	Tripura	-	-	25.00	50.00	110.00	210.00	500.00	1000.00	1900.00	3600.00
12	Uttar Pradesh	270.67	550.00	750.00	950.00	1150.00	1350.00	4000.00	8000.00	15200.00	29000.00
13	West Bengal	291.97	450.00	600.00	800.00	1050.00	1300.00	3250.00	6500.00	12500.00	23500.00
<b>Grand Total</b>		<b>5430.76</b>	<b>7890.00</b>	<b>9805.00</b>	<b>11980.00</b>	<b>14550.00</b>	<b>17380.00</b>	<b>40410.00</b>	<b>81420.00</b>	<b>155900.00</b>	<b>294200.00</b>
<b>BDP Projections by IRMA</b>		<b>5270.00</b>	<b>5798.00</b>	<b>6377.00</b>	<b>7015.00</b>	<b>7717.00</b>	<b>8489.00</b>	<b>14303.00</b>	<b>25206.00</b>	<b>48532.00</b>	<b>106403.00</b>
<b>Difference</b>		<b>160.76</b>	<b>2092.00</b>	<b>3428.00</b>	<b>4965.00</b>	<b>6833.00</b>	<b>8891.00</b>	<b>26107.00</b>	<b>56214.00</b>	<b>107368.00</b>	<b>187797.00</b>

## Borrowings

(₹ Crores)

Sr. No.	Name of the Bank	Actuals for 2022-23	Borrowings (LT + ST)					Projections for Next 20 Years			
			2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2032-33	2037-38	2042-43	2047-48
1	Gujarat	86.00	215.00	325.00	440.00	600.00	750.00	1500.00	3000.00	6000.00	12000.00
2	Haryana	-	80.00	150.00	235.00	380.00	550.00	1100.00	2200.00	4400.00	8800.00
3	Himachal Pradesh	84.88	130.00	190.00	250.00	320.00	400.00	800.00	1600.00	3200.00	6400.00
4	Jammu & Kashmir	6.16	75.00	90.00	105.00	120.00	135.00	250.00	500.00	1000.00	2000.00
5	Karnataka	415.00	480.00	550.00	620.00	690.00	750.00	1500.00	3000.00	6000.00	12000.00
6	Kerala	1401.54	1650.00	1900.00	2250.00	2370.00	2650.00	5300.00	10600.00	21200.00	42400.00
7	Pondicherry	-	-	40.00	60.00	110.00	150.00	300.00	600.00	1200.00	2400.00
8	Punjab	21.37	260.00	380.00	540.00	660.00	800.00	1600.00	3200.00	6400.00	12800.00
9	Rajasthan	402.80	550.00	700.00	850.00	1000.00	1150.00	2300.00	4600.00	9200.00	18400.00
10	Tamil Nadu	1.15	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	1000.00	2000.00	4000.00	8000.00
11	Tripura	-	-	15.00	30.00	70.00	130.00	260.00	520.00	1040.00	2080.00
12	Uttar Pradesh	305.67	650.00	800.00	950.00	1100.00	1250.00	2500.00	5000.00	10000.00	20000.00
13	West Bengal	336.51	450.00	600.00	750.00	900.00	1150.00	2300.00	4600.00	9200.00	18400.00
<b>Grand Total</b>		<b>3061.08</b>	<b>4640.00</b>	<b>5940.00</b>	<b>7380.00</b>	<b>8720.00</b>	<b>10365.00</b>	<b>20710.00</b>	<b>41420.00</b>	<b>82840.00</b>	<b>165680.00</b>

### **Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs**

Instituting the study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs through NABCONS was one of the important initiatives taken by the Ministry of Cooperation to strengthen institutions in LTCCS. NABCONS study team submitted its report in June 2023. The study team recommended wide ranging policy and legal reforms in LTCCS for removing the present restrictions and constraints in their functioning, particularly in raising resources, meeting the credit needs of members adequately, recovery of loans and also to upgrade human resources and digital infrastructure for improving operational efficiency and transparency. The study team also recommended a financial package for recapitalisation of institutions in the structure, which suffered huge losses in the past due to policies of the State and Central Govt, but was

singularly unfortunate to get any financial support from the Govt to make good such losses unlike other sectors including STCCS.

The Ministry convened 3 Joint Meetings on the recommendations of the study team with NABARD and the Federation to prioritize and fixing timeline for implementing the recommendations. The Government however, informed its disapproval of the financial package recommended by the study team in Chapter-17 of the report as that was not included in the Terms of Reference of the study. Subsequently, in a surprising development, NABARD made a separate set of recommendations on restructuring of ARDBs. These recommendations of NABARD is now included in the report as Chapter-17 by replacing the original Chapter-17 on Financial Package.

The Ministry of Cooperation has sought the views of the Federation on the restructuring options for ARDBs

proposed by NABARD. The Federation convened online Board Meeting on 24th October 2024 on these proposals, which was attended by representatives of all SCARDBs. Based on deliberations in the online Board

meeting, the Federation has informed its strong disagreement to the restructuring options as the suggested options of merger and liquidation are not practical and feasible.

**Restructuring options proposed in the Modified Report**

<b><u>Unitary Structure</u></b>		
1.	Sustainably viable SCARDBs to be retained and strengthened	Gujarat Uttar Pradesh
2.	Merger of currently viable SCARDBs having accumulated losses with the SCB, subject to recapitalization support by State Govt.	Pondicherry Tripura
3.	Unviable (having current losses and accumulated losses) to be liquidated	Jammu & Kashmir
<b><u>Federal and Mixed Structure</u></b>		
1.	To be retained and strengthened	NIL
2.	Sustainably viable SCARDBs to be merged with the SCB	Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Rajasthan, Punjab West Bengal
3.	Unviable SCARDBs (having current losses and accumulated losses) to be liquidated	Haryana Himachal Pradesh
4.	Merger of sustainably viable PCARDBs with DCCBs	Kerala : 77 out of 77 (To be merged with SCB as there are no DCCBs in Kerala)  Karnataka : 55 out of 183 Rajasthan : 9 out of 36 Punjab : 9 out of 89 West Bengal : 7 out of 24 Tamil Nadu : 128 out of 180  <b>Total : 285 / 589</b>
5.	Liquidation of unviable PCARDBs	Karnataka : 128 Rajasthan : 27 Punjab : 80 West Bengal : 17 Tamil Nadu : 52 Haryana : 19 Himachal Pradesh : 1  <b>Total : 324</b>

**Restructuring Options – Impact on flow of Long Term Credit to Agriculture**

Merger and liquidation will mark the end of existing channel in the Cooperative Sector for Long term credit to farmers even in states like Kerala where the structure is performing well. After merger, SCARDBs and PCARDBs which are substantially viable will become part of SCBs and DCCBs respectively. Direct operations of SCBs and DCCBs mostly confine to urban areas and their rural outreach is through PACS. In other words, once LTCCS become non-existent through merger and liquidation, the SCBs and DCCBs are expected to perform the role of ARDBs i.e. advancing Long term agricultural loans through PACS. However, PACS generally are shy of Long term agricultural lending, especially in states where LTCCS exists at present. The restructuring plan appears to have not considered this aspect as it doesn't have a component to enhance the capability and preparedness of PACS to carry out Long term agricultural lending in a big way. Moreover, with the adoption of new common byelaws, PACS are expected to involve intensively in non-credit activities. Under the circumstance, the proposed restructuring plan to dissolve LTCCS in most of the States will have disastrous consequence on the flow of Long term agricultural credit to farmers.

**Liquidation of PCARDBs - Financial implication for SCARDBs**

The proposed restructuring plan involves liquidation of

324 PCARDBs in 7 States. In 2022-23, these 7 SCARDBs had outstanding loans of about Rs.11000 crore with PCARDBs recommended for liquidation. In the event of liquidation of PCARDBs, SCARDBs in these States have to make full provision against loans advanced to those 324 PCARDBs by treating it as lost assets. With full provisioning against the loans given to PCARDBs being liquidated, SCARDBs in all these States will end up in huge losses, which makes their merger with the SCB difficult. In short, options of merger or liquidation of institutions in LTCCS based on whether they have accumulated losses at present is not practical and feasible.

**Need to strengthen LTCCS through reforms**

The Board of the Federation has suggested that MOC may take steps to implement the reforms suggested in Chapter-16 of the report, to give both SCARDBs and PCARDBs a favourable legal and policy environment for improving their performance and financial position along with computerization which is already in progress. The reforms recommended in the report will help most of the institutions in the structure to attain sustainable viability over a period of 3 to 5 years.

State and Central Government should also consider giving SCARDBs financial support based on state level revival action plan. The extent of such support will be only a fraction of the financial liability on the State Govt for implementing the restructuring options of merger and liquidation proposed in the modified draft report.

**INTERNATIONAL YEAR OF COOPERATIVES 2025**

The United Nations General Assembly adopted a resolution on 19 June 2024 proclaiming the year 2025 as the second International Year of Cooperatives. The objective of IYC 2025 also include promotion and advancement of cooperatives by raising awareness to their contribution to social and economic development.

The International Year of Cooperatives 2025 (IYC 2025) under the theme 'Cooperatives Build a Better World' was officially launched by Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister on 25th November 2024 during ICA General Assembly in New Delhi.

**NEW DELHI ACTION AGENDA FOR IYC 2025**

The ICA Global Assembly in New Delhi finalized an action agenda for IYC 2025. The action agenda revolve

around four pillars of action and action points for various stakeholders such as Individual Cooperatives,

Communities, Civil Society Organisations, Diverse Private Sector, Opinion Shapers, Governments & Policy Makers and Multilateral Institutions.

## **FOUR PILLARS OF ACTION**

### **1. Reaffirming the Cooperative Identity**

- Living Our Principles: Promote, protect, and communicate the cooperative identity.
- Cooperative Education: Inspire and expand access to cooperative education for all.
- Heritage and Creativity: Establish a global cooperative program to safeguard cultural heritage and foster creative expression.
- Showcasing Impact: Highlight cooperatives tangible contributions to inclusive growth and sustainable development.

### **2. Enabling Policy and Entrepreneurial Ecosystems**

- Supportive Frameworks: Develop legal and regulatory systems that recognise the cooperative model and its governance.
- Access to Finance: Strengthen cooperative financial tools, including cooperative banks and credit unions.
- Educational Partnerships: Promote cooperative entrepreneurship in business schools and research institutions.
- Market Access: Enhance cooperatives access to markets and infrastructure to support entrepreneurial growth.

### **3. Nurturing Purposeful Leadership**

- Inclusive Leadership: Empower women, youth, and marginalised groups to lead change within cooperatives.
- Strategic Leadership Development: Prioritise executive leadership programs tailored to cooperatives.
- Cooperative Uniqueness: Position cooperatives as a key player in the global economy, leveraging their distinct identity.
- Knowledge Sharing: Foster local and international

learning opportunities to drive innovation and collaboration.

### **4. Building a Sustainable and Cooperative Future**

- Sustainability Solutions: Implement cooperative-driven climate action and sustainable development initiatives.
- Technology Integration: Leverage cooperative technology, AI, and digital tools to empower growth and branding.
- Resilient Networks: Strengthen cooperative value chains, circular economies, and platform cooperatives.
- Impactful Partnerships: Collaborate on research, education, and benchmarks for sustainability within planetary boundaries.

#### **Action areas for Stakeholders:**

##### Individual Cooperatives:

- Empower members: Prioritise education, gender equality, and youth leadership development.
- Innovate for resilience: Embrace technologies and new business models to remain competitive.
- Strengthen unity: Collaborate with other cooperatives for shared branding, advocacy, and partnerships.
- Build networks: Pool resources for scale, finance, and advocacy while contributing to cooperative research and education.

##### Communities:

- Support local cooperatives: Join, patronise, and advocate for cooperative enterprises.
- Recognise the value of cooperatives: Promote the benefits of democratic ownership and decision-making.
- Partner for change with cooperatives: Collaborate with cooperatives to tackle poverty, inequality, housing, and climate challenges.
- Foster education: Advocate for cooperative studies in curriculum to equalise with corporate business models.

Civil Society Organisations:

- Advocate for cooperative policies: Lobby governments and institutions to support cooperative-friendly initiatives and development programs.
- Raise awareness of cooperatives: Highlight cooperatives role in sustainable development.
- Collaborate for impact: Partner with cooperatives on social and environmental initiatives.
- Create Cooperatives: Leverage collective, democratic enterprises to achieve organisational goals.

Diverse Private Sector:

- Invest in cooperatives: Provide patient capital, loans, and technical assistance to cooperatives.
- Collaborate ethically: Engage in joint ventures and sustainable supply chains with cooperatives.
- Promote values: Encourage principles of equity, fairness, and sustainability.
- Empower workers: Support the creation of worker cooperatives within industries.

Opinion Shapers:

- Share success stories on the positive impact of cooperatives: Highlight cooperative achievements in innovation and development.
- Counter misconceptions: Challenge stereotypes surrounding cooperatives.
- Advocate for cooperative policies: Leverage influence to shape public and policy perspectives.
- Inspire action: Use platforms to amplify the cooperative movement's impact globally.

Governments and Policymakers

- Create a favorable policy environment and legal frameworks to support entrepreneurial ecosystems for cooperatives: Support cooperative development through a comprehensive approach that comprises financial, legal, and educational initiatives and take into account adequate tax incentives, regulatory reforms and access to finance.
- Recognise cooperatives as key partners: Involve cooperatives in the development and implementation of national policies and legislation.
- Mainstream cooperative education: Invest in programs that teach people about cooperative principles and practices.
- Invest in cooperative research: Support studies demonstrating cooperatives socio-environmental and economic impact.

Multilateral Institutions:

- Support cooperative development by adopting a comprehensive ecosystem approach to cooperatives' development: Provide funding and technical assistance to cooperative organisations.
- Strengthen cooperatives unions and national, and regional federations as key knowledge hubs and leverage for developing primary cooperatives.
- Recognise the role of cooperatives in sustainable development: Integrate cooperatives into development strategies and programs and endorse the Global Movement joined via the ICA.
- Promote international cooperation: Facilitate cross-border cooperation among cooperatives.

**INDIA'S ACTION PLAN FOR IYC 2025 – BROAD GUIDELINES BY MOC**

1. Primary Level: Focus on operational improvements and promoting transparency.
2. Cooperative Events: will be organized in Raj Bhavans of States and Union Territories.
3. Information Dissemination: will be done through various media channels including Sansad TV.
4. Logo visibility: The logo of IYC 2025 will be displayed on Amul and all cooperative packaging.
5. Ministry Initiatives: The Ministry of Cooperation will be widely publicized in all cooperatives.
6. Dairy Cooperatives: Develop a 5-year expansion plan to increase membership and milk collection.

7. Promoting Model bye-laws: Encourage primary cooperatives with extensive publicity.
8. State/District initiatives: Focus on organic farming cleanliness drive and 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign.
9. International Collaboration: study global best practices and invite international cooperatives to India.
10. Co-operative Collaboration : Financial participation of cooperative unions, district central cooperative banks, state cooperative banks, multi-state cooperative societies for organizing IYC 2025.

## IYC 2025 - NATIONAL ACTION PLAN AND CALENDAR OF PROGRAMMES OF LTCCS

Based on guidelines of ICA and Govt of India, Federation has formulated IYC Action Plan and Calendar of Programmes of LTCCS for IYC 2025. The LTCCS Action plan finalized, as below.

	<b><u>A. National/International Level</u></b>	
June'25 (Dates to be finalised)	International Exposure visit to India for financial cooperatives in Asia -Pacific for ICA -AP Credit & Banking Committee - 1 No*	Maharashtra & Gujarat
July'25	Webinar on 6 <sup>th</sup> July 2025 to mark the Foundation Day of MOC and International Day of Cooperatives on 5 <sup>th</sup> July 2025 <u>Theme</u> : Sahakar Se Samriddhi, Initiatives taken by MOC	
3 <sup>rd</sup> week of Nov.'25	IYC 2025 National Conference of ARDBs Presentation of Awards for outstanding performance of SCARDBs & PCARDBs in conjunction with National Conference.	New Delhi

Sr. No.	Name of the State	Timing	Venue *
1	Gujarat	February 2025 – Last week	Ahmedabad
2	Tamil Nadu	March 2025 – Second half	Chennai
3	West Bengal	May 2025 – Last week	Kolkata
4	Karnataka	June 2025 – First half	Bengaluru
5	Punjab	July 2025 – Second half	Chandigarh
6	Haryana	August 2025 – First half	Panchkula
7	Rajasthan	August 2025 – Second half	Jaipur
8	Kerala	September 2025 -First half	Thiruvananthapuram
9	Himachal Pradesh	October 2025 – First half	Dharamshala
10	Uttar Pradesh	October 2025 – Second half	Lucknow

\* Venue may change as per convenience of the Bank.

One day Seminar on the IYC 2025 theme “Cooperatives Build a Better World” with following sub-themes.

- (1) Cooperatives Build a Better World with special focus on empowering Women and Youth
- (2) Reforms in LTCCS for Rural Empowerment for enhancing contributions to sustainable development.
- (3) Financial Inclusion through Digitization

The dates and exact venue being finalised in consultation with SCARDBs concerned.

#### Year-round Activities

- 1) Popularising Sahakarita Song. Sahakarita Song to be played/sung in all public events being organised by the institutions in the structure on various occasions.

Note: The final version of the Sahakarita Song to be circulated to institutions in the structure once received.

- 2) Engaging Youth & Women

- (i) Focus on women and youths in membership drive and business promotion being undertaken by SCARDBs and PCARDBs at ground level.
- (ii) Encouraging member banks to incentivise women and youth to avail credit and saving products by offering special interest rates.

- 3) Media Plan

- (i) Reconstructing Website with a separate section for IYC 2025.
- (ii) Separate section in Monthly Newsletter for IYC 2025 news and reports.
- (iii) Social media coverage for IYC 2025 programmes by the MOC, Federation, Member Banks, ICA etc. on a regular basis and deploying dedicated staff for content writing and handling.
- (iv) Arranging print and visual media coverage of IYC 2025 events of the Federation through Press Meet/Press Notes.
- (v) Special issue of Monthly Newsletter in November

2025 on the occasion of IYC 2025 National Conference of ARDBs.

- 4) Agroforestry/Tree Plantation drive to support climate change mitigation

Agroforestry is being promoted as an important activity during IYC 2025. ARDBs will promote planting of trees by farmers financed by the bank, will be encouraged and supported to undertake tree planting along the boundaries of their agricultural fields, which apart from being an additional source of income helps to moderate temperature levels in the farmland. ARDBs will collaborate with the Department of Forest and Environment in the States in selecting planting materials and arranging supply of suitable varieties for agroforestry of trees, which can be harvested within 5-7 years. This activity is being undertaken on an ongoing programs throughout the year.

- 5) Hoisting of Cooperative Flag

Member institutions being advised to hoist Cooperative Flag on the International Cooperative Day, Foundation Day of Ministry and all days during Cooperative Week and in the events being organized as part of IYC 2025.

#### **NCDC Funding Support to SCARDBs**

The Federation has been requesting NCDC to extend Long term loans to ARDBs as the availability of refinance from NABARD is not available to all SCARDBs and wherever available, is not sufficient to meet the credit needs of members and to attain viable business levels by ARDBs. The NCDC has formulated a Scheme for extending Long term financial assistance to agricultural credit cooperatives towards their onward lending of Long term loans. The Federation has already circulated the scheme to member banks to avail the Long term funding support from NCDC for their business diversification and expansion.

Following are the highlights of the Scheme.

- 1) Maximum period of Loan:

5 years repayable in 10 half yearly instalments with interest.

2) Interest rate:

NCDC's interest rates are market related, which is currently about 10%, which however, can be fixed in the range of 9.5 to 9.75%, as discussed with M.D, NCDC, depending on the financial strength of the borrowing bank.

3) Purpose:

The loan can be used for advancing loans to farmers for any purposes in agriculture and rural sectors.

4) Eligibility for direct loans to SCARDBs:

- (i) There should not be any erosion in paid up share capital.
- (ii) Should not have incurred yearly net losses during the last 3 years.

5) Security for NCDC Loan:

The Bank has to provide any one or a combination of following as security for loan.

- (i) Government Guarantee.
- (ii) Bank guarantee by any scheduled Bank including State Cooperative Bank or District Cooperative Bank.
- (iii) Mortgage of fixed assets including land and building.
- (iv) Pledge of Fixed Deposits.

- (v) Hypothecation of Government bonds/approved securities etc.

NCDC also has a scheme for extending short term Credit to Agricultural Cooperative which can be used for advancing Jewel loans, sanctioning revolving credit limit to long term borrowers and in general, to meet any kind of Short Term credit needs to Long Term borrowers of ARDBs. The short term loans will be useful to ARDBs as interim finance for initial lending.

**Cooperative Election Authority**

The Govt of India vide Information Note dt. 1.10.2024, announced constitution of Cooperative Election Authority (CEA) in the place of Interim CEA constituted in November 2023 after enactment of Multi State Cooperative Societies (Amendment) Act, 2023. Following is the composition of Cooperative Election Authority.

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Shri Devendra Kumar Singh  | Chairperson      |
| 2. Shri R.K. Gupta  | Vice-Chairperson |
| 3. Smt. Monika Khanna,<br>Joint Registrar, CRCS<br>(till joining of permanent<br>member of CEA) | Member (Woman)   |

As per Section 45(i) of MSCS Act, the CEA shall be responsible for preparation of electoral rolls and conducting elections of Board of Directors and Office Bearers of the Multi State Cooperative Societies.

**UNION BUDGET 2025**

Economic survey 2025 observed that though fundamentals of the economy are strong and robust there are key challenges in achieving required growth to realise the goal of 'Viksit Bharat' in 2047. Slowdown in investments and uncertainty in consumer demand particularly urban middle class expenditure are underlined as the two major concerns.

The Finance Minister in the union budget 2025 which was presented on the above background made a bold and sincere attempt to address these challenges.

The most talked about decision to raise income tax exemption limit to ₹12 lakhs, apart from uplifting middle class sentiments is expected to give much

needed push in demand. The budget gives special focus on Agriculture, MSMEs, Investment and Exports as the four main engines of growth to reach the goal of Viksit Bharat by 2047.

Productivity enhancement, crop diversification and post-harvest value addition through storage and supply chain are the thrust areas in agriculture. The budget has proposed a number of programmes and missions for achieving these objectives as part of a long term strategy to meet the food and nutrition needs of a growing population and to become a major exporter of food by 2047. A special programme to increase agriculture productivity in 100 districts with low

productivity, covering 1.7 crore farmers under PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana, rural prosperity and resilience programme for creating full time employment for all in the rural sector, special programme to become self-sufficient in certain varieties of pulses such as Tur, Urad and Masoor, whose production is short of domestic demand, a special programme for fruits and vegetables to ensure remunerative prices to farmers, developing high yielding pest resistant and climate resilient seeds, sustainable harnessing of fisheries with focus on Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, special programme for improving productivity of cotton are some of the major programmes announced in the budget.

To improve availability of credit, the government has announced increasing the loan limit of Kisan Credit Card with interest subvention from ₹3 lakh to ₹5 lakh, a bigger role for India Post in financial inclusion through its network of 1.5 lakh rural post offices and enhanced support to NCDC to expand the lending activities of cooperative sector.

MSMEs sector which provides employment to 5.7 crore people and accounting for 36% of manufacturing and 45% of exports is considered as one of the major engines of the government. It is proposed to enhance the investment and turnover limits for classification of MSMEs by 2.5 and 2 times respectively. Credit guarantee cover to MSMEs has been increased to ₹10 crore and in the case of start-ups to ₹20 crore with reduced guarantee fee of 1%.

Investments and Exports are the other two major engines of growth listed in the budget. The budget proposed to accelerate investments in human resource in a big way and identified important areas like nutrition and support to children, improving infrastructure and quality of school education, skill development of youths, etc. as areas of focus.

The budget proposes to boost investments in infrastructure through PPP mode and through support to State governments by providing 50 year interest free loans. Jal Jeevan Mission for providing drinking water which has already covered 80% of the

population and will continue to cover 100% of the population by 2028.

It is also proposed to set up Urban Challenge Fund of ₹1 lakh crore to convert cities as growth hubs, speeding up power sector reforms to increase distribution deficiency and improving financial health of electricity boards, nuclear energy mission to generate minimum 100 GW nuclear energy by 2047 and developing small modular reactors indigenously. In shipping, ship building is identified as a priority area. Government will also set up Maritime Development Fund. The UDAN Scheme will be modified for better regional connectivity. Tourism development including developing top 50 tourist centres and generating quality jobs for youths in tourism, etc. are other important areas identified for accelerated investments. Budget also gives special focus on investments for innovations and has listed a number of areas for the same.

Export is listed as the fourth engine of growth in the budget. The budget contains a number of proposals to boost exports in order to minimise the widening gap between exports and inputs. Ensuring better access to export credit, incentives to MSMEs for increasing exports, setting up digital public infrastructure for trade documentation, supporting domestic manufacturing sector for integration with global supply chains, developing warehousing facilities for air cargo to boost export of horticultural produce, etc. are the major proposals for promoting exports.

The budget proposes to take forward financial sector reforms further through a number of new initiatives. Raising FDI in insurance from 74% to 100%, expanding services of India Post Payment Bank, credit expansion by National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), developing Grameen Credit Score framework to meet the credit needs of SHGs and rural sector are among the major proposals to deepen financial sector reforms.

Budget also proposes to constitute a high level committee for non-financial sector reforms for improving ease of doing business and to address slowdown in investments. The budget seeks to bring

down fiscal deficit to 4.4% in 2025-26 from estimated 4.8% in 2024-25. The total expenditure projected during 2025-26 is ₹50.65 lakh crore which will be met out of total receipts (excluding borrowings) of ₹34.96 lakh crore with a fiscal deficit of ₹15.69 lakh crore.

**Planning, Research and Development (PRD) Cell  
Activities during 2024-25**

(A) CONFERENCES, TRAINING PROGRAMMES,  
WORKSHOPS, SEMINARS & STUDIES

**1) Conference on Reforms, Restructuring and  
Innovations in ARDBs'**

The Federation organized a Conference on 24th October 2024, to deliberate on the modified draft report of the study on 'Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs'. The Conference which was attended by representatives of all SCARDBs, resolved to communicate to the Ministry of Cooperation, Govt of India, the following views on the modified report.

- The Federation firmly disagrees with the restructuring options of merger and liquidation proposed in Chapter-17 of the modified report at this stage. The Federation, particularly disagrees with the proposal to liquidate the entire structure in Himachal Pradesh with steadily improving financial position and performance both at apex and PCARDB level in recent years. Similarly, liquidating all PCARDBs having accumulated losses including those who have improved performance and progressively brought down losses in the last 3-5 years in various States is not justifiable. It is also felt that the restructuring proposal has not considered the impact of liquidating PCARDBs on the viability of SCARDBs which is the sole funding agency of PCARDBs.
- Federation agrees with all the recommendations relating to reforms contained in Chapter-16 of the modified report and request that these recommendations may be implemented as per the timeline proposed by NABARD.

Further, the Conference requested the Govt to consider following facts before taking a final decision on restructuring options mentioned in Chapter-17 of the modified report.

- The exclusion of LTCCS from the financial sector reforms started in 90s which strengthened other sectors, is the main reason for the weaknesses of LTCCS.
- The Central Government did not take any action to implement recommendations by Vaidyanathan task Force II for strengthening LTCCS even after announcing its implementation in 2008-09.
- The Conference on the above background views the recommendations under the acronym 'BHARAT' in Chapter-16 of the report along with Computerization of ARDBs which is already in progress, as the only opportunity for SCARDBs and PCARDBs to improve their performance and financial position.
- The sector should be given this opportunity which is available for the first time in its long history before considering the options of merger and liquidation.
- As per timeline indicated by NABARD, 51 recommendations in Chapter-16 can be implemented within 2 years while most of them can be implemented in the short term of 6 months and medium term of 12 months.
- Along with reforms as envisaged in Chapter-16 and Computerisation, the State and Central Govts may also consider extending critical financial support to LTCCS to restore borrowing capacity of SCARDBs and PCARDBs at adequate level. In fact, there is a strong case for such financial support as most part of the losses incurred by the Structure was due to the policies of Central and State government including assigning of directed credit programmes in the 70s and 80s, shortfall in reimbursing amount written off under Rural Debt Waiver Scheme of GOI in 1990 and under various debt waiver schemes implemented by State Govts afterwards, etc.
- The Conference expects that implementation of the recommendations listed in Chapter-16 along with computerization and arrangements for enhanced refinance by NABARD/NCDC will substantially improve performance and financial position of SCARDBs and PCARDBs in all States. ARDBs should be given minimum 3 year time after completion of the implementation of the said recommendations

to reap the benefit of reforms and become sustainably viable.

- A detailed assessment of the impact of reforms may be carried out by the Govt and NABARD after the said 3 year period since completing the implementation of reforms recommended in Chapter-16 and a final decision on merger/liquidation may be taken on the basis of the said assessment.

## (2) IYC 2025 National Seminar

NAFCARD organized the IYC 2025 National Seminar on 27.03.2025 at Chennai, Tamil Nadu in conjunction with the 178th Meeting of the Board of Management on 26.03.2025. The main objective of the Seminar was to enhance the role of ARDBs in agricultural, rural development and contribution to sustainable development goals and to prepare member banks for an enhanced role in achieving sustainable development goals. Dr. Moinul Hassan, Vice Chairman, chaired the Seminar session. Shri K.K. Ravindran, Managing Director presented the theme paper on 'Cooperatives Build Better World'. Dr. K. Shivaji, Additional Registrar of Cooperative Societies (Retd.) made a presentation on Contributions of Cooperatives to Sustainable Development and Social Change. Shri M. Murugan, Additional Registrar and Managing Director, Tamil Nadu CSARDB presented the success story of Tamil Nadu CSARDB in achieving turnaround by almost 90% of PCARDBs in the State from losses to profit in the last 3 years. The Seminar was attended by 30 participants consisting of Chairmen, CEOs and

Senior Officers of member banks of the Federation.

The Federation has prepared background Notes for IYC 2025, with information which includes the context and content of IYC 2025 and action plan of LTCCS during IYC, was released in the Seminar.

## (3) IYC 2025 Activities during the year

As per guidelines issued by the Ministry of Cooperation, the Federation convened the Online Meeting with member banks on 12th February 2025, to finalise action plan at State level. The Online meeting was attended by 28 representatives of member banks including Chairmen and CEOs. Shri Dolar Kotecha, Chairman chaired the meeting and Shri K.K. Ravindran, Managing Director made presentation on IYC 2025 including background, objectives and guidelines for preparing action plan. Action plan was finalized consisting of 10 State level Seminars, 2 National Seminars (of which one will be a Webinar) on IYC theme 'Cooperatives Build a Better World' and following sub-themes relevant to LTCCS.

- (1) Reforms in LTCCS for Rural Empowerment.
- (2) Enhancing Contributions of LTCCS to Sustainable Development.
- (3) Financial Inclusion through Digitization.

Action plan also include special programmes for increasing borrowing membership of Women & Youths and promoting agroforestry by farmers financed by ARDBs.

The schedule of State level Seminars is given below.

Sr. No.	Name of the State	Timing *	Venue
1	Gujarat	February 2025 – Last week	Ahmedabad
2	Tamil Nadu	March 2025 – Second half	Chennai
3	West Bengal	May 2025 – Last week	Kolkata
4	Karnataka	June 2025 – First half	Bengaluru
5	Punjab	July 2025 – Second half	Chandigarh
6	Haryana	August 2025 – First half	Panchkula
7	Rajasthan	August 2025 – Second half	Jaipur
8	Kerala	September 2025 -First half	Thiruvananthapuram
9	Himachal Pradesh	October 2025 – First half	Dharamshala
10	Uttar Pradesh	October 2025 – Second half	Lucknow

\* The dates are being decided and informed by SCARDBs concerned.

As per guidelines of MOC, the Federation and member banks started using IYC 2025 Logo in letterheads, other stationery, on name boards etc, special section for IYC 2025 news in Monthly Newsletter and ensuring coverage of IYC activities/ programmes at National, State and District level in the print and electronic media as well as on Social Media platforms of the Federation & Member Banks and launched separate section on IYC in the Website.

(B) CORE GROUP FOR REFORM INITIATIVES (CGRI)

Core Group for Reform Initiatives (CGRI) constituted by SCARDBs continue to have regular meetings in most of the banks. CGRI has been concentrating on deepening of self-driven reforms at the ground level. CGRI also reviews the impact of reforms already initiated in the core areas of new avenues of mobilising resources, introduction of new products, identifying critical areas and taking corrective actions to improve the rating of SCARDBs, preparation of manuals on functional areas with a view to evolve consistent policies and well documented procedure specifying authority and accountability at various levels as well as recovery and NPA management.

(C) SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT AND OUTREACH ACTION PLAN

The Federation started Social Media Accounts in 2023 for knowledge dissemination and business promotion by member banks. The links to these accounts are as below.

**1. Facebook Account**

Name - nafcard.coop  
Username - NAFCARD.COOP  
Profile URL -  
<https://www.facebook.com/NAFCARD.COOP>

**2. Instagram Account**

Name - NAFCARD.COOP  
Username - nafcard.coop  
Profile URL -  
<https://www.instagram.com/nafcard.coop>

**3. YouTube Account**

Name - NAFCARD WORLD  
Username - @nafcard\_world  
Profile URL -  
[https://www.youtube.com/@nafcard\\_world](https://www.youtube.com/@nafcard_world)

The Federation has recently finalised the Social Media engagement and Outreach Action Plan based on guidelines issued by the Ministry of Cooperation. The Action Plan includes constitution of Social Media team at Federation's office headed by Chief Director supported by one Senior Assistant and Social Media Coordinator in all SCARDBs. SCARDBs have since nominated one of their senior Officers in the Head Office as Social Media Coordinator, to join this team. The team will have weekly interaction online to review progress of outreach and decide on weekly actions. The Social Media Coordinator at State level are also assigned the work of sending weekly reports on news and activities at state level with focus on business promotion activities of the Bank. The outreach of Federation's Social Media accounts has reached a level of 9000 to 10000 viewership, which however is inadequate for a sector with a strength of about 50000 official and non-official functionaries at various levels and more than 100 lakh membership at ground level. On the above background, the action plan includes special efforts by the SCARDBs and PCARDBs to enroll the entire staff, Directors of SCARDBs and PCARDBs as well as members at ground level as much as possible in the social media platforms of the Federation.

(D) PUBLICATIONS

**Land Bank Journal Monthly Newsletter**

Federation started publishing Land Bank Journal Monthly Newsletter since 1st April 2023 and has published the same for all the 12 months during the year. The LBJ Newsletter is also published as an e-letter in addition to the printed version. The total circulation during 2024-25 of the newsletter has now reached circulation of 4000 subscribers by the end of the year. The newsletter covers important events in the sector and also reports on activities of member banks as well as news on important events in the cooperative sector at national level which also covers the programmes and initiatives by Ministry of Cooperation.

**Annual Statistical Bulletin**

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell.

Federation is trying to make this important publication up to date by streamlining the reporting system in order to remove the delay in getting ground level data. The Annual Statistical Bulletin for the year 2022-23 is published and circulated. The Annual Statistical Bulletin for the year 2023-24 is being released soon.

### **Monthly Progress Report of ARDBs**

Federation collects and compiles data on member

## **AFFILIATIONS**

### **At National level**

Federation is affiliated to the following organizations at the national level.

#### **National Cooperative Union of India (NCUI)**

Federation is a member of NCUI and associates actively with its programmes.

#### **Cooperative Bank of India (COBI)**

Federation is one of the founder members of COBI. Shri Dolar Kotecha, Chairman of the Federation was nominated to the General Meeting of COBI and is also an elected member on the Board of COBI.

#### **National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)**

Shri Dolar Kotecha, Chairman represents the Federation in the General Body and Board of NAFFAC.

#### **National Cooperative Development Corporation (NCDC)**

Shri Dolar Kotecha, Chairman has been nominated as Member of NCDC General Council under Section 3(4) (xvii) of NCDC Act.

Federation is also holding associate membership with the following organizations.

- Indian Merchants Chamber (IMC)
- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Society for Studies in Cooperation (ISSC)
- Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC)

banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt of India. Loans disbursements, Recovery performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report. The Monthly Progress Reports for the months from February 2024 to January 2025 are circulated.

### **Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)**

Managing Director, Federation is a member of General Council of CICTAB.

### **At International level**

- **International Cooperative Alliance (ICA)**

Federation is a member of ICA global as well as ICA Asia-Pacific Region. Federation also associates with various Committees of ICA.

- Shri Dolar Kotecha, Chairman represents the Federation in ICA General Assembly & Regional Assembly.
- Shri K.K. Ravindran, Managing Director was elected Chairman of ICA-AP Committee on Banking and Credit in the ICA-AP General Assembly held in Seoul, South Korea in November 2019.

- **International Raiffeisen Union (IRU)**

Federation is a member of IRU. Shri Dolar Kotecha, Chairman represents the Federation in the General Body of IRU.

## MANAGEMENT OF THE FEDERATION

### General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand), Patna.
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bengaluru.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Puducherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.

14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad

### Board of Management

As per Byelaw No.20 (i to v), The Board of Management of the Federation shall consist of:

- (i) One representative each of eligible members subject to a maximum of 20;
- (ii) One nominee of Central Govt. subject to provisions under section 48 of the Act;
- (iii) Maximum 2 persons having experience in the field of management, cooperative management and finance or specialization in any other field relating to objects and activities undertaken by the Federation, co-opted by the Board who shall not have the right to vote in any election of office bearers or be eligible to be elected as office bearers;
- (iv) Managing Director shall be the ex-officio member of the Board;
- (v) Functional Directors of the Federation shall also be members of the Board who shall be excluded for the purpose of counting the number of Directors.

The Board of Management of the Federation as on 31 March 2025 consists of the following persons:-

Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri Dolar Kotecha Chairman	Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
2.	Shri K. Ravinder Rao Vice Chairman	Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.
3.	Dr. Moinul Hassan Vice Chairman	West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
4.	Dr. A.R. Shivaram Vice Chairman	Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
5.	Shri Suresh Kumar Goyal Vice Chairman	Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.
6.	Dr Bijender Singh	Delhi State Cooperative Bank Ltd.
7.	Shri Bijay Kumar Singh	Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd (Bihar-Jharkhand)
8.	Shri W.K. Kyndiah	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
9.	Shri Sanjay Singh Chauhan	Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
10.	Shri M. Murugan	Tamil Nadu Co -operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
11.	Shri C.K. Shaji Mohan	Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
12.	Shri Dalip Singh Yadav	Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
13.	Shri K.K. Ravindran	Managing Director, NAFCARD

#### Executive Committee

As per Byelaw No.26(a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board.

- (1) **Shri Dolar Kotecha**, Chairman, (Gujarat State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- (2) **Shri Konduru Ravinder Rao**, Vice Chairman, (Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.)
- (3) **Dr. Moinul Hassan**, Vice Chairman, (West Bengal State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- (4) **Dr. A.R. Shivaram**, Vice Chairman, (Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- (5) **Shri Suresh Kumar Goyal**, Vice Chairman, (Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.)

(6) **Dr. Bijender Singh**, (Delhi State Cooperative Bank Ltd.)

(7) **Shri Sanjay Singh Chauhan**, (Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)

(8) **Shri Waibha K. Kyndiah**, (Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.)

(9) **Shri K.K. Ravindran**, Managing Director, NAFCARD

#### Administrative Committee

As per Byelaw No.27(a), the Administrative Committee consists of Chairman, 4 Vice Chairmen and the Managing Director. Following are the members of Administrative Committee as of 31/3/2025.

(1) **Shri Dolar Kotecha**, Chairman

(2) **Shri Konduru Ravinder Rao**, Vice Chairman

**(3) Dr. Moinul Hassan**, Vice Chairman

**(5) Shri Suresh Kumar Goyal**, Vice Chairman

**(4) Dr. A.R. Shivaram**, Vice Chairman

**(6) Shri K.K. Ravindran**, Managing Director

### Meeting of General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2024-25

The Meetings of the General Body, Board and Executive Committee during the year under report with dates and venues are listed below:

Meetings	Place	Date
<b>(a) Annual General Meeting</b>	Ahmedabad (Gujarat)	29 August 2024
<b>(b) Board of Management</b>		
175 <sup>th</sup> Board	Ahmedabad (Gujarat)	29 August 2024
176 <sup>th</sup> Board	Online (Zoom)	24 October 2024
177 <sup>th</sup> Board	Chandigarh	10 January 2025
178 <sup>th</sup> Board	Chennai (Tamil Nadu)	26 March 2025
<b>(c) Executive Committee Meeting</b>	Chandigarh	10 January 2025

#### Important issues discussed in Board Meetings

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under NABARD refinance, advances, recovery etc. also considered and discussed the following subjects in its meetings.

- 1) Financial package for Revival of LTCCS.
- 2) IRMA Study on Business Growth by LTCCS during Amrit Kaal and Compliance of Section 24 of MSCS Act 2002 by the Federation.
- 3) Centrally sponsored Scheme for Computerisation of ARDBs – State-wise status of implementation.
- 4) Admitting PCARDBs as Members of the Federation.
- 5) Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund (CRRDF) as per the provisions of the MSCS Act, 2002 -Suggestions for Framing Guidelines.
- 6) Notification regarding Creation of Institution of Cooperative Ombudsman under the MSCS Act 2002 & Rules there under.
- 7) Addendum to operational Guidelines of AMI Sub-Scheme of ISMA.
- 8) Continuation of Agri-Clinic & Agri-Business Centres Programme during 2024-25.
- 9) Communication received from National Film and Fine Arts Co-op. Ltd.(NAFFAC) regarding Additional Contribution to Share Capital
- 10) Report on 'Reforms, Restructuring & Innovations in ARDBs' Restructuring options suggested by MOC/NABARD in Modified Draft Report.
- 11) NCDC Funding support to SCARDBs.
- 12) Cooperative Election Authority Information Note – September 2024.
- 13) ICA General Assembly to Mark IYC 2025 - 2nd to 5th July 2025 in Manchester.
- 14) Information on OTS and Interest Subvention Schemes.
- 15) Cooperative Ranking Framework based on National Cooperative Database (NCD) Maintained by MOC.
- 16) Meeting with Chairman, NABARD on 05/03/2025.
- 17) IYC 2025 – 'Cooperatives Build a Better World' - Background Notes.
- 18) Review of performance by fully functional SCARDBs under Key operational areas during 2024-25 (April 2024 – January 2025).
- 19) Union Budget 2025-26.
- 20) Concept paper for Capital Infusion in NCDC for mobilizing additional Funds to meet the Term Loan and Working Capital Loan required for the Cooperative Sector.
- 21) Revised Operational guidelines of Agriculture Marketing Infrastructure (AMI) Scheme.

## FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure Accounts for the year 2024-25 are given below:

### ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Sr.No.	LIABILITIES	As on		Sr.No.	ASSETS	As on	
		31.3.2025	31.3.2024			31.3.2025	31.3.2024
1.	Reserves & Other Funds	2370.82	2194.49	1.	Cash & Bank Balances	0.66	19.39
2.	Secured Loans	562.22	538.09	2.	Investments	2832.62	2509.70
3.	Other Liabilities & Provisions	282.61	149.54	3.	Fixed Assets	173.74	193.60
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	20.15	21.30	4.	Sundry Debtors & Receivables	170.41	135.73
				5.	Loans & Advances	3.87	21.37
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	4.92	4.60
				7.	Income Tax (Advance tax & TDS Receivable)	49.58	19.03
	<b>TOTAL</b>	<b>3235.80</b>	<b>2903.42</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3235.80</b>	<b>2903.42</b>

### INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Amount	
		2024-25	2023-24
	<b>INCOME</b>		
1.	AMS & Additional contributions from member banks	103.93	80.93
2.	Interest, Dividend & LT Capital Gains (MF)	426.36	224.92
3.	Grants received (NABARD)	0.00	6.28
4.	Excess provision reversed/Prior Period Income/Provisions for BDDR	0.53	8.81
5.	Miscellaneous Incomes	12.15	1.73
	<b>TOTAL (1 to 5)</b>	<b>542.97</b>	<b>322.67</b>
	<b>EXPENDITURE</b>		
1.	Management Cost	157.80	157.61
2.	Other Office Expenses	77.44	43.18
3.	Meetings/Seminar/Conference Expenses/Trng. Prog.	4.38	12.85
4.	Premises Maintenance Expenses	6.34	6.08
5.	Provisions /Contributions to Reserves	78.81	55.93
6.	Other appropriations	198.05	25.72
	<b>TOTAL (1 to 6)</b>	<b>522.82</b>	<b>301.37</b>
	<b>Surplus</b>	<b>20.15</b>	<b>21.30</b>

## BRIEF PROFILE OF MEMBER BANKS

### Fully Functional SCARDB

#### The Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

489, Ashram Road, Opp. Nehru Bridge Corner, Ahmedabad – 380 009

Email: info@gscardbank.org / Website: www.khetibank.org

Telephone Nos: 079-26585365, 26585370, 26585371

**Chairman:** Shri Dollarrai V. Kotecha  
**Email :** dollar.kotecha@jcombank.com  
**Mobile :** 9924118900

**General Manager :** Dr.V.M. Chaudhari  
**Email :** vmchaudhari@gscardbank.org  
**Mobile :** 9408715114

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of Branches	176	176	177
Membership at Ground Level	293211	292759	291908
Loans Issued	27553.15	37336.67	36346.86
Loans Outstanding	64239.05	83364.50	95371.98
Staff			
i. SCARDBs	624	598	581
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	4707.29	5291.28	5262.19
Free Reserves	27675.39	27676.98	30473.71
Capital to Asset Ratio (%)	62.54	52.36	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	61514.45	58167.71	63630.60
- Collection	27663.22	28307.25	32806.52
- Balance	33851.23	29860.45	30824.08
- Recovery (%)	44.97	48.66	51.56

NR - Not Reported.

#### The Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Bays No. 31-34, Sahkarita Bhawan, Sector-2, Panchkula – 134 109

Email: dev.incharge@gmail.com / Website : hscardb.com

Telephone No.: 0172-2587040

**Chairman:** Sh. Amar Pal Rana  
**Email :** dev.incharge@gmail.com  
**Mobile :** 8930182000

**Managing Director :** Shri Naresh Goyal  
**Email :** pa2md.hscardb@gmail.com  
**Tel :** 9466520383

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of PCARDB Branches	70	70	70
Membership at Ground Level	730556	730197	725591
Loans Issued	9592.25	6367.15	7081.00
Loan Outstanding	172710.64	175834.75	177972.99
Staff			
i. SCARDBs	52	48	48
ii. PCARDBs	474	458	424
Total Paid up Capital	4281.02	4281.02	4281.02
Free Reserves	51155.63	51166.15	51174.77
Capital to Asset Ratio	4.79	NR	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	214037.00	209612.52	217665.20
- Collection	31482.00	10705.44	4141.95
- Balance	182555.00	198907.08	213523.25
- Recovery (%)	14.66	5.11	1.90

NR - Not Reported.

### The Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Block No-3D, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171 009

Email: hpardbank@gmail.com / Website: hpardb.in

Telephone Nos: 0177-2621137, 2621437, 2623837

**Chairman** : Shri Sanjay Singh Chauhan  
**Email** : s.sanjaysingh2002@gmail.com  
**Mobile** : 9418400033

**Managing Director** : Dr. Harish Gajju, (HAS)  
**Email** : mdhpscardb@gmail.com  
**Mobile** : 9418000088

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of PCARDB Branches	30	30	30
Membership at Ground Level	43925	46526	47480
Loans Issued	10561.60	11012.31	10563.23
Loans Outstanding	35653.28	42425.13	40001.45
Staff			
i. SCARDBs	179	172	167
ii. PCARDBs	57	54	48
Total Paid up Capital	2769.01	2872.01	2775.23
Free Reserves	1792.75	1781.75	1781.75
Capital to Asset Ratio (%)	261.59	254.05	214.21
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	21083.26	21653.96	23027.86
- Collection	7050.05	6209.54	7668.13
- Balance	14033.21	15444.42	15359.73
- Recovery (%)	33.44	28.68	33.30

### The Jammu & Kashmir State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

12, Post Office Lane, Hyderpora, Srinagar – 190 014

Email : scardbjk@rediffmail.com / Website : www.jkscardbb.org

Tel. Nos. : +911942431965, (HO)+911942431892 (HO Srinagar), Jammu +911912475548 (RO)

**Managing Director** : Shri Mohammad Aslam Bhatt

**Email** : ceo@jkscardb.com

**Mobile** : 9419003161

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of Branches	51	51	51
Membership at Ground Level	99542	99808	99956
Loans Issued	649.30	1623.01	816.39
Loans Outstanding	4801.26	5002.04	5087.21
Staff			
i. SCARDBs	201	194	194
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	2916.98	2919.53	NR
Free Reserves	237.63	237.63	NR
Capital to Asset Ratio (%)	-177.82	-204.47	NR
Recovery Position at Ground Level			
- Demand	3677.66	3355.75	3372.34
- Collection	1254.55	1120.59	744.28
- Balance	2423.11	2235.16	2628.06
- Recovery (%)	32.61	30.00	20.74

NR - Not Reported

### Karnataka State Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

Tippu sultan palace road, Chamarajpet, Bengaluru, Karnataka – 560 018

Email: md.kscardbank@gmail.com / Website: www.kscardbank.in

Telephone No. : 080-26702024

**President** : Shri K. Shadakshari  
**Email** : president.sldb@yahoo.com  
**Mobile** : 9844014111

**Managing Director** : Shri B.C.Sateesh  
**Email** : md.kscardbank@gmail.com  
**Mobile** : 9845008559

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of PCARDBs	181	183	184
Membership at Ground Level	1263722	1261696	1261696
Loans Issued	31005.57	35192.01	55404.65
Loans Outstanding	199133.59	199498.90	244248.92
Staff			
i. SCARDBs	243	234	226
ii. PCARDBs	445	419	406
Total Paid up Capital	8866.15	8939.91	NR
Free Reserves	9190.78	9433.79	NR
Capital to Asset Ratio (%)	8.91	10.37	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	82470.74	93962.03	65189.08
- Collection	48281.83	75294.06	41737.30
- Balance	34188.91	18667.97	23451.78
- Recovery (%)	58.54	80.13	64.02

NR - Not Reported.

### Kerala State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank Ltd.

PB. No.56, Statue Junction, Thiruvananthapuram – 695 001

Email: ho.cardbank@gmail.com / Website: www.keralalandbank.in

Telephone No : 0471-2460595

**Convener Administrative Committee** : Shri G. Harisankar  
**Email** : ho.cardbank@gmail.com  
**Mobile** : NR

**Managing Director** : Shri T.V. Subhash, IAS  
**Email** : md.kscardb@gmail.com  
**Mobile** : 9400304643

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of PCARDBs	77	77	77
Membership at Ground Level	1934754	1976439	NR
Loans Issued	280836.26	282625.80	319483.89
Loans Outstanding	783678.24	782475.16	801840.25
Staff			
i. SCARDBs	174	213	264
ii. PCARDBs	1234	1168	NR
Total Paid up Capital	23161.05	23592.58	24054.81
Free Reserves	65972.81	85437.96	85778.86
Capital to Asset Ratio (%)	2.48	2.57	2.39
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	411426.71	405114.53	459588.67
- Collection	261752.79	253747.99	291732.15
- Balance	149673.92	151366.54	167856.82
- Recovery (%)	63.62	62.64	63.48

NR - Not Reported

### Pondicherry Cooperative Central Land Development Bank Ltd.,

No. 24, Colas Nagar, Uppalam, Puducherry - 605 001

Email : [pccldbank@gmail.com](mailto:pccldbank@gmail.com)

Telephone Nos: 0413-2357985 / 2358827

**Chairman** : Thiru S. Murali  
**Email** : [pccldbank@gmail.com](mailto:pccldbank@gmail.com)  
**Mobile** : 9942533315

**Managing Director** : Thiru K. Maran  
**Email** : [pccldbank@gmail.com](mailto:pccldbank@gmail.com)  
**Mobile** : 9600993153

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of Branches	1	1	1
Membership at Ground Level	20525	20856	20738
Loans Issued	3957.39	4495.70	4226.93
Loans Outstanding	4824.25	5260.07	5444.37
Staff			
i. SCARDBs	28	27	25
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	561.73	580.03	NR
Free Reserves	565.14	563.88	NR
Capital to Asset Ratio (%)	5.21	NR	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	4690.24	3970.19	5040.34
- Collection	4274.83	3580.98	4658.11
- Balance	414.93	389.20	382.24
- Recovery (%)	91.15	90.20	92.42

NR - Not Reported

### The Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.

S.C.O 51-54, Bank Square, Sector- 17-B, Chandigarh – 160 017

Email : [sadbmd@gmail.com](mailto:sadbmd@gmail.com)

Telephone Nos.: 0172-2705834, 5011708

**Chairman** : Shri Pawan Kumar Tinu  
**Email** : [sadbchairman@gmail.com](mailto:sadbchairman@gmail.com)  
**Mobile** : NR

**Managing Director** : Smt. Barjinder Kaur Bajwa Addl. RCS  
**Email** : [sadbmd@gmail.com](mailto:sadbmd@gmail.com)  
**Mobile** : 9878670005

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of PCARDBs	89	89	89
Membership at Ground Level	834268	832480	832725
Loans Issued	507.22	0.00	0.00
Loans Outstanding	186489.84	161780.04	145935.69
Staff			
i. SCARDBs	112	121	82
ii. PCARDBs	594	536	550
Total Paid up Capital	7888.15	7888.15	7888.15
Free Reserves	46240.28	45938.22	45938.22
Capital to Asset Ratio (%)	32.96	33.92	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	267090.94	272914.89	278102.44
- Collection	38348.95	30745.14	28172.14
- Balance	228741.99	242169.75	249930.30
- Recovery (%)	14.36	11.27	10.13

NR - Not Reported.

### Rajasthan Raja Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.

Nehru Sahakar Bhavan, 22 Godown Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur – 302 005

Email:rsldbmd@yahoo.in / Website:www.rsldb.nic.in

Telephone No. 0141 - 2740440

**Administrator** : Shri Sandeep Khandelwal  
**Email** : addl2ho.coop@rajasthan.gov.in  
**Mobile** : 9950466755

**Managing Director** : Shri Jitendra Prasad  
**Email** : rsldbmd@yahoo.in  
**Mobile** : 9829120798

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of PCARDBs	36	36	36
Membership at Ground Level	1232689	1235689	NR
Loans Issued	15431.16	5284.80	1896.97
Loans Outstanding	158998.35	154139.15	91445.92
Staff			
i. SCARDBs	50	40	39
ii. PCARDBs	201	188	181
Total Paid up Capital	4134.55	4134.55	NR
Free Reserves	77969.54	86869.81	NR
Capital to Asset Ratio (%)	14.92	13.35	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	100503.50	95576.65	NR
- Collection	31482.49	19601.08	NR
- Balance	69021.01	75975.57	NR
- Recovery (%)	31.32	20.51	NR

NR - Not Reported.

### Tamil Nadu Cooperative State Agriculture and Rural Development Bank Ltd.,

No.181, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004.

Email : sldbchn@yahoo.co.in /tncsardbho@gmail.com

Telephone No. : 044 - 24993854

**Managing Director** : Shri. M. Murugan, Additional Registrar  
**Email** : tncsardbho@gmail.com  
**Mobile** : 7338850010

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of PCARDBs	180	180	180
Membership at Ground Level	1672713	1487529	897930
Loans Issued	109144.45	125028.91	174785.50
Loans Outstanding	97267.32	115080.98	150736.89
Staff			
i. SCARDBs	117	109	101
ii. PCARDBs	415	453	460
Total Paid up Capital	5277.60	5236.76	5216.76
Free Reserves	17257.69	17593.22	28865.86
Capital to Asset Ratio (%)	39.10	42.44	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	132580.86	149666.30	183596.81
- Collection	124759.13	142235.93	177752.36
- Balance	7821.73	7430.37	5844.45
- Recovery (%)	94.10	95.04	96.82

NR - Not Reported.

### Tripura Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

O/O RCS, Palace Compound, Agartala – 799 001

Email : tcardsbtd.2012@gmail.com

Telephone No.: 0381 - 2323972

**General Manager : Shri Radha Mohan Debbarma**

**Email : tcardsbtd.2012@gmail.com**

**Mobile : 8974704432**

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of PCARDBs	5	5	5
Membership at Ground Level	955706	955706	955706
Loans Issued	13.50	74.45	0.00
Loans Outstanding	784.80	793.62	726.32
Staff			
i. SCARDBs	19	19	19
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	955.71	957.10	952.28
Free Reserves	8.87	8.67	8.67
Capital to Asset Ratio (%)	NR	NR	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	885.47	784.72	708.64
- Collection	114.17	65.55	67.30
- Balance	771.30	719.17	641.34
- Recovery (%)	12.89	8.35	9.50

NR - Not Reported.

### Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.

10, Mall Avenue, Lucknow – 226 001

Email : upsgvb@yahoo.in / Website:www.upsgvb.in

Telephone Nos.: 0522-2238844, 2238855

**Chairman : Shri Santraj Yadav**

**Email : santarajyadav@gmail.com**

**Mobile : 9415356478**

**Managing Director : Shri Rajesh Kumar Kulshreshtha**

**Email : md.upsgvb@gmail.com**

**Mobile : 9005433333**

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of Branches	323	323	323
Membership at Ground Level	1421120	1410573	1421925
Loans Issued	27066.62	40854.00	39316.31
Loans Outstanding	257862.28	269309.66	282248.94
Staff			
i. SCARDBs	2560	2520	2459
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	27536.51	28187.75	28946.92
Free Reserves	26142.73	26190.30	26224.92
Capital to Asset Ratio (%)	31.82	32.09	30.74
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	188675.93	207415.66	199899.85
- Collection	54079.78	61691.68	54054.59
- Balance	134596.15	145723.98	145845.26
- Recovery (%)	28.66	29.74	27.04

### West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, CIT Scheme- VIII (M), Ultadanga, Kolkata - 700 067

Email : wbcardb@gmail.com / Website:www.wbcardb.com

Telephone Nos.: 033 - 23560028, 23560065

**Special Officer** : Dr. Moinul Hassan  
**Email** : moinulhassan@hotmail.com  
**Mobile** : 9434100000

**Managing Director** : Shri Chinmoy Gupta  
**Email** : md@wbcardb.com  
**Mobile** : 9903654589

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of PCARDBs	24	24	24
Membership at Ground Level	419014	434146	420688
Loans Issued	40352.15	41096.58	46387.43
Loans Outstanding	150362.50	150652.75	153714.80
Staff			
i. SCARDBs	77	76	78
ii. PCARDBs	599	590	572
Total Paid up Capital	10078.59	10233.64	10413.90
Free Reserves	15007.52	16180.79	10808.49
Capital to Asset Ratio (%)	3.20	3.11	3.10
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	104759.11	107212.09	114330.23
- Collection	42036.87	41408.05	44610.41
- Balance	62722.24	65793.08	69719.82
- Recovery (%)	40.13	38.62	39.02

NR - Not Reported.

### STATE COOPERATIVE BANKS (SCB)

#### The Delhi State Cooperative Bank Ltd.

31, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi - 110 002

Email : bkg.dscb@gmail.com

Telephone No.: 011-41705038

**Chairman** : Dr. Bijender Singh  
**Email** : dscbho@gmail.com  
**Mobile** : 9810830255

**Managing Director** : Shri R.K. Kadyan  
**Email** : md.dscb@gmail.com  
**Mobile** : 9899363942

**Staff Position :-** HO : 47  
Branches: 412

**Interest rate :** On Loans: 7% to 17.00%  
On Deposit Collection: 3% to 7.05%

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Loans Outstanding	89513.49	97080.21	105948.10
Loans Disbursed	27775.86	26172.05	30321.69
Total Paid up Capital	2016.51	2093.68	2225.45
Free Reserves	33083.20	39103.33	41561.80
Capital to Asset Ratio (%)	53.78	53.75	50.53
Deposit Outstanding	134549.02	133542.80	135552.47
Borrowings Outstanding	-	-	-
Net Profit	2714.39	2279.24	2177.83
Accumulated losses, if any	-	-	-
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	60319.39	64476.33	66644.71
- Collection	59373.77	63504.38	65618.85
- Balance	945.62	971.95	1025.86
- Recovery (%)	98.43	98.49	98.46

### The Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.

M.G. Road, Shillong – 793 001

Email : headoffice@megcab.com / Website:www.megcab.com

Telephone Nos : 0364–2225190, 2224160

**Chairman** : Shri Waibha K. Kyndiah  
**Email** : headoffice@megcab.com  
**Mobile** : 7702331133

**Managing Director** : Shri Osmand E.J. Nongbri  
**Email** : headoffice@megcab.com  
**Mobile** : 9402306321

**Staff Position :-** HO : 131  
Branches : 329

**Interest rate :** On Loans: 7% to 12.50%  
On Deposit Collection: 3.50% to 7.50%

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Loans Outstanding	169240.65	187443.01	190940.21
Loans Disbursed	13636.29	15888.96	16936.97
Total Paid up Capital	1005.61	1022.45	1092.78
Free Reserves	19141.18	20771.02	22508.13
Capital to Asset Ratio (%)	18.97	24.58	23.01
Deposit Outstanding	351069.90	376429.24	396569.04
Borrowing Outstanding	5233.81	6036.08	5606.55
Net Profit/ Loss	1477.46	1669.53	1831.83
Accumulated losses, if any	0.00	0.00	0.00
Recovery position at Ground Level			
- Demand	13048.34	21449.08	NR
- Collection	4355.27	12572.45	NR
- Balance	8693.07	8876.63	NR
- Recovery (%)	33.38	58.62	NR

NR - Not Reported.

### Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.

4-1-441, Bank Street, Troop Bazar, Abids, Hyderabad – 500 001

Email : mdoffice@tscab.org / Website:www.tscab.org

Telephone Nos: 040-24685520 / 24685541 / 24685510

**President** : Shri Marneni Ravinder Rao  
**Email** : presidentoffice@tscab.org  
**Mobile** : 7702331133

**Managing Director** : Shri Yadla Krishna Rao  
**Email** : mdoffice@tscab.org  
**Mobile** : NR

**Staff Position** : NR

**Interest rate** : NR

#### Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Loans Outstanding	1161848.00	1297477.07	NR
Loans Disbursed	1080501.46	881453.62	NR
Total Paid up Capital	33086.44	37972.18	NR
Free Reserves	72857.00	90032.71	NR
Capital to Asset Ratio (%)	10.46	10.14	NR
Deposit Outstanding	740291.00	798073.68	NR
Borrowing Outstanding	850878.00	888834.00	NR
Net Profit/ Loss	9631.00	6917.89	NR
Accumulated losses, if any	0.00	0.00	NR
Recovery position at Ground Level			
- Demand	768566.07	812159.27	NR
- Collection	759014.79	802139.13	NR
- Balance	9551.28	10020.14	NR
- Recovery (%)	78.76	98.77	NR

NR - Not Reported.

**OTHER SCARDB**
**Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd.**

Bhumi Vikas Bank Bhawan, Budh Marg, Patna – 800 001

Email : ldbpat@gmail.com

Telephone Nos. : 0612-2226221,2226222

**Chairperson** : Smt. Mamta Singh

**Email** : ldbpat@gmail.com

**Tel.** : 0612-2223853

**Managing Director** : Dr. Kaushalendra Singh

**Email** : ldbpat@gmail.com

**Mobile** : 9430265715

**Key Financial Parameters (₹ Lakhs)**

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Number of Branches	151	151	151
Membership at Ground Level	702362	702362	702362
Loans Issued	0.00	0.00	492.85
Loans Outstanding	3335.80	3178.76	3021.72
Staff			
i. SCARDBs	363	361	358
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	2812.33	2808.40	NR
Free Reserves	43935.04	43935.04	NR
Capital to Asset Ratio (%)	2.68	2.60	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	42700.93	42461.04	42619.67
- Collection	4687.95	4430.96	3143.85
- Balance	38012.98	38030.08	39475.82
- Recovery (%)	10.97	10.43	7.37

NR - Not Reported.

## REPORT ON MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2024-25

Data on operations of 13 fully functional SCARDBs during 2024-25 are furnished in Statements given in the **Annexures** of this Report.

### 1. Loans Advances

The total advances of 13 fully functional SCARDBs as on 31 March 2025 were ₹6890.52 crores as against ₹5798.54 crores compared to the previous year. Aggregate lending by SCARDBs increased by ₹1091.98 crores registering an impressive growth of 18.83% during the year. Karnataka, Kerala, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal SCARDBs contributed most part of the growth in lending during the year.

### 2. Loans Outstanding

Total loans outstanding of SCARDBs as on 31.3.2025 stood at ₹22430.58 crores as against ₹21362.28 crores during the previous year showing 5% growth during the year. Out of 13 fully functional SCARDBs, 8 banks viz. Gujarat, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Pondicherry, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh have registered growth in loans outstanding during the year.

### 3. Borrowings

Total Borrowings by 7 SCARDB during the year stood at ₹3941.67 crores as against ₹2961.58 crores in the previous year. The composition of resources raised from different agencies shows that, 73% of borrowings was sourced from NABARD while NCDC and others including State Govt., NHB, SCB, etc. accounted for the balance of 27%. Further, only 6 out of 13 fully functional SCARDBs were given refinance by NABARD during the year.

### 4. Borrowings Outstanding

The total borrowings outstanding of SCARDBs

increased by 8.31% to ₹13546.98 crores as on 31.3.2025 as against ₹12507.88 crores in the previous year with about 81% of the total sourced from NABARD.

### 5. Deposits Outstanding

Total outstanding deposits of SCARDBs, as on 31 March 2025 were ₹2366.71 crores as against ₹2234.27 crores as of 31 March 2024. Karnataka and Tamil Nadu SCARDBs, occupy first two positions in deposit mobilization followed by, Kerala, West Bengal, Gujarat, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab while deposit mobilization is yet to pick up momentum in Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Out of 12 banks, 8 SCARDBs increased deposits outstanding during the year.

### 6. Financial Details

According to pre-audited data for the year, 9 banks earned net profits during the year. Total profits earned by these banks during the year stood at ₹248.20 crores as against ₹297.67 last year, while the remaining 4 banks incurred losses aggregating ₹164.44 crores compared to ₹563.27 crores in the previous year. Haryana SCARDB reduced their losses substantially from ₹518.77 crores in 2023-24 to ₹124.18 crores during the year.

### 7. Non-Performing Assets (NPA)

The gross NPAs of SCARDBs during the year remained almost at the same level of 39%. Only Kerala and Pondicherry could contain the NPA at tolerable levels of 13.39% and 2.82% respectively. While gross NPAs of all other SCARDBs stood above 20%.

### 8. Recovery Position

DCB Position of SCARDBs indicate a slight decline

during the year at both the levels (Apex and Ground). Aggregate average recovery of SCARDBs at apex level stood at 43.38% compared to 45.06% during the previous year. Aggregate Recovery at Ultimate Borrowers' level showed a slight decline during the year from 41.40% to 40.67%.

#### **i. At Apex level**

At Apex Level, the total demand of SCARDBs during 2024-25 stood at ₹13962.08 crores as against ₹13451.51 crores in previous year, whereas collections decreased from ₹6060.61 crores to ₹6056.44 crores during the year. The aggregate overdues at SCARDB level increased from ₹7389.76 crores to ₹7905.18 crores during the year.

#### **ii. At Ground Level**

At the Ultimate Borrowers level, total demand stood at ₹17487.76 crores in 2024-25 as against ₹16293.43 crores in 2023-24 registering an increase of 7.33%. Against this, recoveries during 2024-25 were ₹7111.64 crores compared to ₹6745.36 crores in the previous year registering an increase of 5.43%. However, the aggregate overdues at Ultimate Borrowers level also increased by 8.68% from ₹9546.93 crores in 2023-24 to ₹10375.67 crores in 2024-25.

### **9. Staff Position**

The total staff position of 13 fully functional SCARDBs was 4279 during 2024-25 as against 4371 during the previous year. Similarly the total staff of PCARDBs also came down by 39 from 4084 in 2023-24 to 4045 in 2024-25.

### **10. Organizational Network (Outlets)**

Total number of operational units decreased from 1853 during 2023-24 to 1850 during 2024-25. The number of branches of SCARDBs decreased from 643 in 2023-24 to 639 in the previous year. Similarly, the number of PCARDBs increased during the

year to 610 from 609 as compared to the previous year, while the Supervisory Units and Branches of PCARDBs remained constant at 83 and 518 respectively as compared to previous year.

### **11. Membership**

The total membership of 13 fully functional SCARDBs during the year stood at 92.98 lakhs from 99.30 lakhs in 2024-25. The number of borrowing membership decreased by 9.11 lakhs during the year under review from 39.54 lakhs (31.3.2024) to 30.43 lakhs (31.3.2025), in view of major reduction in numbers (5.90 lakhs) of Tamil Nadu CSARDB which constitutes to 6.36% decline in overall membership of banks. Similarly, the number of Non-borrowing membership also decreased by 9.59 lakhs during 2024-25 at 50.16 lakhs as against 59.76 lakhs during 2023-24.

The above analysis is based on the data furnished by the member banks based on the unaudited figures of 2024-25 (tentative). For banks which did not report the required information for the year 2024-25, figures of 2023-24 are considered for review of operations.

## ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Government of India, Ministry of Cooperation, NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Cooperation. The Board of Management places on record its gratitude to the Ministry of Cooperation, Government of India for their policy guidelines and continued support for economic revival through technology adoption for LTCCS.

NABARD from its inception has been extending refinance as well as development support to SCARDBs. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBs and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We express our profound gratitude to the Chairmen, CEOs and staff of all our member banks for their cooperation and support which enabled Federation to deliver its services for the development of the sector during the

year under report. The Board of Management also places on record the valuable contributions of Shri Dolar Kotecha, Chairman for his able leadership to the Federation and in taking up the issues concerning LTCCS with GOI and other agencies concerned effectively. We also express our gratitude to the Vice Chairpersons Shri K. Ravinder Rao, Dr. Moinul Hassan, Shri Suresh Kumar Goyal and Dr. A.R. Shivaram who gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

Sd/-

**Dolar Kotecha**  
Chairman

**TABLE 1 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING**

(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Loans Disbursed During 2024-25				Loans Disbursed During 2023-24	Loans Outstanding as on 31 March 2025				Loans Outstanding as on 31 March 2024		
		Farm Sector	Non Farm Sector	Rural Housing Sector	Others (S.T. Loans)		Total Loans Disbursed	Farm Sector	Non Farm Sector	Rural Housing Sector		Others (S.T. Loans)	Total Loans Outstanding
1.	Gujarat	31548.45	4782.21	16.20	0.00	36346.86	37484.31	81938.09	12290.25	2272.78	0.00	96501.12	83364.50
2.	Haryana	3918.95	1454.00	669.70	927.00	6969.65	7521.50	114549.68	20827.89	16326.76	24130.43	175834.76	178896.09
3.	Himachal Pradesh	7823.51	816.61	0.00	1925.11	10565.23	11011.81	29822.41	2742.95	0.00	7436.09	40001.45	42425.14
4.	Jammu & Kashmir	270.02	43.71	177.63	325.03	816.39	1623.01	3205.23	286.12	493.89	1101.97	5087.21	5002.04
5.	Karnataka	54988.33	0.00	0.00	416.32	55404.65	35192.01	241833.01	165.47	324.82	2025.62	244348.92	199498.86
6.	Kerala	160181.97	26898.70	102760.38	29642.83	319483.88	282625.80	319061.15	78410.28	366332.18	38036.64	801840.25	782473.16
7.	Pondicherry	0.00	0.00	0.00	4226.93	4226.93	4495.70	0.00	2.78	0.00	5441.59	5444.37	5260.07
8.	Punjab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87964.60	1376.58	56315.24	279.27	145935.69	161780.04
9.	Rajasthan	9629.72	58.00	995.07	0.00	10682.79	5284.80	-	-	-	-	155011.48	154139.14
10.	Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	174785.50	174785.50	125028.91	2115.21	5612.78	2117.50	143006.41	152851.90	115080.98
11.	Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.45	0.00	726.32	0.00	0.00	726.32	793.62
12.	Uttar Pradesh	25781.10	11568.56	0.00	1967.80	39317.46	40854.00	203657.56	50205.94	3102.68	25129.84	282096.02	269156.13
13.	West Bengal	24833.36	1256.00	1476.59	2886.88	30452.83	28657.80	102696.21	5171.85	18832.18	10678.61	137378.85	138357.79
<b>TOTAL [1 to 13]</b>		<b>1318975.41</b>	<b>46877.79</b>	<b>106095.57</b>	<b>217103.40</b>	<b>689052.17</b>	<b>579854.10</b>	<b>1186843.15</b>	<b>177819.21</b>	<b>466118.03</b>	<b>257266.47</b>	<b>2243058.34</b>	<b>2136227.56</b>

Note: - Bifurcation not available.

**TABLE 2 - BORROWINGS DURING THE YEAR**  
(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Raised During 2024-25				Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	2024-25 (3+4+5+6)	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gujarat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Haryana	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	3200.00
3.	Himachal Pradesh	7800.00	0.00	0.00	0.00	7800.00	8800.00
4.	Jammu & Kashmir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Karnataka	54779.78	0.00	2350.00	0.00	57129.78	41605.00
6.	Kerala	155400.00	0.00	0.00	0.00	155400.00	100000.00
7.	Pondicherry	0.00	0.00	0.00	1229.40	1229.40	1099.79
8.	Punjab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Rajasthan	6000.00	0.00	0.00	8159.36	14159.36	22242.40
10.	Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	18817.00	18817.00	0.00
11.	Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Uttar Pradesh	31045.77	0.00	0.00	27087.74	58133.51	62718.64
13.	West Bengal	32815.00	0.00	0.00	47683.36	80498.36	56491.80
	<b>TOTAL [1 to 13]</b>	<b>287840.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3350.00</b>	<b>102976.86</b>	<b>394167.41</b>	<b>296157.63</b>

**TABLE 3 - BORROWINGS OUTSTANDING** (₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Borrowings Outstanding as on 31 March 2025					Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	As on 31/03/2025 (3+4+5+6)	As on 31/03/2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Gujarat	2200.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	5650.00	
2.	Haryana	0.00	3441.00	105685.35	0.00	109126.35	108126.22	
3.	Himachal Pradesh	27360.79	610.05	20.12	0.00	27990.96	26424.47	
4.	Jammu & Kashmir	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00	
5.	Karnataka	146393.76	283.38	4625.14	0.00	151302.28	127324.99	
6.	Kerala	640606.80	31.95	0.00	18404.33	659043.08	595987.33	
7.	Pondicherry	0.00	0.00	0.00	478.45	478.45	473.82	
8.	Punjab	35631.16	19.86	0.00	10467.70	46118.72	60090.50	
9.	Rajasthan	47404.12	220.28	220.28	42129.24	89973.92	89238.57	
10.	Tamil Nadu	0.00	0.00	6389.87	15828.00	22217.87	6412.37	
11.	Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.	Uttar Pradesh	82740.41	0.00	27200.00	13533.91	123474.32	104527.83	
13.	West Bengal	108124.47	0.00	0.00	14031.74	122156.21	125915.67	
	<b>TOTAL [1 to 13]</b>	<b>1090461.51</b>	<b>4885.80</b>	<b>144477.48</b>	<b>114873.37</b>	<b>1354698.16</b>	<b>1250787.77</b>	

**TABLE 4 - DEPOSIT MOBILIZATION**

(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Deposit Outstanding as on			
		31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
1.	Gujarat	23810.08	23285.78	22454.94	24978.75
2.	Haryana	346.25	10.66	10.66	11.31
3.	Himachal Pradesh	12513.05	14447.29	16699.18	18674.10
4.	Jammu & Kashmir	16465.20	17123.61	18228.89	18968.43
5.	Karnataka	48431.17	50590.87	47272.21	46836.93
6.	Kerala	30368.17	33880.25	37041.58	39628.92
7.	Pondicherry	4106.19	4765.40	4801.95	4818.53
8.	Punjab	24895.05	18046.32	15303.47	10366.38
9.	Rajasthan	177.48	172.46	170.32	0.00
10.	Tamil Nadu	29956.57	33116.69	33822.90	43798.92
11.	Uttar Pradesh	3052.00	1407.70	930.20	806.84
12.	West Bengal	25231.45	25498.50	26690.15	27782.18
	<b>TOTAL [1 to 12]</b>	<b>219352.66</b>	<b>222345.53</b>	<b>223426.45</b>	<b>236671.29</b>

**TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)**

(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Profit / Loss as on		Accumulated Loss as on	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	Gujarat	7500.00	6430.21	0.00	0.00
2.	Haryana	(12418.41)	(51876.73)	107937.54	95519.13
3.	Himachal Pradesh	1406.89	(428.39)	0.00	1367.64
4.	Jammu & Kashmir	(1791.74)	(1871.74)	19430.47	17638.73
5.	Karnataka *	3140.98	3140.98	0.00	0.00
6.	Kerala	3881.04	3505.74	0.00	0.00
7.	Pondicherry	40.44	110.84	280.56	321.00
8.	Punjab *	419.79	419.79	0.00	0.00
9.	Rajasthan *	(2150.14)	(2150.14)	0.00	0.00
10.	Tamil Nadu	6578.00	6265.38	0.00	0.00
11.	Tripura	(83.72)	21.64	1942.39	1858.66
12.	Uttar Pradesh	1700.77	9831.08	0.00	0.00
13.	West Bengal	152.05	62.48	824.97	744.54

Note :- (1) Figures in brackets indicate loss.

(2) \*Position as on 31.03.2024 is considered for review.

**TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)**

(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	As on 31 March 2025			As on 31 March 2024		
		Total Loan Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding	Total Loans Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding
1.	Gujarat	96501.12	22937.02	23.77	83364.50	24657.92	29.58
2.	Haryana	177972.94	160717.41	90.30	172710.64	155684.82	90.14
3.	Himachal Pradesh	40001.45	14697.28	36.74	42423.14	15203.66	35.84
4.	Jammu & Kashmir	5087.21	2256.15	44.35	5002.04	2312.08	46.22
5.	Karnataka *	199498.86	74926.04	37.56	199498.86	74926.04	37.56
6.	Kerala	801840.24	107395.08	13.39	782475.16	92531.04	11.83
7.	Pondicherry	5444.37	153.36	2.82	5260.07	156.36	2.97
8.	Punjab	145935.69	125000.00	85.65	161780.04	113828.36	70.36
9.	Rajasthan *	154139.15	95049.87	61.66	154139.15	95049.87	61.66
10.	Tamil Nadu *	115080.98	11073.18	9.62	115080.98	11073.18	9.62
11.	Tripura	726.32	678.50	93.42	793.62	708.64	89.29
12.	Uttar Pradesh	253697.96	187190.53	73.78	240821.74	183462.43	76.18
13.	West Bengal *	137378.86	33701.28	24.53	138357.79	37126.23	26.83
	<b>TOTAL [1 to 13]</b>	<b>2133305.15</b>	<b>835775.70</b>	<b>39.18</b>	<b>2101707.73</b>	<b>806720.63</b>	<b>38.38</b>

Note : \*Position as on 31.03.2024 is considered for review ..

**TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION**

(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	At Apex Bank Level as on 31 March 2025				Recovery (%) as on 31.03.2024	At Ultimate Borrowers' Level as on 31 March 2025				Recovery (%) as on 31.03.2024
		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	
1.	Gujarat	60975.19	32277.90	28697.29	52.94	48.61	32277.90	28697.29	52.94	48.61	
2.	Haryana	197335.59	7939.87	189395.72	4.02	5.90	9112.75	208552.45	4.19	5.11	
3.	Himachal Pradesh	21602.21	6242.48	15359.73	28.90	23.75	7668.13	15359.73	33.30	28.68	
4.	Jammu & Kashmir	3372.34	699.32	2628.06	20.74	30.00	699.32	2628.06	20.74	30.00	
5.	Karnataka	108074.80	16130.67	91944.13	14.93	36.03	41737.30	23451.78	64.02	80.13	
6.	Kerala	327219.23	274067.04	53152.19	83.76	84.90	291732.15	167856.52	63.48	62.64	
7.	Pondicherry	5040.34	4658.11	382.23	92.42	90.20	4658.11	382.23	92.42	90.20	
8.	Punjab	109336.92	24075.15	85261.77	22.02	22.92	28172.14	249930.30	10.13	11.27	
9.	Rajasthan	123570.10	7409.56	116160.54	6.00	15.48	18621.70	118658.00	13.56	20.51	
10.	Tamil Nadu	147671.13	136362.38	11308.75	92.34	90.11	177752.36	5844.45	96.82	95.04	
11.	Tripura	708.64	67.30	641.34	9.50	8.35	67.30	641.34	9.50	8.35	
12.	Uttar Pradesh	199899.85	54054.59	145845.26	27.04	29.74	54054.59	145845.26	27.04	29.74	
13.	West Bengal	91401.17	41659.78	49741.39	45.58	40.43	44610.41	69719.82	39.02	38.62	
	<b>TOTAL [1 to 13]</b>	<b>1396207.51</b>	<b>605644.15</b>	<b>790518.40</b>	<b>43.38</b>	<b>45.06</b>	<b>711164.16</b>	<b>1037567.23</b>	<b>40.67</b>	<b>41.40</b>	

**TABLE 8 - STAFF POSITION DETAILS**

Sr. No.	Name of SCARDB	Staff Position of SCARDBs During						Staff Position of PCARDBs During					
		2024-25			2023-24			2024-25			2023-24		
		Male	Female	Toatal	Male	Female	Toatal	Male	Female	Toatal	Male	Female	Toatal
1.	Gujarat	506	75	581	516	82	598	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Haryana	40	6	46	41	7	48	387	37	424	408	50	458
3.	Himachal Pradesh	118	49	167	123	49	172	5	43	48	46	8	54
4.	Jammu & Kashmir	161	33	194	161	33	194	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Karnataka	151	75	226	157	77	234	272	134	406	279	140	419
6.	Kerala *	93	171	264	90	123	213	NR	NR	1381	NR	NR	1381
7.	Pondicherry	21	4	25	23	4	27	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.	Punjab	60	22	82	87	34	121	494	56	550	487	49	536
9.	Rajasthan	34	5	39	35	5	40	168	13	181	177	11	188
10.	Tamil Nadu	54	47	101	60	49	109	344	116	460	344	109	453
11.	Tripura	16	3	19	16	3	19	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12.	Uttar Pradesh	2178	281	2459	2235	285	2520	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13.	West Bengal	64	14	78	62	14	76	499	73	572	517	73	590
	<b>TOTAL [1 to 13]</b>	<b>3496</b>	<b>785</b>	<b>4281</b>	<b>3606</b>	<b>765</b>	<b>4371</b>	<b>2169</b>	<b>472</b>	<b>4022</b>	<b>2258</b>	<b>440</b>	<b>4079</b>

Note :- (1) NA - Not Applicable.  
(2) NR - Not Reported.  
(3) \* Position as on 31.03.2024 is considered for review.

**TABLE 9 - ORGANISATIONAL NETWORK**

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Number of Branches (Unitary / Mixed Structures)		No. of Supervisory Units (Regional/ Divisional/Zonal Offices)		No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures)		No. of Branches of PCARDBs (Federal/ Mixed Structure)		Total Network	
		31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024
1.	Gujarat	177	176	0	0	NA	NA	NA	NA	177	176
2.	Haryana	0	0	0	0	19	19	70	70	89	89
3.	Himachal Pradesh	51	51	0	0	1	1	30	30	82	82
4.	Jammu & Kashmir	47	51	2	2	NA	NA	NA	NA	49	53
5.	Karnataka	25	25	0	0	184	183	0	0	209	208
6.	Kerala *	0	0	14	14	77	77	194	194	285	285
7.	Pondicherry	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	2	2
8.	Punjab	0	0	24	24	89	89	0	0	113	113
9.	Rajasthan	0	0	2	2	36	36	124	124	162	162
10.	Tamil Nadu	0	0	22	22	180	180	0	0	202	202
11.	Tripura	5	5	0	0	NA	NA	NA	NA	5	5
12.	Uttar Pradesh	323	323	18	18	NA	NA	NA	NA	341	341
13.	West Bengal	11	11	0	0	24	24	100	100	135	135
	<b>TOTAL [1 to 13]</b>	<b>640</b>	<b>643</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>610</b>	<b>609</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>1851</b>	<b>1853</b>

 Note :- (1) NA - Not Applicable.  
 (2) \* Position as on 31.03.2024 is considered for review.

**TABLE 10 - DETAILS OF MEMBERSHIP AND ELECTED BOARD (SCARDBs)**

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Borrowing Members		Non-borrowing Members		Total Membership (Borrowings+Non-Borrowings)		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Boards	
		31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024
1.	Gujarat	291908	293285	8330	7841	300238	301126	Yes	Yes	NA	NA
2.	Haryana	70068	72638	655523	657559	725591	730197	Yes	Yes	14	14
3.	Himachal Pradesh	14146	13398	104166	100805	118312	114203	Yes	Yes	1	1
4.	Jammu & Kashmir	78090	78016	21866	21792	99956	99808	No	No	NA	NA
5.	Karnataka *	680575	680575	581121	581121	1261696	1261696	Yes	Yes	182	181
6.	Kerala	1241112	1314910	693642	661529	1934754	1976439	Yes	Yes	77	76
7.	Pondicherry	3196	3181	17660	17557	20856	20738	No	No	NA	NA
8.	Punjab	51796	56835	780929	775645	832725	832480	Yes	Yes	82	87
9.	Rajasthan	NR	725526	NR	510163	1238201	1235689	No	No	21	21
10.	Tamil Nadu	93167	168211	804763	1319318	897930	1487529	No	No	0	0
11.	Tripura	1232	1523	24269	24269	25501	25792	No	No	NA	NA
12.	Uttar Pradesh	353916	378541	1068009	1032032	1421925	1410573	Yes	Yes	NA	NA
13.	West Bengal	163972	167443	255956	265960	419928	433403	NR	No	12	7
	<b>TOTAL [1 to 13]</b>	<b>3043178</b>	<b>3954082</b>	<b>5016234</b>	<b>5975591</b>	<b>9297613</b>	<b>9929673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>389</b>	<b>387</b>

 Note:- (1) NA - Not Applicable.  
 (2) NR - Not Reported.  
 (3) \* Position as on 31.03.2024 is considered for review.



175th Meeting of the Board of Management of the NAFCARD held on 29 August 2024 at Gujarat SCARDB, Ahmedabad. (seen on dias are Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri Narhari Amin, MP, Rajya Sabha, Dr. Bijender Singh, President Delhi SCB, Dr. Chandrapal Singh Yadav, President ICA-AP)



175th Annual General Meeting held on 29 August 2024 at Gujarat SCARDB, Ahmedabad. (seen on dias Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri K.K. Ravindran, MD, NAFCARD, Dr. Bijender Singh, President Delhi SCB)



177th Meeting of the Board of Management of the NAFCARD held on 10 January 2025 at Chandigarh. (seen on dias Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri Ravinder Rao, Shri Suresh Goyal, Vice Chairman, NAFCARD, Smt. Barjinder Bajwa, MD, Punjab SCARDB and Shri K.K. Ravindran, MD, NAFCARD)



178th Meeting of the Board of Management of the NAFCARD held on 26 March 2025 at Chennai. (seen on dias Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri A.R. Shivaram, Dr. Moinul Hassan, Vice-chairman, NAFCARD, Dr. Bijender Singh, President, Delhi SCB, and Shri K.K. Ravindran, MD, NAFCARD and other delegates of the Board)



NAFCARD Chairman Shri Dolar Kotecha and Shri K.K. Ravindran, Managing Director met Shri K.V. Shaji, Chairman NABARD on 05.03.2025 at NABARD HO, Mumbai to discuss about recommendations in the NABCONS study report on 'Reforms, Restructuring & Innovations in ARDBs'.



Meeting with Shri K.V. Shaji, Chairman, NABARD with the representatives of the NAFCARD and Kerala SCARDB at NABARD H.O. on 20th September 2024. The meeting was attended by Adv. C.K. Shaji Mohan, President, and Shri Anil Kumar Regional Manager from Kerala SCARDB, Shri K.K. Ravindran, MD and Smt. Rajashree V.N., CD from the NAFCARD. Dr. K.S. Mahesh, CGM, Dept. of Refinance (DOR), NABARD and Shri S.K. Nanda were also present.

ICY 2025 National Seminar



NAFCARD organized the IYC 2025 National Seminar on 27.03.2025 at Chennai, Tamil Nadu



Online (Zoom) Board Meeting on Modified Study Report on 'Reforms, Restructuring & Innovations in ARDBs' at 11.00 AM on Thursday, 24th October 2024.

**Study on Business Growth in LTCCS during Amrit Kaa**



Shri Pankaj Kumar Bansal, Additional Secretary, Ministry of Cooperation, conducted a mid-term review of the progress of the “Study on Business Growth in LTCCs during Amrit Kaal” on 26th June 2024, which was attended by Prof. Indranil De and Dr. S.K. Esther Ali from IRMA and Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NAFCARD.

**CONFERENCE OF ICA-AP CREDIT & BANKING COMMITTEE ON JUNE 2024**



Shri K.K. Ravindran, Chairman ICAAP Credit and Banking Committee & Managing Director, NAFCARD chaired the meeting of ICA (ICA-AP) Credit and Banking Committee on 5th June 2024 and the Conference on ‘Financial Inclusion and Digital Transformation’ jointly organized by ICA-AP Credit and Banking Committee, ANGKASA (The Malaysian National Cooperative Movement) and ACO (ASEAN Cooperative Organizations) on 6th June 2024 in Kuala Lumpur, Malaysia.

# पैसठवाँ वार्षिक रिपोर्ट २०२४-२५



## राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

७०३ए, बीएसईएल टेक पार्क, ७वीं मंजिल, ए - विंग,  
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन : (०२२) ४०००४९६९/४०००४९७०  
ई-मेल : [nafcard.org@gmail.com](mailto:nafcard.org@gmail.com)/[ncardbf.org@gmail.com](mailto:ncardbf.org@gmail.com)

फैक्स : (०२२) २७८१ ४२२३  
वेबसाइट : [www.nafcard.org](http://www.nafcard.org)

## राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लि.

### फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

#### सूचना

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लि. की वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक **22 जुलाई 2025 को अपरान्ह 12.30 बजे परिषद कक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, (एनसीयूआई), 3 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली 110 016** में निम्नांकित व्यवसाय प्रबन्धन हेतु आहूत किए जाने की एतद्वारा सूचना निर्गत की जाती है।

1. दिनांक 29 अगस्त 2024 को गुजरात सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. अहमदाबाद के बोर्ड रूम में सम्पन्न फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि किया जाना।
2. वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षित खातों के विवरण पत्रों पर विचार।
3. वर्ष 2024-25 के अधिशेष का निराकरण।
4. 31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष की सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर विचार।
5. वर्ष 2024-25 की सम्प्रेक्षण अनुपालन आख्या पर विचार।
6. वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।
7. वर्ष 2025-26 के लिये सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति तथा सम्प्रेक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार।
8. वर्ष 2026-27 के लिये वार्षिक बजट पर विचार।
9. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों को बैठक शुल्क के भुगतान की सम्पुष्टि।

कृपया अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा फेडरेशन की उपविधियों के अनुसार सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि, जो या तो सम्बन्धित सदस्य बैंक के निदेशक मण्डल के प्रस्ताव, अथवा प्रशासक द्वारा, जहां निदेशक मण्डल नहीं है, जिस नाम से भी कहा गया हो, नामित अध्यक्ष/सभापति अथवा मुख्य कार्यकारी, अधिकारी होगा। तदनुसार, सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह फेडरेशन को, सामान्य सभा के लिये अपने अपने प्रतिनिधि का नाम, निदेशक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य सभा की बैठक से न्यूनतम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

फेडरेशन के निदेशक मण्डल की आज्ञा से

हस्ता/—

(के. के. रविन्द्रन)

प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नवी मुम्बई

तिथि : 27 जून 2025

## आर्थिक परिदृश्य

भारत आगामी दो वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़नेवाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाये रखते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए तत्पर है। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक सम्भावनायें (जीईपी) रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण के आंकलित अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था, आगामी दो वर्षों के लिए अनुमानित 2.7% की वैश्विक औसत वृद्धि दर को काफी पीछे छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 दोनों में ही 6.7% की स्थिर दर पर आगे बढ़ेगी। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में भी भारत की सुदृढ़ आर्थिक प्रक्षेपवक्र की पुष्टि की है। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने 2025 तथा 2026 दोनों वर्षों के लिए भारत की वृद्धि दर दृढ़ता से 6.5% पर बने रहने का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के होते हुए भी अपनी सतत वृद्धि बनाये रखना भारत के स्थिर आर्थिक मौलिक स्वरूप और इसकी आर्थिक वृद्धि की गति को बनाये रखने की क्षमता को दर्शाता है। विश्व बैंक और अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) दोनों द्वारा अनुमानित भारत के आर्थिक प्रदर्शन की निरन्तर दृढ़ता देश के लचीलेपन को रेखांकित करती है तथा आर्थिक बुनियादी तथ्यों की निरन्तर मजबूती को उजागर करती है जिससे भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है।

2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी 5 वर्षों के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर निर्धारित 3.2% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद की

वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। विकास के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.3 से 6.8% के मध्य बने रहने की आशा है। यद्यपि, प्राथमिक स्तर पर संरचनात्मक सुधारों और विनियमन पर जोर देने से विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, फिर भी भू-राजनीतिक तनाव, चल रहे वैश्विक संघर्ष तथा वैश्विक व्यापार नीति जोखिम विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां बने हुए हैं। बाह्य क्षेत्र के आंकड़ों से स्पष्ट है कि अप्रैल से दिसम्बर 2024 के दौरान भारत का व्यापारिक निर्यात 1.6% बढ़ा। अप्रैल से दिसम्बर 2024 के दौरान में खुदरा मुद्र स्फीत 5.4% से घटकर 4.9% हो गई। पूँजीगत व्यय में निरन्तर वृद्धि विकास में योगदान देनेवाला एक सकारात्मक रुझान है।

सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2014 में 50.56% से बढ़कर 2025 में 55.3% हो गया है, जिससे महामारी-पूर्व वर्षों (2013-2020) में औसत वृद्धि दर 8.00% और महामारी पश्चात की अवधि (2023-2025) में 8.3% है। औद्योगिक क्षेत्र जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29.00% योगदान देता है, के 2025 में 6.2% की दर से वृद्धि की आशा है। कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% योगदान देती हैं, में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है। कृषि में, मत्स्य पालन क्षेत्र ने 8.7% की उच्चतम मिश्रित वृद्धि की वार्षिक वृद्धि दिखाई है, जिसके बाद पशुधन ने 8% की मिश्रित वृद्धि दिखाई है।

## 2024-25 में कृषि

कृषि क्षेत्र, वित्तीय वर्ष 2025 में जिसका भारत के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में 16% के योगदान है, देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट तथा जलवायु में अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों के होते हुए भी कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय दृढ़ता तथा लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, तथा भारत के आर्थिक सुधार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2025 से वित्तीय वर्ष 2014 तक इस क्षेत्र की वृद्धि दर 3.4% की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2023 तक इस क्षेत्र की वृद्धि दर 3.7% रही। वर्ष

2024 में 1.4% की तुलना में 2025 के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का वास्तविक सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) 3.8% बढ़ने का अनुमान लगाए गये है।

2025 के लिए अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन 330.08 मिलियन टन है, जो गत वर्ष की तुलना में 1.1 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है तथा 2023-24 में 332.29 मिलियन टन के रिकार्ड उत्पादन से मामूली रूप कम है। बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालनवाले क्षेत्र समग्र कृषि विकास के प्रमुख चालक बन गये हैं। 2024 के लिये खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख

मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंचने की आशा है, जो गत वर्ष की तुलना में 89.37 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अरहर और बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन की भारित औसत लागत पर क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि की गई है। मत्स्य पालन क्षेत्र ने 8.7% की उच्चतम चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सीजीएआर) दर्ज की जिसके बाद पशुधन क्षेत्र ने 8% की सीजीएआर दर्ज की।

### कृषि क्षेत्र में नीतिगत पहल

कृषि के राज्य विषय होने के कारण, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उचित नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटन के माध्यम से राज्य के प्रयासों का समर्थन करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन बढ़ा कर किसानों के हितों में वृद्धि करना, लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करना और आय में वृद्धि कराना है।

इनमें से एक उल्लेखनीय कदम 22 रबी और खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में निरन्तर वृद्धि है। कृषि वर्ष 2018-19 से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक फसल के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% सीमान्त धनराशि सुनिश्चित की है। इस मूल्य समर्थन का उद्देश्य भारत की आयात निर्भरता को कम करना तथा दालों, तेलों एवं वाणिज्यिक फसलों की ओर विविधीकरण को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी नीतिगत फसलों ने किसानों की आय तथा उनको वित्तीय सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की है। 2019 में प्रारम्भ की गई पीएम-किसान योजना के माध्यम से वर्ष के दौरान तीन बराबर किश्तों में प्रति चार माह में रु6000/- का नियमित हस्तांतरण किया जाना भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। फरवरी 2025 तक, लगभग 100 करोड़ छोटे किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपए हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सरकार पीएम-केएमवाई के अन्तर्गत नामांकित 24.66 लाख छोटे किसानों को पेंशन लाभ प्रदान करती है।

कृषि क्षेत्र में भारत सरकार के अन्य प्रमुख उपक्रम निम्नलिखित हैं:-

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):** यह फसल बीमा योजना किसानों को विभिन्न फसल-सम्बन्धी जोखिमों से होने वाली हानियों से बचाती है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):** यह योजना कृषि गतिविधियों के लिए ऋण तक पहुंच प्रदान कराती है तथा केसीसी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि :** सरकार नियमित रूप से विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी में संशोधन करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारण्टी मिले।

### प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना विकास :

- कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) : इस कोष का उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबन्धन में सुधार लाना तथा कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) : यह मंच किसानों को राष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है तथा कृषि उत्पादों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
- कृषि मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी के लिए डिजिट प्लेटफॉर्म : यह पहल कृषि पद्धतियों में प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण को अपनाने को प्रोत्साहन देती है।
- टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) : यह मिशन वहनीय कृषि पद्धतियों पर केन्द्रित है तथा संसाधन-कुशल प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करती है।

### अन्य महत्वपूर्ण उपक्रम:

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) : इस योजना उद्देश्य देश की कृषि सिंचन क्षमता को बढ़ाना है।

- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) : इस मिशन का उद्देश्य मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- बीज प्रमाणीकरण, अनुरेखण एवं समग्र सूची (साथी) : यह पहल बीजों की गुणवत्ता और अनुरेखण सुनिश्चित करती है।
- एग्रीस्टेक पोर्टल : यह पोर्टल कृषि से सम्बन्धित सूचनाएं और सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक केन्द्रकृत मंच प्रदान करता है।

यद्यपि कृषि क्षेत्र ने निरन्तर अच्छा प्रदर्शन किया है, फिरभी विविध और पौष्टिक खाद्यान्नों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि प्रणाली में निरन्तर नवाचार, फसलों की विविधता में सुधार सहित नई तकनीक को अपनाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, नीतिगत स्थिरता तथा निरन्तरता, जो किसानों के लिए बाजार और उत्पादन विकल्पों का विस्तार करती है, साथ ही जो देश में व्यापक पर्यावरणीय परिवेष्टिक विचारों तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखती हैं, कृषकों को नई प्रौद्योगिकियों एवं कार्यशैलियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में उपयोगी होंगी।

## सहकार – से – समृद्धि – सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख उपक्रम

देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने, 6 जुलाई 2021 में गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार-से-समृद्धि' के स्वप्न को साकार करने के लिए अब तक 50 से अधिक उपक्रम किए गये हैं। इन उपक्रमों को नीचे 33 प्रमुख शीर्षकों के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

### 1. प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) को बहु-उद्देश्यीय बनाने के लिए आदर्श उप-नियम

आदर्श उप-नियम, ग्रामवासियों की सम्पूर्ण ऋण तथा गैर-ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने वाली पैक्स को बहुउद्देश्यीय समितियों में परिवर्तित करने की एक प्रमुख पहल है। इससे पैक्स/लैम्स के आय के स्रोत बढ़ेंगे तथा डेयरी, मत्स्य पालन, भण्डारण आदि जैसे 25 से अधिक नए क्षेत्रों में रोजगार के नए

अवसर सृजित होंगे। 32 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पैक्स के आदर्श उप-नियमों को पहले ही अपना लिया है और शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपनियमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कार्यान्वयन अधीन है।

### 2. कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स को सुदृढ़ करना

पैक्स की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, पैक्स/वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियां (एलएएमपीएएस) का कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रारम्भ किया गया है। कुल 67,930 पैक्स/वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियों को नाबार्ड के माध्यम से एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क से जोड़ा गया है।

### 3. प्रत्येक ग्रामपंचायत/गांव में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी/दुग्ध/मत्स्यपालन समितियों की स्थापना

फरवरी 2023 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने उन ग्रामपंचायतों/गांवों में जहां अभी तक आगामी 5 वर्षों में अब तक बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी/दुग्ध/मत्स्य पालन समितियों की स्थापना नहीं की गई थी, में उक्त प्रकार की 2 लाख नई समितियों की स्थापना के लिए योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना वर्तमान में 23 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन के अधीन हैं।

### 4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा विकेन्द्रीकृत अनाज भण्डारण कार्यक्रम

मई 2023 में सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ी खाद्य भण्डारण योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि बुनियादी ढांचे जैसे गोदाम, कस्टम हायरिंग सेण्टर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल की दुकानें आदि का निर्माण किया जाएगा।

### 5. ई-सेवाओं तक बेहतर पहुँच के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएसी) के रूप में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स)

पैक्स के माध्यम से सीएसी सेवाएं प्रदान करने के लिए

सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड के मध्य 02.02.2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसके बाद पैक्स अब सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली 300 से अधिक प्रदान करने में सक्षम हो गये हैं।

## 6. पैक्स द्वारा नये कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन

कृषक उत्पादक संगठन योजना के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को 1100 अतिरिक्त एफपीओ आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। अब प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के रूप में कृषि से जुड़े अन्य आर्थिक कार्य भी कर सकेंगी। यह पहल सहकारी समितियों के सदस्यों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक बाजार सम्पर्क उपलब्ध कराने में भी सहायक होगा।

## 7. एलपीजी वितरण के लिए पैक्स की पात्रता

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने पैक्स को एलपीजी वितरक बनाने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है, जिसके बाद पैक्स भी एलपीजी वितरित कर सकेंगी। पैक्स द्वारा एलपीजी वितरक दायित्व प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं।

## 8. ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए जन औषधि केन्द्र के रूप में पैक्स का गठन

सहकारिता मंत्रालय के सुझाव के आधार पर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने राज्य औषधि नियंत्रकों से औषधि लाइसेन्स प्राप्त पैक्स/सहकारी समितियों द्वारा जन औषधि केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रालय की पहल के आधार पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय राज्य औषधि नियंत्रकों से औषधि लाइसेन्स प्राप्त पैक्स/सहकारी समितियों द्वारा ग्राम/विकास खण्ड स्तर पर जन औषधि केन्द्र खोलेगा।

## 9. पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (पीएमकेएसके) के रूप में

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने उर्वरक वितरण केन्द्रों के रूप में पहले से ही काम कर रहे पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि

केन्द्र (पीएमकेएसके) के रूप में उनका अभ्युत्थान करने का निर्णय लिया था। यह भी निर्धारित किया गया था कि पैक्स को उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में काम करने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ड्रोन का उपयोग सम्पत्ति के सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकता है। इससे पैक्स के लिए नये व्यावसायिक अवसर सृजित होंगे और उनका लाभ बढ़ेगा। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 22 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 36,180 पैक्स में उन्नयन किया गया है, शेष का कार्य प्रगति पर है।

## 10. नाबार्ड की सहायता से बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम उपलब्ध कराया जाना।

डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों का बैंक मित्र भी बनाया गया है। इनके व्यवसाय में सरलता, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'सुविधाजनक वित्तीय सुविधाएं' (डोर स्टेप वित्तीय सुविधाएं) प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम भी दिये जा रहे हैं।

## 11. सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और क्षमता का विस्तार करने तथा ग्रामीण सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक नकदी उपलब्ध कराने के लिए गुजरात के पंचमहल तथा बनासकांठा जिलों में एक अग्रगामी परियोजना प्रारम्भ की गई है।

## 12. पानी समिति के रूप में पैक्स

ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिख कर पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव (ओ एड एम) का काम करने के लिए 'पानी समिति' के रूप में योग्य बनाने के लिए कहा है।

## 13. पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम योजना का सम्मिलन

13 करोड़ किसान सदस्यों से सीधे जुड़े पैक्स की संरचना और पहुंच का लाभ उठाकर पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

#### 14. मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (एफपीपीओ) का गठन

मछुआरों को बाजार सम्पर्क प्रदान करने तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एनसीडीसी ने प्रारम्भिक चरण में 69 एफपीपीओ पंजीकृत किए हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने एनसीडीसी को 1000 वर्तमान मत्स्य सहकारी समितियों को एफपीपीओ में परिवर्तित करने के लिए 225.50 करोड़ रुपए के स्वीकृत परिव्यय के साथ आवंटित किया है।

#### 15. राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहु-राज्यीय सहकारी समितियां

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन तथा माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय ने निर्यात, प्रमाणित बीज तथा जैविक उत्पाद, के लिये निम्नलिखित तीन नई बहु-राज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया है।

##### (I) निर्यात हेतु नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम-2002 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक छत्र संगठन के रूप में एक नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की गई है। प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियां, जिनमें जिला, राज्य, राष्ट्रस्तर के महासंघ तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियां सम्मिलित हैं, इनकी सदस्य बन सकती हैं।

##### (ii) प्रामाणिक बीजों हेतु नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत केवल एक ही ब्राण्ड नाम से उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन तथा वितरण के लिए एक छत्र संगठन के रूप में एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की गई है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (प्राथमिक, जिला, राज्य स्तर) की सहकारी समितियां इसकी सदस्य बन सकती हैं। यह समिति किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाएगी, फसलों की उत्पादकता बढ़ाएगी और किसानों की आय में वृद्धि करेगी।

##### (iii) जैविक खेती हेतु नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

नेशनल कोआपरेटिव आर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) की

स्थापना बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक छत्र संगठन के रूप में की गई है जो प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन तथा वितरण व विपणन के लिए काम करेगा। जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के महासंघ, बहु-राज्यीय सहकारी समितियां तथा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सहित प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां इसके सदस्य बन सकते हैं। इससे जैविक उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को लाभ बढ़ेगा।

#### 16. सहकारी समितियों के लिए बने आयकर कानून में राहत

##### (i) सहकारी समितियों के लिए आयकर पर अधिभार में कमी

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र तथा कम्पनियों के मध्य समानता लाने के उद्देश्य से अथक प्रयास किये हैं। 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपये तक की आयवाली सहकारी समितियों के लिए आयकर पर अधिभार को कम्पनियों के समान 12% घटाकर 7% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों पर आय कर का बोझ कम होगा तथा सदस्यों के लाभ के लिए समितियों के पास अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

##### (ii) सहकारी समितियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) में कमी

सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है। इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों और कम्पनियों के मध्य इस परिप्रेक्ष्य में समानता आ गई है। इससे सहकारी समितियां सुदृढ़ होंगी तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार होगा।

##### (iii) पैक्स तथा पीसीएआरडी बैंकों द्वारा नकद जमा तथा नकद ऋण राशि की सीमा में वृद्धि

पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडी बैंकों) द्वारा नकद जमा तथा नकद ऋण की सीमा प्रति सदस्य 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी गई है। इस प्रावधान से उनको कार्य सम्पादन में सुविधा मिलेगी तथा उनका व्यवसाय बढ़ेगा और समितियों के सदस्यों को लाभ होगा।

(iv) नई विनिर्माणकारी सहकारी समितियों के लिए आयकर में कटौती

31 मार्च 2024 तक विनिर्माण कार्य प्रारम्भ करने वाली सहकारी समितियों पर अधिभार सहित 30% तक वर्तमान कर दर की तुलना में 15% की एक समान दर से कर लगाया जाएगा। इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों तथा कम्पनियों के मध्य समानता आ गई हैं। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(v) नकद आहरण में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा में वृद्धि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार ने बजट 2023-24 के माध्यम से सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती के बिना नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी जिसका उपयोग वे अपने सदस्यों के हित में कार्य करने में कर सकेंगे।

(vi) आय कर अधिनियम की धारा 269 एसटी के अन्तर्गत नकद लेन-देन में राहत।

आयकर विभाग ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि अब सहकारी समितियों द्वारा अपने वितरकों के साथ किए गये 'अनुबन्ध' को 'एक प्रसंग' नहीं माना जाएगा। इस स्पष्टीकरण के साथ, सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ एक दिन में किए गये 2 लाख से कम नकद लेन देन को पृथक माना जाएगा, और उन पर आयकर अर्थदण्ड नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य और जिला दुग्ध संघ अब अपने वितरकों से प्रतिदिन 2 लाख रुपए से कम का भुगतान नकद में प्राप्त कर सकेंगे तथा बैंक अवकाश के दौरान सदस्य दुग्ध उत्पादकों को नकद भुगतान कर सकेंगे।

**17. केन्द्रीय निबन्धक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण**

केन्द्रीय निबन्धक का कार्यालय बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम 2002 के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है। बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल

पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केन्द्रीय निबन्धक के कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इससे केन्द्रीय निबन्धक कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से समयबद्ध पद्धति से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता मिलेगी। इसमें ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, एमएससीएस अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, वीसी के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना तथा अन्य संचार के लिए प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 06 अगस्त 2023 को इस डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया।

**18. बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023**

बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023 का उद्देश्य बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम, 2002 में संशोधन करके 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल करना तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों में शासन को सुदृढ़ बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, उत्तरदायित्व बढ़ाना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना आदि हैं। यह विधेयक 7 दिसम्बर, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था तथा 20 दिसम्बर 2022 को इसे दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। विधेयक को लोकसभा ने 25 जुलाई 2023 को तथा राज्यसभा ने 01 अगस्त 2023 को पारित किया है। बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023, 3 अगस्त 2023 से लागू हो गया है।

**19. सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार**

(i) सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत

सहकारी चीनी मिलों को किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य अथवा राज्य परामर्शित मूल्य तक उच्च गन्ना मूल्य के भुगतान पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। इस प्रावधान से सहकारी चीनी मिलें अब अपने सदस्यों को गन्ने का उचित मूल्य दे सकेंगी तथा उन्हें इस उच्च व्यय पर आय कर में छूट मिलेगी। दिनांक 25.10.2021 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार यह प्रावधान 01.04.2016 से लागू है तथा तबसे सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से किसान सदस्यों को यह लाभ मिल रहा है।

(ii) सहकारी चीनी मिलों के आयकर से सम्बन्धित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान

आयकर की धारा 155 में एक नई उपधारा 19(1) जोड़ी गई है, जिसके अनुसार चीनी मिलों द्वारा 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को किए गये भुगतान को व्यय माना जाएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फ़ैक्ट्रीज़ लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार इससे सहकारी चीनी मिलों को 46,524 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, जिससे दशकों से लम्बित आयकर सम्बन्धी मामले सुलझ गये हैं।

(iii) सहकारी चीनी मिलों को सुदृढ़ बनाने के लिए एनसीडीसी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की योजना।

सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिलों को सुदृढ़ करने के लिए एनसीडीसी में 10,000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि का गठन निजी मिलों की समान शर्तों पर सहकारी चीनी मिलों से पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इथेनाल की खरीद, गुड़ पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना, जिससे सहकारी चीनी मिलों से गुड़ की मांग बढ़ेगी, आदि सहकारिता मंत्रालय की पहल पर सहकारी चीनी क्षेत्र को दिए गये अन्य समर्थन हैं।

**20. सहकारी बैंकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों का निवारण**

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के हस्तक्षेप पर सहकारी बैंकों के कारोबार में आनेवाली कठिनाइयों का अब निराकरण कर दिया गया है। नई शाखाएं खोलना, एकमुश्त भुगतान योजना, (ओटीएस) लागू करना, आवास ऋण सीमा बढ़ाना, वाणिज्यिक अचल सम्पत्ति क्षेत्र को ऋण देना, सहकारी समितियों को बिना जमानत के ऋण जारी करना, 'आधार आधारित भुगतान प्रणाली' में सम्मिलित करना, अर्बन सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए समय-निर्धारण मानदण्डों में छूट देना, यूसीबी के लिए छत्र संगठन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति आदि, सहकारिता मंत्रालय के हस्तक्षेप से सहकारी बैंकों को दी गई कुछ अतिरिक्त सुविधायें हैं।

**21. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार**

(I) एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों के लिए नई योजनाओं

का प्रारम्भ

एनसीडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयं शक्ति सहकार', दीर्घकालीन कृषक ऋण के लिए 'दीर्घकालीन कृषक सहकार' दुग्ध योजना के लिए 'दुग्ध योजना सहकार' और महिला सहकारी संस्थाओं के लिए 'नन्दिनी सहकार' आदि।

(ii) गहरे समुद्री जालदार जहाजों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता

एनसीडीसी मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के समन्वय से गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रालरों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीडीसी ने महाराष्ट्र की मत्स्य सहकारी समितियों के लिए 14 गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रालरों की खरीद के लिए 20.30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

22 मंत्रिमण्डल ने सहकारी समितियों को 1 जून 2022 को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 9 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में जी-ई-एम पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑन-बोर्डिंग का ई-लान्च किया। सहकारी समितियां अब जी-ई-एम के एकता मंच पर देश भर में उपलब्ध लगभग 60 लाख प्रामाणिक विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से खरीदारी कर सकेंगी।

**23. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का गठन**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकारिता से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश में नई सहकारिता नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों तथा देश भर के विशेषज्ञों एवं हितधारकों की 49 सदस्यों वाली एक बहु-विषयक और राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है। अबतक विशेषज्ञ समिति की 17 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई तथा नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति शीघ्र ही तैयार होने की आशा है।

## 24. नई राष्ट्रीय डेटाबेस सहकारिता नीति

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अवधारणा है कि सहकारिता क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए डेटाबेस आवश्यक है, इसलिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से चरणबद्ध ढंग से एक व्यापक, प्रामाणिक और अद्यतन राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण के अन्तर्गत फरवरी 2023 में पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख समितियों का प्रतिचित्रण पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में राष्ट्रीय सहकारी समितियों और संघों के प्रतिचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अबतक अंतिम चरण में लगभग 8.19 लाख सहकारी समितियों को डेटा बेस में सम्मिलित किया जा चुका है।

## 25. सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर संसद ने 1 अप्रैल 2025 को 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' विधेयक पारित किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य गुजरात के आनन्द में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। आरआयएमए को भंग कर दिया जाएगा और यह स्वायत्त दर्जा प्राप्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आनेवाले विद्यालयों में से एक बन जाएगा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य एवं कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना तथा सहकारी समितियों के कर्मचारियों को आपूर्ति करने के लिए कर्मचारियों एवं बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण, शिक्षा एवं क्षमता निर्माण करना है।

## 26. एनसीसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करना

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), सहकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, जो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सहकारी विभागों के कर्मियों सहित पूरे देश में सहकारी समितियों के कर्मियों, सदस्यों तथा बोर्ड के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

## 27. कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबैंकों) का कम्प्यूटरीकरण

दीर्घकालीन सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए,

सहकारिता मंत्रालय ने कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें हार्डवेयर क्रय, व्यापक उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) समाधान, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करना तथा सॉफ्टवेयर का रख-रखाव आदि जैसे विभिन्न घटक होंगे। इस योजना में होने वाले व्यय का 25% एआरडी बैंकों द्वारा तथा शेष 75% केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। कम्प्यूटरीकरण से एआरडी बैंकों को अनेक लाभ होंगे, जैसे कि दक्षता में वृद्धि, ऋण वितरण गतिशीलता, लेन देन लागत में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि और कम भुगतान असंतुलन आदि।

## 28. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना

सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय में सरलता में वृद्धि करने तथा सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में पारदर्शी पृष्ठरहित विनियमन के लिए एक डिजिटल परिवेश सृजित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के निबन्धक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारी अधिनियम पर आधारित होगा।

## 29. श्वेत क्रांति 2.0

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने तथा दुग्ध उत्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से 'श्वेत क्रांति' की एक नई पहल प्रारम्भ की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध की खरीद में 50% की वृद्धि करना, उन क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुँच प्रदान कराना है जो अभी तक संगठित डेयरी क्षेत्र की परिधि में नहीं आये हैं और संगठित डेयरी क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के मार्गदर्शन के लिए 19 सितम्बर 2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर उसे लॉन्च किया है।

### 30. आत्मनिर्भरता अभियान

सहकारिता मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता कम करने हेतु दालों (अरहर, मसूर और उड़द) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के लक्ष्य को पूरा करने हेतु इथेनॉल उत्पादन हेतु मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पहल प्रारम्भ की है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) इस पहल के अन्तर्गत केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों हैं।

### 31. सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को धन वापसी

सहकारिता मंत्रालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक

#### ग्रामीण साख परिदृश्य

ऐतिहासिक रूप से, भारत में किसान संसाधन-विपन्न है, जो उत्पादन को सुगम बनाने तथा उपभोग प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए ऋण पर बहुत अधिक निर्भर है। वर्षा आधारित परिस्थितियों में कृषि की पारम्परिक अनिश्चितताओं के साथ शोषणकारी ब्याज दरों पर किसानों की बढ़ती सतत ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की विशेषता रही हैं। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के अंत तक, संस्थागत ऋण की कोई व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि कृषकों को कभी-कभी, विशेषकर सूखे के वर्षों में सरकार द्वारा ऋण दिया जाता था। किसानों को ऋण देने के लिए सहकारी समितियां बनाने का विचार 20वीं सदी के प्रारम्भ में ही आया। इस विचार के परिणामस्वरूप अंततः 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ। सहकारी समितियां शनै-शनै पूरे देश में कृषि ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत बन गईं। 20वीं सदी के आरम्भ से निरन्तर ही ग्रामीण ऋण पर सरकार का ध्यान था। 1904 के मूल अधिनियम के उपरान्त 1912 में सहकारी ऋण समितियों को विधिक मान्यता प्रदान करने के लिए एक नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अवधि के दौरान, प्रांतीय सहकारी बैंकों की स्थापना और इसके परिणामस्वरूप त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना का सृजन होना, एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि साख सहकारी समितियों का संचालन अल्पकालीन ऋणों तक ही सीमित था, फिर भी, किसानों को अपनी भूमि को पिछले ऋणों के चंगुल से मुक्त करने के लिए

याचिका पर लिए गये निर्णय दिनांक 29.03.2023 के अन्तर्गत सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव लि., सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लि., हमारा इण्डिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी तथा स्टार्स मल्टीपरपज सोसाइटी लि.) के जमाकर्ताओं के वैध बकाए के विवरण के लिए सहारा-सैबी रिफण्ड खाते से 5000 करोड़ रुपए केन्द्रीय सहकारी समितियों के निबन्धक को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

सीआरसीएस-सहारा रिफण्ड पोर्टल में अब तक 3.64 करोड़ जमाकर्ताओं से 88924 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सहारा सहकारी समितियों के 9,42,364 जमाकर्ताओं को 1496.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता थी जो उन ऋणों के ब्याज के रूप में किसानों की फसलों का एक बड़ा भाग ले लेते थे। किसानों की ऐसी दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1920 के दशक के आरम्भ में भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना की गई। 1920 में पंजाब में पहले भूमि बंधक बैंक की स्थापना के बाद प्रान्तों में राज्य एवं प्राथमिक स्तर पर ऐसे बैंकों का गठन किया गया। इन सब प्रयासों के बावजूद 1951 तक केवल 3.3% किसानों को सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त हुआ था तथा केवल 1% से भी कम किसान वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सफल रहे थे। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने 1954 में पाया कि कृषि ऋण सही मात्रा में नहीं मिलता, वह सही प्रकार का नहीं होता और सही उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। समिति ने किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी समितियों के कार्य निष्पादन में अनेक कमियां देखीं, किन्तु पाया कि किसानों की ऋण उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और निष्कर्ष निकाला कि 'सहकारिता विफल हो गई है, किन्तु सहकारिता को सफल होना चाहिए।' 1963 में सहकारी ग्रामीण साख संरचना, विशेष रूप से भूमि विकास बैंकों को दीर्घकालीन वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गई थी। ग्रामीण ऋण की उपलब्धता की समीक्षा करने तथा कृषि ऋण के प्रवाह में सुधार के उपायों की सिफारिश

करने के लिए 1966 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की स्थापना की गई। समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण ऋण देने में सहकारी समितियों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों को भी अनुपूरक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की अवधारणा के बीजारोपण ने ग्रामीण ऋण व्यवस्था में वाणिज्यिक बैंकों को बड़े पैमाने पर लाने में उत्प्रेरक का कार्य किया। उसी वर्ष विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए लीड बैंक योजना भी प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद को एक लीड बैंक के साथ रखा गया। तथापि, ये सभी उपक्रम कृषि में ऋण प्रवाह में वांछित सुधार ला पाने में इसलिए विफल रहे क्योंकि वाणिज्यिक बैंक लघु और सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे, जबकि सहकारी समितियों के पास ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी थी। और इन्ही आधारों की पृष्ठभूमि पर नरसिम्हन कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की परिकल्पना एक अलग बैंकिंग संरचना के रूप में की गई थी, जिसमें स्थानीय भावना तथा ग्रामीण समस्याओं की जानकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों की व्यावसायिकता और संसाधन के आधार के सहकारी लाभों को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार, 70 के दशक के अंत में ग्रामीण ऋण के लिए सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों तथा आरआरबी से मिलकर एक बहु-अभिकरण प्रणाली का आविर्भाव हुआ। तदनन्तर, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति की संस्तुतियों के उपरान्त, 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई, जिसने एआरडीसी के सम्पूर्ण परिचालन तथा कृषि एवं ग्रामीण के सम्बन्ध में आरबीआई के पुनर्वित्त कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। नाबार्ड ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में

वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा संस्थागत विकास को सुविधाजनक बनाने में केन्द्रीय भूमिका निर्वहन करता है। 1990 के दशक में वित्तीय प्रणाली पर समिति (अध्यक्ष श्री एम.नरसिम्हन 1991) की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का प्रारम्भ हुआ। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण वित्तीय प्रणाली पर कई समितियां भी गठित की गई, जिनमें वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण पर उच्चस्तरीय समिति (आर.वी.गुप्ता 1998), सहकारी ऋण प्रणाली की कार्यपद्धति का अध्ययन करने तथा सुदृढीकरण के उपाय सुझाने के लिए टास्कफोर्स अध्ययन (जगदीश कपूर 1999), ग्रामीण ऋण पर विशेषज्ञ समिति (वी. एस.व्यास, 2001), 2000 के दशक के प्रारम्भ में वैद्यनाथन टास्क फोर्स-। और ।। आदि सम्मिलित हैं। 1990 के दशक से भारत में वित्तीय सुधार मुख्य रूप से उपयुक्त समितियों की संस्तुतियों के आधार पर किए गये। हालांकि, यह देखा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों तथा आरआरबी से सम्बन्धित संस्तुतियों को अधिकांशतः लागू कर दिया गया, लेकिन ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ करने से सम्बन्धित सिफारिशों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। एसटीसीसीएस पर वैद्यनाथन टास्कफोर्स की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, जबकि एलटीसीसीएस पर वैद्यनाथन टास्क फोर्स की रिपोर्ट को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया और उसे बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया।

इसके कार्यान्वयन से कृषि के लिए ऋण प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जैसाकि नीचे दी हुई तालिका से देखा जा सकता है, जिसमें 2004-05 से 2024-25 तक कृषि ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शायी गई हैं।

पिछले कुछ दशकों में, विशेषकर 1990-91 के बाद से, दीर्घकालीन ऋण का अंश निरन्तर घटता जा रहा है, जिसका अर्थ है कि कृषक दीर्घकालीन निवेश के स्थान पर आवर्ती व्यय के लिए ऋण ले रहे हैं। यद्यपि उत्पादन ऋण का प्रवाह वर्ष

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
2004-05	1,05,000 (आधार वर्ष)	1,25,309
2005-06	1,41,500 (34.29%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (24.11%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)

2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (21.16%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.95%)
2010-11	3,75,000 (15.39%)	4,68,291 (21.78%)
2011-12	4,75,000 (26.67%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.32%)
2014-15	8,00,000 (14.29%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (6.25%)	9,15,509 (8.30%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	10,65,755 (16.41%)
2017-18	10,00,000 (11.11%)	11,62,617 (9.09%)
2018-19	11,00,000 (10.00%)	12,54,762 (7.93%)
2019-20	13,50,000 (22.73%)	13,73,766 (9.48%)
2020-21	15,00,000 (11.11%)	15,75,398 (14.68%)
2021-22	16,50,000 (10.00%)	18,63,364 (18.28%)
2022-23	18,50,000 (12.12%)	21,55,000 (15.65%)
2023-24	20,00,000 (8.11%)	25,10,000 (16.50%)
2024-25	27,50,000 (37.50%)	-

स्रोत : [rbi.org.in](http://rbi.org.in), वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन, नाबार्ड

प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन निवेश ऋण की हिस्सेदारी में गिरावट तथा पूँजी निर्माण एवं उत्पादकता वृद्धि की दर में मंदी के कारण कृषि उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है।

संस्थागत ऋण वितरण तंत्र के पास दीर्घकालीन संसाधन नहीं हैं। नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा केवल बैंकों को तरलता सहायता के माध्यम से दी जाती है। वाणिज्यिक बैंक आमतौर पर अपने निवेश ऋण सहायता के लिए पुनर्भुगतान अवधि को कम कर देते हैं, जिससे किसानों को बिना किसी आय के भी अपने ऋण चुकाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण में एआरडी बैंकों की भागीदारी बढ़ाने पर वाई.सी. नन्दा कार्य समूह की निम्नांकित टिप्पणियां उद्घृत करने योग्य हैं। “सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास निवेश ऋण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक संसाधन नहीं हैं। एआरडी बैंक, नाबार्ड के पुनर्वित्त सहयोग के साथ अथवा कभी

कभी उसके सहयोग के बिना भी अपने सदस्यों की निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं।”

यदि एआरडी बैंकों द्वारा निवेश ऋण का हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उन्हें नाबार्ड या किसी अन्य उच्च वित्तपोषण एजेन्सी से उदार वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि एआरडी बैंक ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसे जानबूझकर दीर्घकालिक निवेश ऋण सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसलिए, नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसे प्रतिबन्धित ऋण नीतियों को अपनाने के स्थान पर एआरडी बैंकों को सहयोग प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निर्वहन करनी चाहिए। वास्तव में, नाबार्ड अपनी स्थापना के बाद से ही सबसे पहले एआरडी बैंकों से अपनी पुनर्वित्त बकाया वसूली करता रहा है, भले ही वे उधार लेने वाले सदस्यों से वसूली करने की स्थिति में न हों। नाबार्ड

की इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है तथा उसे एआरडी बैंक द्वारा अपने पुनर्वित्त किस्तों का पुनर्भुगतान बाद में किये जाने की नीति अपनानी चाहिए। इसप्रकार के दृष्टिकोण से एआरडी बैंकों को विभिन्न सामाजिक राजनैतिक कारणों से उत्पन्न प्रतिकूल ऋण वसूली परिवेश से निपटने में पर्याप्त सहायता मिलेगी तथा नाबार्ड भी जोखिम साझा करने के दृष्टिकोण में सहभागी बन सकेगा।

वित्त मंत्री ने 2025-26 में कृषि के लिए 27.50 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रवाह प्रस्तुत किए हैं, जो 2024-25 के दौरान 25.10 लाख करोड़ रुपए के वास्तविक ऋण वितरण से 16.50% अधिक है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि पर, वित्तमंत्री ने 2024-25 के दौरान बैंकों द्वारा वितरित किए जाने वाले अल्पकालिक फसल ऋणों के लिए 16.00 लाख करोड़ रुपए और सावधि ऋणों के लिए 11.50 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

निवेश ऋण के लिए कृषकों द्वारा देय ऊंची ब्याज दरें एक और मुद्दा है जिसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने फसल ऋणों की ब्याज दरों को किफायती बनाये रखने के कदम उठाए हैं। 3% ब्याज अनुदान के बाद फसल ऋणों पर अधिकतम ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष हो गई है। राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त ब्याज अनुदान के साथ, कुछ राज्यों में फसल ऋण अब शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध है। यद्यपि कृषि ऋण की लागत को कम करने के लिए इनमें से कोई भी उपाय कृषि निवेश पर दिये गये ऋणों के लिए नहीं किया गया है। निवेश ऋणों के लिए बैंकों को नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता पर प्रतिवर्ष लगभग 8.50% की ब्याज दर लागू होती है, जिससे अंतिम ऋणी सदस्य स्तर पर ऋण की लागत 12-14% प्रतिवर्ष हो जाती है। फसली ऋण तथा निवेश ऋण की ब्याज दरों के मध्य बड़ा अंतर कृषि निवेश के लिए एक प्रमुख अवरोधक बन गया है।

सरकार ने नाबार्ड में दीर्घकालीन ग्रामीण ऋण कोष की स्थापना की है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को दिए जानेवाले ऋण में कमी की प्रतिपूर्ति के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। नाबार्ड इस कोष का उपयोग अधिकतम पांच वर्षों तक की अवधि के लिए कम दर पर निवेश ऋण पुनर्वित्त देने के लिए कर

रहा है। तथापि, एससीएआरडी बैंक की निधियों की लागत में एलटाआरसीएफ का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नाबार्ड से प्राप्त कुल वित्त पोषण में एलटाआरसीएफ का अंश बहुत कम है।

विगत 10 वर्षों में सिंचित कृषि भूमि के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि, कृषि के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। विशेष रूप से वर्षा आधारित परिस्थितियों में कृषि को वित्त पोषित करना उच्च जोखिम से जुड़ा है। वर्तमान में, कृषि वित्त पोषण में सम्मिलित पूरा जोखिम ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके पास एनपीए का उच्च स्तर होता है। सहकारी ऋण संरचना में एआरडी बैंक सहित बड़ी संख्या में संस्थानों के लिए, जो मुख्य रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों को सेवा प्रदान करते हैं, एनपीए सहनीय स्तर से परे है।

### राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लि. (नैफकार्ड)

फेडरेशन की स्थापना 1960 में दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना (एलटीआरसीसीएस) के राष्ट्रीय शीर्ष संगठन के रूप में की गई थी। वर्तमान में, फेडरेशन के सदस्यों में 16 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा 3 राज्य सहकारी बैंक (एससीबी), जो दीर्घकालीन साख संरचना के लिए सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं, सम्मिलित हैं। फेडरेशन एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है तथा अधिनियम की दूसरी सूची में सूचीबद्ध राष्ट्रीय महासंघों में से एक है।

फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए उनके संगठनात्मक उद्देश्यों और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए उनके हितों को प्रोत्साहित करना तथा उनके व्यावसायिक संचालन से सम्बन्धित तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करके सदस्यों के मध्य आपसी समझ को बढ़ावा देना और सहकारी सिद्धान्तों के अनुरूप स्वयं-सहायता तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर ऐसी समस्याओं को हल करने के पद्धति और साधन तैयार करना है।

फेडरेशन की परिकल्पना अपने सदस्य संस्थानों को विकसित और सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें संसाधन आधारित सदस्य संचालित

वित्तीय सहकारी समितियों के रूप में विकसित करना है जो अपने सदस्यों को कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों को करने, वित्तपोषण तथा गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनकी क्षमता को पूरी तरह साकार करने सहायक बनने में सक्षम हों।

फेडरेशन, सदस्य बैंकों को व्यवसाय विविधीकरण एवं विस्तार, संसाधन जुटाने, मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा परिचालन में दक्षता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता सेवाएं प्रदान करके उपरोक्त परिकल्पना को साकार करने के प्रयास करता है।

फेडरेशन की गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर एआरडी बैंकों की

कार्यप्रणाली का समन्वय करना, केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि के साथ कानूनी और नीतिगत मुद्दों को उठाना, दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन, संगोष्ठियां, कार्यशालायें, अध्ययन भ्रमण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, संस्थागत विकास, व्यवसाय विविधीकरण तथा विस्तार आदि पर मार्गदर्शन करना और परामर्श देना सम्मिलित है।

वर्तमान में फेडरेशन के ध्यानाकर्षण के प्रमुख क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के अन्तर्गत एआरडी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण, ऋण एवं वसूली को सुव्यवस्थित कराने के लिए आंतरिक सुधार तथा संसाधन जुटाने के लिए अवसरों का विस्तार, व्यवसाय विकास योजनायें हैं।

### दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना – विहंगावलोकन

वर्तमान में संरचना में 16 एससीएआरडी बैंक हैं जिनमें प्राथमिक स्तर पर 1851 पीसीएआरडी बैंक/एससीएआरडी बैंकों की शाखाओं के नेटवर्क के साथ 13 पूर्णतया कार्यात्मक हैं। इन बैंकों की कुल सदस्य संख्या 92,97,613 ग्रामीण परिवार जिनमें 30,43,178 पर बकाया अवशेष हैं। 31.03.2025 को पूरी तरह कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों का कुल ऋण अवशेष तथा अदत्त बकाया क्रमशः ₹22,430.58 करोड़ तथा ₹13,546.98

करोड़ था। पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों के पास 31.03.2024 को ₹2,234.27 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2025 तक इन बैंकों की कुल जमा राशि ₹2,366.71 करोड़ थी। इनकी कुल वितरित ऋण राशि गत वर्ष के ₹5,798.54 करोड़ के सापेक्ष 2024-25 के दौरान ₹6,890.52 करोड़ थी। इन बैंकों की कुल वसूली गत वर्ष के 41.40% की तुलना में 40.67% (31 मार्च 2025 तक) रही।

### विगत 2 वर्षों का दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना का विहंगावलोकन

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष के दौरान	
		2023-24	2024-25*
1.	एससीएआरडी बैंकों की संख्या		
	i. पूर्णतया कार्यात्मक	13	13
	ii अन्य	3	3
2.	निस्सरण केन्द्रों का संजाल		
	i. एससीएआरडी बैंकों की शाखाएं	643	640
	ii. पर्यवेक्षीय इकाइयां	83	83
	iii. पीसीएआरडी बैंक	609	610
	iv. पीसीएआरडी बैंक और उनकी शाखाएं	518	518
	<b>योग</b>	<b>1,853</b>	<b>1,851</b>
3.	व्यक्तियों की सदस्यता	99,29,673	92,97,613
4.	ऋणी सदस्यों की संख्या	39,54,082	30,43,178

5.	बकाया ऋण	21,362.28	22,430.58
6.	वितरित ऋण	5,798.54	6,890.52
7.	अदत्त उधार राशियां	12,507.88	13,546.98
8.	अदत्त जमा	2,234.27	2,366.71
9.	31 मार्च को अदत्त ऋण वसूली की स्थिति		
<b>A.</b>	<b>अंतिम उधारकर्ता स्तर पर</b>	<b>2023-24</b>	<b>2024-25</b>
	i. मांग	16,293.43	17,487.76
	ii. वसूली	6,745.36	7,111.64
	iii. अवशेष	9,546.93	10,375.67
	iv. ऋण वसूली %	41.40	40.67
<b>B.</b>	<b>एससीएआरडीबी स्तर पर</b>	<b>2023-24</b>	<b>2024-25</b>
	i. मांग	13,451.51	13,962.08
	ii. वसूली	6,060.61	6,056.44
	iii. अवशेष	7,389.76	7,905.18
	iv. ऋण वसूली %	45.06	43.38
10.	लाभ की धनराशि	297.88	248.20
	लाभ पाने वाले बैंकों की संख्या	9	9
11.	हानियों की धनराशि	563.27	164.44
	हानि अर्जित करने वाली बैंकों की संख्या	4	4
12.	कर्मचारियों की स्थिति		
	i. एससीएआरडी बैंक स्तर पर (शीर्ष)	4,371	4,281
	ii. एससीएआरडी बैंक स्तर पर (भू-स्तर)	4,079	4,022
	<b>योग</b>	<b>8,450</b>	<b>8,303</b>

\*2024-25 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

### प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियां

- एलटीसीसीएस को मुख्य रूप से एक गैर स्रोत आधारित विशिष्ट अवधि के ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में आकल्पित किया गया है।
  - ठोस संरचना की संस्थाओं को बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। फलस्वरूप इन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) की तरह आम लोगों से जमा लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
  - ऋण वितरण संसाधनों के लिये भारी मात्रा में नाबार्ड के पुनर्वित्त पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

- तथापि, राज्य सरकार की गारण्टी की व्यवस्था करने में कठिनाइयों तथा जोखिम रेटिंग के आधार पर पुनर्वित्त पात्रता की शर्तों को पूरा कर पाने में विफलता के कारण वर्ष 2000 के प्रारम्भ से नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा पुनर्वित्त सहयोग शनैःशनै कम होता जा रहा है।
- इस परिप्रेक्ष्य में, एआरडी बैंकों की निवेश ऋण में भागीदारी को बढ़ाने के लिये नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री वाइ सी नन्दा की अध्यक्षता में एआरडी बैंकों की निवेश ऋण में भागीदारी को बढ़ाने के लिये गठित कार्यदल (2017) ने नाबार्ड को एक नया अतिरिक्त पुनर्वित्त प्रणाली प्रारम्भ करने की संस्तुति की थी जिससे एससीएआरडी बैंको को उनकी भारमुक्त गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियों तथा अन्य गुणात्मक मापदण्डों के आधार

पर बिना गारण्टी अथवा जमानत के पुनर्वित्त दिया जा सके। नाबार्ड द्वारा इस संस्तुति का क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित है।

- दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों को फसली ऋण दे पाने में असमर्थता, जिससे कृषि निवेश तथा ऋण अदायगी के लाभ प्रभावित होते हैं।
  - भारत सरकार की फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना को एआरडी बैंकों पर लागू नहीं किया गया है।
  - एआरडीबैंकों के दीर्घकालिक ऋणी सदस्य सामान्यतया अन्य एजेन्सियों से फसल ऋण ले पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनकी भूमि एआरडी बैंक में बन्धक रखी गई होती है।
  - फसल ऋण की अनुपलब्धता से इन कृषकों की आय और ऋण अदायगी की क्षमता प्रभावित होती है।
- ऋण वसूली का बिगड़ता वातावरण
  - विगत कुछ वर्षों में प्राथमिक स्तर पर कुल ऋण वसूली 50% की परिधि में रही है।
  - यद्यपि वितरित ऋण भूमि के बन्धक किये जाने से सुरक्षित होते हैं, फिर भी कुछ राज्यों में बन्धकग्रस्त भूमि का विक्रय कर ऋण वसूल किया जाना अत्यन्त कठिन है।
  - निवेश ऋण के साथ-साथ उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी ऋण देने में संरचना की असमर्थता उन ऋणी सदस्यों को निवेश के पूर्ण लाभ से वंचित रखती है जो अन्य एजेन्सियों से अल्पावधि ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।
  - अल्पावधि ऋण व्यवस्था तथा बचत खातों के परिचालन की व्यवस्था के अभाव में एआरडी बैंक ऋणी सदस्यों के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रखने में असमर्थ हैं, जो कि पुर्नभुगतान में सुधार के लिए आवश्यक है।
  - ऋण माफी, भले ही संकटग्रस्त किसानों की सहायता के लिए एक बार के उपाय के रूप में की गई हो, भविष्य में ऋण माफी की और अधिक अपेक्षाओं को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप वे लोग भी स्वेच्छा से ऋण अदायगी करना बन्द कर बकायेदार बन जाते हैं, जो भुगतान करने की क्षमता रखते हैं।
- वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से एआरडी बैंकों को बाहर रखा जाना
  - सरकार की प्रायोजित योजनाओं में भारी बकाया, पर्याप्त

लागत लाभ की अनुमति दिये बिना विनियमित ब्याज दरों की लम्बी व्यवस्था तथा योजना के अन्तर्गत बट्टे खातों में डाले गये ऋणों की प्रतिपूर्ति किए बिना 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के कारण संरचना का वित्तीय निष्पादन 90 के दशक में गिरना प्रारम्भ हो गया।

- जबकि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं की हानियां सरकार को अनेक पूँजी पुर्ननिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत पूरित कर दी गईं, किन्तु कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) को निरन्तर वित्तीय क्षेत्र में सुधारों से बाहर रखा जा रहा है।
- यद्यपि वैद्यनाथन कार्यदल-॥ (2006) ने सुधारों एवं पुनर्पूजीकरण से युक्त पुनरुद्धार पैकेज की संस्तुति की थी जिसका क्रियान्वयन अभीतक नहीं हो सका है।
- **सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से उठाये गये मुद्दे और सुझाव**
  - (i) एआरडी बैंकों का कम्प्यूटीकरण-वर्तमान में, किसी भी राज्य में एआरडी बैंक कोर बैंकिंग समाधान के साथ पूरी तरह से कम्प्यूटीकृत नहीं हैं। सहकारिता मंत्रालय ने अब आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने की केन्द्र प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत एआरडी बैंकों के कम्प्यूटीकरण के लिए योजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना के अन्तर्गत 13 पूर्णतः क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों की 1851 सक्रिय इकाइयों को 119.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कम्प्यूटीकृत किया जा रहा है। यह योजना नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। फेडरेशन और एससीएआरडी बैंक दीर्घकालीन साख संरचना की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा उनके आधुनिकीकरण की इस ऐतिहासिक पहल के लिए सहकारिता मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।
  - (ii) एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स-सरकार द्वारा नियुक्त कई समितियों, जिनमें कपूर समिति (1999), वैद्यनाथन टास्कफोर्स-॥ (2006), तथा हाल ही में नाबार्ड के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय द्वारा एआरडी बैंकों में सुधार पुनर्गठन एवं नवाचारों पर अध्ययन में भारतीय रिज़र्व बैंक को विवेकपूर्ण

शर्तों के अधीन एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार करने और इसके लिए मानदण्ड निर्धारित करने की संस्तुति की है। सहकारिता मंत्रालय ने 06 दिसम्बर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, नेफकार्ड तथा गुजरात एससीएआरडी बैंक की एक संयुक्त बैठक आहूत की, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग लाइसेंस देने का आग्रह किया गया, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए मानदण्ड तैयार करने के विषय पर विचार करने का आश्वासन दिया। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस देने के मानदण्डों की घोषणा की अभी तक प्रतीक्षा है।

- (iii) फसल ऋण ब्याज माफी योजना को एआरडी बैंकों में लागू करना – दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना में दीर्घकालिक ऋणी सदस्यों के लिए फसल ऋण ब्याज छूट योजना की अनुपलब्धता एक गम्भीर मुद्दा है, जो उनकी आय तथा पुनर्भुगतान क्षमता को प्रभावित करता है। सहकारिता मंत्रालय ने पहले ही कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया है।
- (iv) नाबार्ड के दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण कोश (एलटीआरसीएफ) के अनुरूप एनसीडीसी के साथ दीर्घकालीन कोश की स्थापना की जाएगी, जिसकी स्थापना वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को दिए जाने वाले ऋणों में कमी को पूरा करने के लिए की गई है। इसमें एनसीडीसी को ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों को बाजार दर की तुलना में अपेक्षाकृत काफी कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन कृषि ऋण देने के लिए धन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
- (v) एआरडी बैंकों के जमा संग्रहण के लिये डीआईसीजीसी बीमा कवरेज में सम्मिलित किया जाना – यद्यपि एआरडी बैंकों को सदस्यों के जमा संग्रहण तथा जनता से उनके सावधि जमा स्वीकार करने की अनुमति है, लेकिन जमा राशियों के लिए बीमा कवरेज की कमी के कारण जमा संग्रहण में अधिक प्रगति नहीं हुई है।
- (vi) सिबिल तथा अन्य क्रेडिट सूचना कम्पनियों में एससीएआरडी बैंकों की सदस्यता – वर्तमान में एससीएआरडी बैंकों को उन ऋण संस्थानों में

सम्मिलित नहीं किया गया है, जिन्हें ऋण सूचना कम्पनी (विनियम) अधिनियम की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत ऋण सूचना कम्पनियों का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऋण सूचना कम्पनियों की सदस्यता से एससीएआरडी बैंकों को बाहर रखने से लगभग 47 लाख ग्रामीण परिवारों के ऋण इतिहास भी बाहर हो जाता है, जिन पर एआरडी बैंकों का लगभग 23,500 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है जो उनके क्रेडिट स्कोर को निर्धारित करता है। परिणामस्वरूप, एआरडी बैंकों के हठी बकायेदार भी सीबीआईएल या अन्य क्रेडिट सूचना कम्पनियों द्वारा दिए गये क्रेडिट स्कोर के आधार पर अन्य संस्थाओं से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो एआरडी बैंकों के साथ उनके क्रेडिट इतिहास को नहीं दर्शाते हैं। अतः क्रेडिट सूचना कम्पनियों में एससीएआरडी बैंकों की सदस्यता आवश्यक है, ताकि एआरडी बैंकों के ऐसे ऋणी सदस्यों को क्रेडिट सूचना कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला क्रेडिट स्कोर अधिक सटीक और विश्वसनीय हो सके। इससे एआरडी बैंकों को ऋण चुकाने में जानबूझकर ऋण अदायगी न करने की प्रवृत्ति को बहुत सीमा तक कम करने में मदद मिलेगी। ऐसा पाया गया है कि यद्यपि क्रेडिट सूचना कम्पनियां (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत क्रेडिट संस्थानों की परिभाषा में एससीएआरडी बैंक का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, धारा 2(एफ)(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक को "किसी अन्य संस्था को सम्मिलित करने का अधिकार देती है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि पर, फेडरेशन ने भारतीय रिज़र्व बैंक से आग्रह किया कि वह क्रेडिट सूचना कम्पनी (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ)(vii) के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रेडिट सूचना कम्पनियों के सदस्य के रूप में भर्ती किये जाने के लिए अनिवार्य क्रेडिट संस्थानों की सूची में एससीएआरडी बैंक को सम्मिलित करने पर विचार करें।

- (vii) एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन एवं नवाचार पर अध्ययन – सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड के नैबकान्स (एनएबीसीओएनएस) के माध्यम से

एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन एवं नवाचार पर एक अध्ययन कराया है। अध्ययन रिपोर्ट में क्षेत्र के सभी मुद्दों को विस्तार से सम्मिलित किया गया है तथा उनके समाधान के लिए संस्तुतियों की गई हैं। वर्तमान में, अध्ययन रिपोर्ट सहकारिता मंत्रालय के विचाराधीन है। सहकारिता मंत्रालय ने संस्तुतियों पर चर्चा करने के लिए तीन बैठकों (11 और 13 दिसम्बर 2023 तथा 21 मार्च 2024 का) का आयोजन किया। अध्ययन समूह की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा के साथ कार्ययोजना को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

(viii) एआरडी बैंक देश में सबसे पुरानी सावधि ऋण प्रदान कराने वाली संस्थाएं हैं, जिनके पास कृषि अवसंरचना के वित्त पोषण में 100 से अधिक वर्षों का अनुभव है। यद्यपि, कृषि अवसंरचना निधि योजना जो कृषकों को ब्याज में छूट तथा ऋण गारण्टी सहायता का लाभ प्रदान करती है, एआरडी बैंकों को नहीं दी गई है। कृषि अवसंरचना निधि योजना को एससीएआरडी बैंकों तक बढ़ाये जाने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं।

(ix) नाबार्ड की पुनर्वित्त नीतियों में सुधार- कम जोखिम वाली श्रेणी में आने वाले राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) के मामले में भी पुनर्वित्त देने के लिए 135% के बराबर शासकीय गारण्टी/सावधि जमा को बन्धक रखने की शर्त को समाप्त करना, पात्रता मानदण्डों को कड़ा करके राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) को पुनर्वित्त के वार्षिक आवंटन में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति को उलटना, ऋणी सदस्यों की उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए प्रावधान करना, ग्रामीण परिवारों की विविध ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पात्र उद्देश्यों को व्यापक बनाना, कृषि ऋण में जोखिम को साझा करना आदि एआरडी बैंकों के सम्बन्ध में नाबार्ड की पुनर्वित्त नीतियों में अपेक्षित कुछ सुधार हैं। तथापि, नाबार्ड पुनर्वित्त नीतियों में सुधार की मांग का लगातार विरोध कर रहा है जिसमें सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित 'एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन एवं नवाचार' पर नवीनतम अध्ययन भी सम्मिलित है।

## वर्ष के दौरान प्रमुख विकास कार्य/घटनाक्रम की विशेषताएं

### एससीएआरडी बैंकों की व्यवसाय विकास योजनाएं

गत वर्ष फेडरेशन द्वारा इस क्षेत्र के लिए तैयार की गई व्यवसाय विकास योजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं। फेडरेशन द्वारा तैयार की गई व्यवसाय विकास योजनाओं के अनुसार, 2024-25 के दौरान एआरडी बैंकों द्वारा कुल वितरण 9805 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें 3000.00 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ऋण सम्मिलित है। यद्यपि, अमृतकाल के दौरान एलटीसीएस में व्यवसाय वृद्धि पर अपनी अध्ययन रिपोर्ट में आईआरएमए ने 2024-25 के दौरान एससीएआरडी बैंक द्वारा कुल ऋण 6377.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। 2024-25 से 2047-48 तक व्यवसाय वृद्धि के लिए आईआरएमए अनुमानों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है। 2024-25 के दौरान 6377.00 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में फरवरी 2025 तक एससीएआरडी बैंक द्वारा कुल ऋण 5776.00 करोड़ रुपए रहा।

'सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थता के माध्यम से सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने' की केन्द्र सरकार की

### प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत एआरडी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

भारत सरकार ने 6 अक्टूबर 2023 के संचार माध्यम से एआरडीबैंकों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल पोर्टल के विकास तथा सहकारी समितियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के निबन्धक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए अलग अलग घटकों के साथ "सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को सुदृढ़" बनाने की केन्द्र प्रायोजित परियोजना के कार्यान्वयन की घोषणा की।

एआरडी बैंकों के लिए कम्प्यूटरीकरण योजना में 13 राज्यों में एआरडीबैंकों की 1851 परिचालित इकाइयां सम्मिलित हैं, जहां संरचना पूरी तरह क्रियाशील है तथा इसका कुल वित्तीय परिव्यय 119.40 करोड़ रुपये है जिसका मदवार विवरण नीचे दिया गया है।

1. हार्डवेयर	₹ 63.06 करोड़
2. अंकरूपण	₹ 24.03 करोड़

3. समर्थन तंत्र ₹ 16.80 करोड़  
4. साइबर सुरक्षा तथा डेटा सेन्टर के साथ साफ्टवेयर का अनुकूलन ₹ 15.51 करोड़

जबकि भारत सरकार साइबर सुरक्षा और डाटा सेंटर के साथ साफ्टवेयर के अनुकूलन के लिए 15.51 करोड़ रुपए की पूरी लागत वहन करेगी, अन्य तीन घटकों के लिए 103.89 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत का 25% एआरडी बैंकों द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष 75% जो 77.91 करोड़ रुपए है, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा, जिसमें सामान्य राज्यों में 60:40, पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय प्रदेशों में 90:10 और विधान सभाओंवाले केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 80:20 तथा विधान सभा

रहित केन्द्र शासित प्रदेशों में 100% के अनुपात में वहन किया जाएगा।

नाबार्ड कार्यान्वयन एजेन्सी होगी तथा योजना को तीन वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें आगामी दो वर्षों के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन एवं सहयोग सम्मिलित है। प्राथमिक कृषि समितियों के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर का उपयोग एआरडी बैंकों के लिए किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) का अनुकूलन सॉफ्टवेयर विक्रेता द्वारा किया जाएगा। कुल हार्डवेयर की आवश्यकता 4127 इकाइयों के लिए अनुमानित है, जिसका राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल नेटवर्क	अपेक्षित हार्डवेयर इकाइयों की संख्या
1.	गुजरात	195	440
2.	हरियाणा	90	203
3.	हिमाचल प्रदेश	88	202
4.	जम्मू और कश्मीर	51	115
5.	कर्नाटक	207	467
6.	केरल	255	559
7.	पाण्डिचेरी	2	17
8.	पंजाब	113	272
9.	राजस्थान	163	351
10.	तमिलनाडु	200	432
11.	त्रिपुरा	6	15
12.	उत्तर प्रदेश	342	740
13.	पश्चिम बंगाल	139	314
		<b>1851</b>	<b>4127</b>

कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए, पैक्स (पीएसीएस) हेतु वर्तमान व्यवस्था जिसमें मंत्रालय स्तर पर एनएलएमआईसी तथा केन्द्रीय परियोजना अनुश्रवण इकाई एवं नाबार्ड स्तर पर परियोजना अनुश्रवण इकाई तथा राज्य स्तर पर एसएलआईएमसी, सम्मिलित हैं, का उपयोग किया जाएगा।

योजना का कार्यान्वयन केरल को छोड़ कर, जहां राज्य सरकार ने योजना के लिए शासकीय अनुमोदन निर्गत नहीं किया है, अन्य सभी राज्यों में प्रगति पर है।

फेडरेशन नियमित रूप से योजना की प्रगति का अनुश्रवण कर रहा है। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पूरा होने की आशा है।

‘अमृतकाल’ (2022-2047) में व्यवसाय वृद्धि का विस्तार करने तथा आईआरएमए द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम 2002 की धारा 24 के अनुपालन के लिए अध्ययन

फेडरेशन ने अमृतकाल के दौरान दीर्घकालीन सहकारी साख

संरचना द्वारा बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 24 के अनुपालन पर अध्ययन प्रायोजित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहल के हिस्से के रूप में आईआरएमए को एक अध्ययन सौंपा है।

फरवरी 2024 में यह अध्ययन आईआरएमए को दिया गया। तदुपरान्त, आईआरएमए ने अध्ययन के उद्देश्यों और संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए 8 मई 2024 को सहकारिता मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्तुति दी।

आईआरएमए द्वारा किए गये अध्ययन में निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं:-

### 1) कार्यों का विश्लेषण

- नैफकार्ड के सूचीबद्ध कार्यों या सेवाओं का मूल्यांकन।
- महासंघ के सम्भावित कार्य/कार्यों का विविधीकरण।
- सेवा वितरण के सम्बन्ध में सदस्यों की अच्छी कार्यशैली।
- सदस्य समर्थन आवश्यकताओं की पहचान करना।
- सदस्य आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के आधार पर सम्भावित कार्य।
- संघर्ष के क्षेत्रों/कार्यों के परस्पर व्याप्ति/संचार में अंतराल और इन मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए सम्भावित रणनीतियों की पहचान करना।
- बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 की धारा 24 के अन्तर्गत परिभाषित कार्यों का अनुपालन।
- आर्थिक इकाई में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता सहित कार्यों का विविधीकरण।

### 2) वित्त का विश्लेषण

- नैफकार्ड की आय और व्यय के वर्तमान स्रोतों का आंकलन।
- नैफकार्ड के सम्भावित राजस्व और व्यय स्रोत।

### 3) भावी क्रियाकलापों की रणनीतियां

- सरकार और अन्य संगठनों के साथ अधिक तालमेल के अवसरों की खोज।
- सदस्यों के लिए बेहतर और विविध सेवाओं का सुझाव दें।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वृहद पहुंच और संचार।

आईआरएमए ने अपना पहला प्रत्यावेदन दिनांक 18.09.2024 को प्रस्तुत किया। आईआरएमए द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन मंत्रालय

द्वारा दिनांक 08.10.2024 को संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में प्रस्तुत किया गया।

आईआरएमए ने संरचना के संस्थानों के लिए, प्रशिक्षण, 5 शीर्षस्थ संस्थानों की रैंकिंग मानदण्ड पर अतिरिक्त अनुभाग सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया।

अध्ययन आख्या में राज्यवार यात्रा रिपोर्ट, सभी बैंकों द्वारा अपनाने के लिए अनुशासित आदर्श कार्यशैली की सूची, कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण के निष्कर्ष, प्रशिक्षण डिज़ाइन तथा वितरण के लिए संस्तुतियां, एआरडी बैंकों के सामने आनेवाली प्रमुख चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए सुझाव, एआरडी बैंक के व्यवसाय में ध्यान दिये जाने वाले कुछ क्षेत्र जहां फेडरेशन को भागीदारी बढ़ानी है, सम्मिलित हैं। अमृतकाल के दौरान व्यवसाय वृद्धि को दर्शाते हुए 5 शीर्षस्थ सक्षमकर्ताओं से एससीएआरडी बैंको को पुर्नजीवित किया जाना है।

### प्रमुख निष्कर्ष एवं संस्तुतियां

सभी बैंको द्वारा अपनाये जाने हेतु अच्छी कार्यसंस्कृति की संस्तुति की गई।

- ऑनलाइन ऋण आवेदन
- तकनीकी रूप से सुयोग्य फील्ड स्टाफ द्वारा पुष्ट मूल्यांकन और सत्यापन
- मोल-तोल की शक्ति के लिए विक्रेताओं/डीलरों के माध्यम से ऋण वितरण कराने के स्थान पर सीधे ऋण वितरित करना
- समूह ऋण/सामूहिक और संयुक्त देयता समूहों को ऋण देना।
- ऋण वसूली के लिए कृषि भूमि के विक्रय में कठिनाई को देखते हुए एससीएआरडी बैंकों को ऋण देने के लिए अन्य प्रकार के सम्पार्श्विक ऋण वितरण पर विचार करना चाहिए।
- व्यावसायिक संगठनों के वित्त पोषण में प्रबन्धन की स्थिरता पर विचार किया जाना चाहिए।
- परियोजना में ऋणी सदस्यों की क्षमता के अधीन ऋणकर्ता के डाउन पेमेण्ट/स्वयं के योगदान का अनुपात बढ़ाना।
- ऋण के व्यवस्थित अनुवर्तन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था
- शाखाओं तथा पीसीएआरडीबैंकों के साथ निरन्तर तथा नियमित बैठकों की व्यवस्था।

- विधिक ऋण वसूली उपायों का प्रारम्भ कर ऋण अदायगी में विफलता के मामलों में भूमि की क्षति होने का भय पैदा करना।
  - ब्याज माफी के साथ एक मुश्त समाधान योजनायें खराब ऋणों की वसूली में प्रभावी पाई गई।
  - कम अवधि के ऋण, बैंक ऋण वसूली में सुधार के लिए कम अवधि के ऋण तथा स्वर्ण ऋण प्रारम्भ करने पर विचार कर सकते हैं।
  - कम किशतों में नियमित भुगतान की सुविधा के लिए मासिक या तिमाही किशतें।
  - दीर्घ कालीन ऋणों के शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए ब्याज माफी योजनाये प्रारम्भ कराने के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क किया जा सकता है, जो केवल कुछ राज्यों में उपलब्ध करायी गई है।
  - व्यवसाय विस्तार, विविधीकरण तथा जमा संग्रहण जुटाने में लगे प्रतिबन्धों को हटाने के लिए अधिकांश राज्यों में राज्य सहकारी अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।
  - विधिक ऋण वसूली प्रावधानों को पुनः प्रारम्भ करने के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।
  - राज्य सरकार ने तमिलनाडु में एससीएआरडी बैंक को अन्य बैंकों के साथ ऋण जमा संग्रहण तथा निवेश पर ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता देने के लिए संशोधन का नियम बनाया है।
  - कृषि पर्यटन, विशेषरूप से केरल में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज़) के माध्यम से फसल की कटाई के बाद प्रसंस्करण इकाई के वित्तपोषण की सम्भावना।
  - सदस्यों की आवश्यकताओं के आधार पर बीमा उत्पाद विकास जैसे गैर-ऋण व्यवसाय।
  - अधिक से अधिक बैंकों में सरकारी ऋण प्रारम्भ करने आदि पर सामान्यतया बैंकों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
- वित्तपोषण स्रोतों का विस्तार
- नाबार्ड कम ब्याज दर पर पुनर्वित्त सहायता बढ़ाए।
  - राज्य सरकारें दीर्घकालिक ऋणों के लिए ब्याज अनुदान योजना का विस्तार करेंगीं।
  - एनसीडीसी एआरडी बैंकों को सहायता राशि बढ़ायेगा।
  - राज्य सहकारी बैंकों, जहां एआरडीबी के अधिकांश अधिशेष धन का निवेश किया जाता है, को एससीएआरडी बैंकों के लिए ऋण के लिए व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।
  - ऋण वसूली में वृद्धि तथा एनपीए में कमी।
  - ऋणी सदस्यों से निरन्तर सम्पर्क तथा अच्छे सम्बन्ध।
  - ऋण वसूली तथा अनुश्रवण को सुदृढ़ बनाना।
  - क्लस्टर आधारित ऋण को अपनाया जाना।
  - राज्य सरकारों के समर्थन से एकमुश्त समाधान योजना प्रारम्भ करना।
  - शीघ्र ऋण अदायगी के लिए ब्याज में छूट योजना।
  - कम्प्यूटीकरण व कम्प्यूटर परिचालन दक्षता में सुधार तथा इसे पूरा किया जाना चाहिए।
  - सिबिल सदस्यता।
  - कुशल कार्यनिष्पादन तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ एससीएआरडी बैंक के लिए शासकीय गारण्टी की शर्त को माफ करना।
  - अनेक लेखा सम्प्रेक्षाओं से बचा जा सकता है।
  - मानव संसाधन मुद्दों का समाधान।
  - नैफकार्ड क्षमता निर्माण कार्यक्रम डिज़ाइन करे तथा उनका क्रियान्वयन कराये।
  - बैंकिंग, वित्त तथा ऋण वसूली में कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था।
  - कर्मचारियों की भर्ती एवं रिक्तियों की प्रतिपूर्ति।
  - जनशक्ति नियोजन में सुधार।
  - नैफकार्ड की सशक्त भागीदारी के लिए सुझाव।
    - कर्मचारियों को विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण।
    - सदस्यों के लिये आदर्श आचार संहिता।
    - एससीएआरडी बैंकों के लिये धन के वैकल्पिक/ अतिरिक्त स्रोतों की खोज करना।
    - एससीएआरडी बैंको के लिए सीबिल सदस्यता का मुद्दा उठाना।
    - उच्च गारण्टी कमीशन का मुद्दा राज्य सरकार के समक्ष उठाना।
    - किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा के लिए नाबार्ड/ भारत सरकार के समक्ष मामला उठाना।

अमृतकाल (2022-23 से 2047-48) एससीएआरडी बैंको के व्यवसाय वृद्धि परियोजनायें

ऋण वितरण

(धनराशि करोड़ रु. में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	2022-23 के वास्तविक आंकड़े	(दीर्घकालिक व अल्पकालिक अग्रिम) ऋण वितरण					आगामी 20 वर्षों के लिये ऋण वितरण प्रक्षेपण			
			2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2032-33	2037-38	2042-43	2047-48
1	गुजरात	275.53	440.00	615.00	830.00	1115.00	1455.00	3500.00	7000.00	14000.00	28000.00
2	हरियाणा	95.92	135.00	260.00	450.00	730.00	1000.00	2500.00	5000.00	9500.00	18000.00
3	हिमाचल प्रदेश	115.00	170.00	230.00	300.00	380.00	485.00	1000.00	2000.00	4000.00	8000.00
4	जम्मू एवं कश्मीर	6.75	65.00	85.00	100.00	115.00	130.00	300.00	600.00	1200.00	2400.00
5	कर्नाटक	303.18	500.00	700.00	900.00	1100.00	1300.00	3250.00	7000.00	13500.00	25500.00
6	केरल	2808.37	3600.00	4000.00	4400.00	4800.00	5200.00	9500.00	19000.00	36500.00	70000.00
7	पाण्डिचेरी	39.57	50.00	110.00	170.00	220.00	350.00	785.00	1570.00	3000.00	5500.00
8	पंजाब	5.07	330.00	500.00	700.00	950.00	1250.00	3125.00	6250.00	12000.00	21600.00
9	राजस्थान	157.14	300.00	450.00	650.00	900.00	1150.00	3200.00	6500.00	12800.00	23600.00
10	तमिलनाडु	1061.59	1300.00	1480.00	1680.00	1930.00	2200.00	5500.00	11000.00	19800.00	35500.00
11	त्रिपुरा	-	-	25.00	50.00	110.00	210.00	500.00	1000.00	1900.00	3600.00
12	उत्तर प्रदेश	270.67	550.00	750.00	950.00	1150.00	1350.00	4000.00	8000.00	15200.00	29000.00
13	पश्चिम बंगाल	291.97	450.00	600.00	800.00	1050.00	1300.00	3250.00	6500.00	12500.00	23500.00
महा योग		5430.76	7890.00	9805.00	11980.00	14550.00	17380.00	40410.00	81420.00	155900.00	294200.00
आईआरएमए द्वारा वृद्धि परियोजना		5270.00	5798.00	6377.00	7015.00	7717.00	8489.00	14303.00	25206.00	48532.00	106403.00
अंतर		160.76	2092.00	3428.00	4965.00	6833.00	8891.00	26107.00	56214.00	107368.00	187797.00

उधारग्रहीता

(धनराशि करोड़ रु. में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	2022-23 के वास्तविक आंकड़े	उधारग्रहीता (दीर्घकालिक व अल्पकालिक अग्रिम)					आगामी 20 वर्षों के लिये प्रक्षेपण			
			2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2032-33	2037-38	2042-43	2047-48
1	गुजरात	86.00	215.00	325.00	440.00	600.00	750.00	1500.00	3000.00	6000.00	12000.00
2	हरियाणा	-	80.00	150.00	235.00	380.00	550.00	1100.00	2200.00	4400.00	8800.00
3	हिमाचल प्रदेश	84.88	130.00	190.00	250.00	320.00	400.00	800.00	1600.00	3200.00	6400.00
4	जम्मू एवं कश्मीर	6.16	75.00	90.00	105.00	120.00	135.00	250.00	500.00	1000.00	2000.00
5	कर्नाटक	415.00	480.00	550.00	620.00	690.00	750.00	1500.00	3000.00	6000.00	12000.00
6	केरल	1401.54	1650.00	1900.00	2250.00	2370.00	2650.00	5300.00	10600.00	21200.00	42400.00
7	पाण्डिचेरी	-	-	40.00	60.00	110.00	150.00	300.00	600.00	1200.00	2400.00
8	पंजाब	21.37	260.00	380.00	540.00	660.00	800.00	1600.00	3200.00	6400.00	12800.00
9	राजस्थान	402.80	550.00	700.00	850.00	1000.00	1150.00	2300.00	4600.00	9200.00	18400.00
10	तमिलनाडु	1.15	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	1000.00	2000.00	4000.00	8000.00
11	त्रिपुरा	-	-	15.00	30.00	70.00	130.00	260.00	520.00	1040.00	2080.00
12	उत्तर प्रदेश	305.67	650.00	800.00	950.00	1100.00	1250.00	2500.00	5000.00	10000.00	20000.00
13	पश्चिम बंगाल	336.51	450.00	600.00	750.00	900.00	1150.00	2300.00	4600.00	9200.00	18400.00
महा योग		3061.08	4640.00	5940.00	7380.00	8720.00	10365.00	20710.00	41420.00	82840.00	165680.00

## एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन तथा नई कार्यशैली पर अध्ययन

नैबकान्स के माध्यम से एआरडीबैंकों में सुधार, पुनर्गठन तथा नई कार्यशैली पर अध्ययन प्रारम्भ करना दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) में संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों में से एक था। नैबकान्स अध्ययन दल ने जून 2023 में अपनी आख्या प्रस्तुत की। अध्ययन दल ने एलटीसीसीएस में व्यापक नीतिगत तथा विधिक सुधारों की संस्तुति की है, जिसे उनके कार्यशैली में विशेष रूप से संसाधन जुटाने, सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने, ऋणों की वसूली तथा परिचालन दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए मानव संसाधन तथा डिजिटल बुनियादी संरचना को समुन्नत करने के लिए विद्यमान प्रतिबन्धों और बाधाओं, को दूर किया जा सके। अध्ययन दल ने संरचना में संस्थानों के पुनर्पूजीकरण के लिए एक वित्तीय पैकेज की भी सिफारिश की, जिन्हें राज्य और केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण अतीत में भारी हानि उठानी पड़ी थी, तथापि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार से एलटीसीसीएस सहित अन्य क्षेत्रों को ऐसी हानियों की प्रतिपूर्ति के सापेक्ष कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई।

### संशोधित रिपोर्ट में पुनर्गठन के प्रस्तावित विकल्प

एकात्मक संरचना		
1.	स्थायी रूप से व्यवहार्य एससीएआरडी बैंकों को बनाये रखकर उन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा।	गुजरात उत्तर प्रदेश
2.	संचित घाटे वाले वर्तमान में व्यवहार्य एससीएआरडी बैंकों का राज्य सरकार द्वारा पुनर्पूजीकरण सहायता प्रदान किये जाने के अधीन एससीबी के साथ विलय,	पाण्डिचेरी त्रिपुरा
3.	अव्यवहार्य का (वर्तमान में घाटे पर तथा संचित घाटे पर होने पर विघटन किया जाना)	जम्मू एवं कश्मीर

मंत्रालय ने अध्ययनदल की सिफारिशों पर नाबार्ड और फेडरेशन के साथ 3 संयुक्त बैठके आयोजित की ताकि सिफारिशों को लागू करने के लिए प्राथमिकताये निर्धारित की जा सकें और समय सीमा निर्धारण किया जा सके। यद्यपि, सरकार ने रिपोर्ट के अध्याय-17 में अध्ययन दल द्वारा अनुशासित वित्तीय पैकेज की अपनी अस्वीकृति से अवगत कराया, क्योंकि इसमें अध्ययन के संदर्भ शर्तों में सम्मिलित नहीं किया गया था। तदपरान्त, एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में, नाबार्ड ने एआरडी बैंकों के पुनर्गठन पर संस्तुतियों का एक समुच्चय बनाया। नाबार्ड की ये संस्तुतियां अब रिपोर्ट में अध्याय 17 के रूप में सम्मिलित की गई है, जो वित्तीय पैकेज में मूल परिच्छेद के स्थान पर है।

सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित एआरडी बैंकों के पुनर्गठन विकल्पों पर फेडरेशन के विचारों की अपेक्षा की है। फेडरेशन ने इन प्रस्तावों पर 24 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन बोर्ड की बैठक आहूत की जिसमें सभी एससीएआरडी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑन लाइन बोर्ड मीटिंग में विचार-विमर्श के आधार पर फेडरेशन ने पुनर्गठन विकल्पों पर अपनी कड़ी असहमति व्यक्त की है क्योंकि विलय और परिसमापन के सुझाये गये विकल्पन व्यावहारिक और सम्भाव्य नहीं है।

संघीय एवं मिश्रित संरचना		
1.	बनाये रखना और सुदृढ़ करना	कोई नहीं
2.	धारणीय, व्यवहार्य एससीएआरडी बैंकों का एससीबी में विलय किया जाएगा।	केरल तमिलनाडु कर्नाटक राजस्थान पंजाब पश्चिम बंगाल
3.	अव्यवहार्य एससीएआरडी बैंक (वर्तमान में घाटे तथा संचित घाटे में रहने वाली) का परिसमापन किया जाएगा।	हरियाना हिमांचल प्रदेश
4.	धारणीय, व्यवहार्य पीसीएआरडी बैंकों का डीसीसीबी में विलय	केरल : 77 में सभी 77 (सभी का एससीबी में विलय क्योंकि केरल में डीसीसीबी नहीं हैं) कर्नाटक : 183 में से 55 राजस्थान : 36 में 9 पंजाब : 89 में से 9 पश्चिम बंगाल : 24 में से 7 तमिलनाडु : 180 में से 128 <b>योग : 589 / 285</b>
5.	अव्यवहार्य पीसीएआरडी बैंक का परिसमापन	कर्नाटक : 128 राजस्थान : 27 पंजाब : 80 पश्चिम बंगाल : 17 तमिलनाडु : 52 हरियाना : 19 हिमांचल प्रदेश : 1 <b>योग : 324</b>

### पुनर्गठन विकल्प – कृषि के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रवाह पर प्रभाव

विलय और परिसमापन से सहकारी क्षेत्र में किसानों को दीर्घकालिक ऋण देने के लिए वर्तमान कार्यरत स्रोत समाप्त हो जाएगा, यहां तक कि केरल जैसे राज्य भी जहां दीर्घकालीन साख संरचना का अच्छा कार्य निष्पादन कर रही है। विलय के उपरान्त एससीएआरडी बैंक और पीसीएआरडी बैंक जो बहुत सीमा तक व्यवहार्य हैं, क्रमशः एससीबी और डीसीसीबी का

हिस्सा बन जायेंगे। एससीबी और डीसीसीबी का सीधा संचालन अधिकांशतः बाहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है तथा उनकी ग्रामीण पहुंच पैक्स (पीएसीएस) के माध्यम से है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना का विलय और परिसमापन के माध्यम से अस्तित्वहीन हो जायेगे, तो एससीबी और डीसीसीबी से एआरडी बैंक की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जायेगी अर्थात् पैक्स के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण देना। यद्यपि पैक्स सामान्यतया पर दीर्घकालिक ऋण देने से कतराते

हैं, विशेषरूप से उन राज्यों में जहां दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना कार्यरत है। पुनर्गठन योजना में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसमें पैक्स की क्षमता और तैयारी बढ़ाने के लिए कोई घटक नहीं है जिससे वे बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक ऋण दे सकें। इसके अतिरिक्त, नये सामान्य उपनियमों को अपनाने के साथ पैक्स से गैर-ऋण सम्बन्धी क्रियाकलापों में गहन रूप से सम्मिलित रहने की अपेक्षाएँ होती हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश राज्यों में दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना को भंग करने की प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के किसानों को दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रवाह पर विनाशकारी परिणाम होंगे।

#### पीसीएआरडी बैंकों का परिसमापन-एससीएआरडी बैंकों के लिए वित्तीय निहितार्थ

प्रस्तावित पुनर्गठन योजना में 7 राज्यों में 324 पीसीएआरडी बैंकों का परिसमापन सम्मिलित है। 2022-23 में, इन 7 एससीएआरडी बैंकों पर लगभग 11000 करोड़ रुपए का बकाया ऋण था, जिसके लिए पीसीएआरडी बैंकों के परिसमापन की संस्तुति की गई थी। पीसीएआरडी बैंकों के परिसमापन की स्थिति में, इन राज्यों में एससीएआरडी बैंकों को उन 324 पीसीएआरडी बैंकों को दिए गए ऋणों के विरुद्ध पूर्ण प्रावधान करते हुये डूबी हुई परिसम्पत्ति माननी होगी। पीसीएआरडी बैंकों को दिए गए ऋणों के विरुद्ध परिसमापन के पूर्ण प्रावधान करने इन सभी राज्यों में एससीएआरडी बैंक भारी घाटे में चले जाएंगे,

### अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2025 को दूसरे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके योगदान के बारे में जागरुकता बढ़ाकर सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना तथा उनकी उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त करना है।

जिससे एससीबी के साथ उनका विलय अत्यन्त दुरुह हो जाएगा। संक्षेप में, दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना की संस्थाओं के विलय या परिसमापन का विकल्प इस आधार पर व्यावहारिक और व्यवहार्य नहीं है कि क्या उनके पास वर्तमान में संचित घाटा है।

#### सुधारों के माध्यम से दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।

फेडरेशन के निदेशक मण्डल ने सुझाव दिया है कि सहकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट के अध्याय - 16 में दिये गये सुझाव सुधारों को लागू करने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं ताकि एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंक दोनों को अपने कार्यनिष्पादन तथा वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अनुकूल विधिक तथा नीतिगत वातावरण मिल सके, साथ ही कम्प्यूटीकरण, जो पहले से चल रहा है, भी हो सके। रिपोर्ट में सुझाये गये सुधारों से संरचना में सम्मिलित अधिकांश संस्थानों को 3 से 5 वर्ष की अवधि में स्थायी व्यवहार्यता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

राज्य और केन्द्र सरकार को राज्य स्तरीय पुनरुद्धार कार्य योजना के आधार पर एससीएआरडी बैंक को वित्तीय सहायता देने पर भी विचार करना चाहिए। इस प्रकार की सहायता सीमा संशोधित प्रतिवेदन आलेख में प्रस्तावित विलय तथा परिसमापन के पुनर्गठन विकल्पों को लागू करने के लिए राज्य सरकार पर वित्तीय दायित्व का केवल एक अंश होगी।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (आईवाईसी 2025) का अधिकारिक शुभारम्भ 'सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं' थीम के अन्तर्गत 25 नवम्बर 2024 को नई दिल्ली में आइसीए महा सभा के दौरान माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था।

## अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 हेतु नई दिल्ली कार्यवाही एजेण्डा

नई दिल्ली में आईसीए ग्लोबल एसेम्बली ने आईवाईसी 2025 के लिए एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया। कार्ययोजना विभिन्न हितधारकों, जैसे व्यक्तिगत सहकारी समितियों, समुदायों, नागरिक समाज संगठनों, विविध निजी क्षेत्र, राय बनाने वालों, सरकार और नीति निर्माताओं एवं बहुपक्षीय संस्थानों के लिए कार्यवाही के चार स्तम्भों तथा कार्य बिन्दुओं के आस-पास विचरण करता है।

### कार्य के चार स्तम्भ

#### 1. सहकारी पहचान की पुनः पुष्टि

- अपने सिद्धान्तों का पालन करना : सहकारी पहचान को प्रोत्साहित करना, संरक्षित करना एवं सम्प्रेषित करना।
- सहकारी शिक्षा : सभी के लिए सहकारी शिक्षा की पहुँच को प्रेरित करना एवं विस्तारित करना।
- विरासत और रचनात्मकता : सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक सहकारी कार्यक्रम स्थापित करना।
- प्रभाव प्रदर्शित करना : समावेशी विकास तथा सतत विकास में सहकारी समितियों के ठोस योगदान पर प्रकाश डालना।

#### 2. नीति और उद्यमशीलता परिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना

- सुरक्षात्मक आवरण : विधिक और नियामक प्रणालियाँ विकसित करना तथा जो सहकारी स्वरूप और उसके प्रशासन को मान्यता देना।
- वित्त उपलब्धता : सहकारी बैंकों और क्रेडिट संघों सहित सहकारी वित्तीय उपकरणों को सुदृढ़ बनाये रखना।
- शैक्षिक सहभागिता : व्यापार में सहकारी विद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों में उद्यमिता को बढ़ावा देना

- बाज़ार पहुँच : उद्यमशीलता के विकास को समर्थन देने के लिए सहकारी समितियों की बाज़ार और बुनियादी ढांचे तक पहुँच बढ़ाना।

#### 3. उद्येश्यपूर्ण नेतृत्व का पोषण

- समावेशी नेतृत्व : सहकारी समितियों में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं, युवाओं तथा हाशिये पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना।
- युक्तिपूर्ण नेतृत्व विकास : सहकारी समितियों के लिए सुनियोजित कार्यकारी नेतृत्व कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना।
- सहकारी विशिष्टता : सहकारी समितियों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना, उसकी विशिष्ट पहचान का लाभ उठाना।
- ज्ञान साझा करना : नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय शिक्षण अवसरों को बढ़ावा देना।

#### 4. संवहनीय तथा सहकारी भविष्य का निर्माण

- स्थिरता समाधान : सहकारिता संचालित परिवेश अनुकूल कार्यवाही तथा सतत विकास पहलू को लागू करना।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण : विकास और ब्राण्डिंग को सशक्त बनाने के लिए सहकारी प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धि और डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाएं।
- लचीला नेटवर्क : सहकारी मूल्य श्रृंखलाओं, चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं, तथा प्लेटफॉर्म सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना।
- प्रभावशाली सहभागितायें : विश्वव्यापी सीमाओं के अन्दर स्थिरता के लिए अनुसंधान, शिक्षा और मानदण्डों पर सहयोग करें।

## हितधारकों के लिए कार्यक्षेत्र:

### व्यक्तिगत सहकारी समितियां :

- सदस्यों को सशक्त बनाना, शिक्षा, लैंगिक समानता तथा युवा नेतृत्व विकास को प्राथमिकता देना।
- लचीलेपन के लिए नवपरिवर्तन लाना : प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए प्रौद्योगिकियों और नए व्यापार माडल अपनाएं।
- एकता को सुदृढ़ बनायें : साझा ब्राण्डिंग, पक्ष पोषण एवं सहभागिता के लिए अन्य सहकारी समितियों के साथ सहयोग करें।
- नेटवर्क बनाएं : सहकारी अनुसंधान और शिक्षा में योगदान करते हुए मानदण्ड, वित्त और पक्षपोषण के लिए संसाधन एकत्रित करें।

### समुदाय :

- स्थानीय सहकारी समितियों को सहयोग करें : सहकारी उद्यमों से सम्बन्ध स्थापित करें, उनका संरक्षण करें और उनका पक्षपोषण करें।
- सहकारी समितियों के मूल्य को पहचाने : लोक तांत्रिक स्वामित्व और निर्णय लेने के लाभों को प्रोत्साहित करें।
- सहकारी समितियों के साथ परिवर्तन हेतु साझेदारी करें : गरीबी असमानता, आवास और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी समितियों के साथ सहयोग करें।
- शिक्षा को बढ़ावा देना : कार्पोरेट बिजनेस माडल के साथ समानता लाने के लिए पाठ्यक्रम में सहकारी अध्ययन की हिमायत करना।

### नागरिक समाज संगठन :

- सहकारी नीतियों के लिए समर्थन : अनुकूल पहलों और विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए सरकारों एवं संस्थाओं पर दबाव डालना।

- सहकारी समितियों के प्रति जागरूकता पैदा करना : सतत विकास में सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालें।
- प्रभाव के लिए सहयोग करें : सामाजिक और पर्यावरणीय पहलों पर सहकारी समितियों के साथ साझेदारी करें।
- सहकारी समितियां बनाएं : संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक, लोकतांत्रिक उद्यमों का लाभ उठाएं।

### विविधतापूर्ण निजी क्षेत्र

- सहकारिताओं में निवेश : सहकारी समितियों को धैर्यवान पूँजी, ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- नैतिक रूप से सहयोग करें : सहकारी समितियों के साथ संयुक्त उद्यमों और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं में सम्मिलित हों।
- मूल्यों को प्रोत्साहित करें : समानता, निष्पक्षता और स्थिरता के सिद्धान्तों को प्रोत्साहित करें।
- श्रमिकों को सशक्त बनायें : उद्योगों के अन्दर श्रमिक सहकारी समितियों के गठन का समर्थन करें।

### राय बनाने वाले :

- सहकारी समितियों के सकारात्मक प्रभाव पर सफलता की कहानियां साझा करें : नवाचार और विकास में सहकारी उपलब्धियों को उजागर करें।
- गलत धारणाओं का सामना करें : सहकारी समितियों के बारे में रूढ़िवादिता को चुनौती दें।
- सहकारी नीतियों का समर्थन करें : सार्वजनिक और नीतिगत दृष्टिकोण को आकार देने के लिए प्रभावों का लाभ उठाएं।
- कार्यवाही को प्रेरित करें : वैश्विक स्तर पर सहकारी आन्दोलन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सशक्त मंचों का उपयोग करें।

### सरकारें एवं नीति निर्माता

- सहकारी समितियों के लिए उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तथा विधिक रूपरेखा बनायें : एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से सहकारी विकास का समर्थन करें जिसमें वित्तीय, विधिक और शैक्षिक पहल सम्मिलित हो तथा पर्याप्त कर प्रोत्साहन, नियामक सुधार और वित्त तक पहुँच को ध्यान में रखा जाए।
- सहकारी समितियों को प्रमुख भागीदार के रूप में मान्यता दें : राष्ट्रीय नीतियों तथा कानून के विकास कार्यान्वयन में सहकारी समितियों को सम्मिलित करें।
- सहकारी शिक्षा को मुख्य धारा में लाएं : ऐसे कार्यक्रमों में निवेश करें जो लोगों को सहकारी सिद्धान्तों और प्रथाओं के बारे में सिखाएं।
- सहकारी अनुसंधान में निवेश करें : सहकारी समितियों के सामाजिक-पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले अध्ययनों का समर्थन करें।

### बहुपक्षीय संस्थायें :

- सहकारी समितियों के विकास के लिए एक व्यापक परिस्थिकी तंत्र दृष्टिकोण अपनाकर सहकारी विकास का समर्थन करें : सहकारी संगठनों को वित्त पोषण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करें।
- सहकारी संघों तथा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय महासंघों को प्राथमिक सहकारी समितियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्रों और उत्तोलक के रूप में सुदृढ़ बनाना।
- सतत विकास में सहकारी समितियों की भूमिका को पहचानना : सहकारी समितियों को विकास रणनीतियों और कार्यक्रमों में एकीकृत करना, तथा आईसीए के माध्यम से जुड़े वैश्विक आन्दोलन का समर्थन करना।
- अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना : सहकारी समितियों के मध्य सीमा पार सहयोग को सुगम बनाना।

### अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए कार्य योजना सहकारिता मंत्रालय द्वारा निर्गत व्यापक दिशा-निर्देश

1. प्राथमिक स्तर : परिचालन सुधार और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
2. सहकारी कार्यक्रम : राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राजभवनों में आयोजित किए जाएंगे।
3. सूचना प्रसार : संसद टीवी सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से किया जाएगा।
4. लोगो दृश्यता : अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का लोगो अमूल और सभी सहकारी पैकेजिंग पर प्रदर्शित किया जाएगा।
5. मंत्रालय की पहल : सहकारिता मंत्रालय का सभी सहकारी समितियों में व्यापक प्रचार किया जाएगा।
6. डेयरी सहकारी समितियां : सदस्यता और दुग्ध संग्रह बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय विस्तार योजना विकसित करना।
7. आदर्श उपनियमों को बढ़ावा देना : व्यापक प्रचार के साथ प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना।
8. राज्य/जिला पहल : जैविक खेती स्वच्छता अभियान तथा 'एक पेड़ एक मां के नाम' अभियान पर ध्यान केन्द्रित करना।
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग : वैश्विक सर्वोत्तम कार्यशैलियों का अध्ययन करना तथा अंतरराष्ट्रीय सहकारी समितियों को भारत में आमंत्रित करना।
10. सहकारी सहयोग : अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के आयोजन के लिए सहकारी संघों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंको, बहुराज्य-सहकारी समितियों की वित्तीय भागीदारी।

### अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 – राष्ट्रीय कार्ययोजना तथा दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना के कार्यक्रमों का विवरण

आईसीए तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर सहकारी साख संरचना के कार्यक्रमों का विवरण तैयार किया है। फेडरेशन ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (आईवाईसी दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना के कार्यक्रमों को अंतिम रूप 2025) कार्ययोजना तथा आईवाईसी 2025 के लिए दीर्घकालिक दिया गया है, जो इस प्रकार है :

	ए. राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर	
जून'25 (तिथि निर्धारित की जानी है)	भारत की क्रेडिट एवं बैंकिंग समिति से सम्बन्धित एशिया प्रशान्त एपी की अंतरराष्ट्रीय अनुभव साझाकरण अध्ययन यात्रा -1 संख्या)*	महाराष्ट्र और गुजरात
जुलाई'25	6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस और 5 जुलाई 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर निर्धारित विषय – सहकार से समृद्धि पर सहकारिता मंत्रालय की पहल पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन	
नवम्बर '25 का तीसरा सप्ताह	अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 एआरडी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन के संयोजन में एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कारों का वितरण	नई दिल्ली

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निर्धारित समय	आयोजन स्थल*
1	गुजरात	फरवरी 2025 – गत सप्ताह	अहमदाबाद
2	तमिलनाडु	मार्च 2025 – दूसरी छमाही	चेन्नै
3	पश्चिम बंगाल	मई 2025 – अंतिम सप्ताह	कोलकाता
4	कर्नाटक	जून 2025 – पहली छमाही	बैंगलूरु
5	पंजाब	जुलाई 2025 – दूसरी छमाही	चण्डीगढ़
6	हरियाणा	अगस्त 2025 – पहली छमाही	पंचकुला
7	राजस्थान	अगस्त 2025 –दूसरी छमाही	जयपुर
8	केरल	सितम्बर 2025 – पहली छमाही	थिरुअनन्थपुरम
9	हिमाचल प्रदेश	अक्टूबर 2025 – पहली छमाही	धर्मशाला
10	उत्तर प्रदेश	अक्टूबर 2025 – दूसरी छमाही	लखनऊ

\* आयोजन स्थल बैंक की सुविधानुसार परिवर्तित हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 थीम, 'सहकारिताओं से एक बेहतर विश्व का निर्माण' पर निम्नांकित उप-विषयों के साथ एक दिवसीय संगोष्ठी

- (1) सहकारितायें महिलाओं एवं युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान देते हुए एक बेहतर विश्व का निर्माण करेंगी।
- (2) सतत विकास में योगदान बढ़ाने के लिए ग्रामीण सशक्तीकरण हेतु दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना में सुधार।
- (3) डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन।

सम्बन्धित एससीएआरडी बैंकों से परामर्श कर तिथियों और निर्धारित आयोजन स्थल निर्धारण किया जा रहा है।

### वर्ष भर की गतिविधियां

- 1) सहकारी गीत को लोकप्रिय बनाना – विभिन्न अवसरों पर संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहकारिता गीत गाया/ बजाया जाएगा।

टिप्पणी—सहकारिता गीत का अंतिम संस्करण प्राप्त हो जाने पर उसे संरचना की सभी संस्थाओं में प्रसारित कर दिया जाएगा।

- 2) युवाओं एवं महिलाओं को सम्मिलित करना

(i) एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों द्वारा प्राथमिक स्तर पर चलाए जा रहे सदस्यता अभियान और व्यवसाय समर्थन में महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(ii) सदस्य बैंकों को विशेष ब्याज दरों की पेशकश करके महिलाओं और युवाओं को ऋण तथा बचत सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना।

- 3) जन संचार योजना

(i) आईवाईसी 2025 के लिए एक पृथक अनुभाग के साथ वेबसाइट का पुनर्निर्माण।

(ii) आईवाईसी 2025 समाचार और रिपोर्ट के लिए मासिक समाचार पत्र में अलग अनुभाग।

(iii) सहकारिता मंत्रालय, फेडरेशन, सदस्य बैंक, आईसीए आदि द्वारा आईवाईसी 2025 कार्यक्रमों के लिए नियमित आधार पर सोशल मीडिया कवरेज तथा लेखन सामग्री आलेखन तथा देखभाल के लिए समर्पित कर्मचारियों की नियुक्ति।

(iv) प्रेस वार्ता/विज्ञापित के माध्यम से फेडरेशन के आईवाईसी 2025 कार्यक्रमों के मुद्रण/प्रकाशन दृष्य श्रव्य मीडिया कवरेज की व्यवस्था करना।

(v) एआरडी बैंक के आईवाईसी 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर नवम्बर 2025 में मासिक समाचार पत्र का विशेषांक प्रकाशन।

- 4) जलवायु परिवर्तन शमन के समर्थन हेतु कृषि वानिकी/वृक्षारोपण अभियान

आईवाईसी 2025 के दौरान कृषि वानिकी को महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। एआरडी बैंक द्वारा वित्त पोषित किसानों द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने, उन्हें अपने कृषि क्षेत्रों की सीमाओं के साथ वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करते हुये उनका समर्थन किया जाएगा, जो आय का एक अतिरिक्त स्रोत होने के अतिरिक्त खेत में तापमान के स्तर को नियन्त्रित करने में सहायता प्रदान करता है। एआरडी बैंक राज्यों में वन और पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर रोपण सामग्री का चयन करेंगे तथा पेड़ों की कृषि वानिकी के लिये उपयुक्त किस्मों की आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे, जिन्हें 5-7 वर्षों के अन्दर काटा जा सकता है।

यह गतिविधि पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों के अन्तर्गत की जा रही है।

- 5) सहकार झण्डे को फहराना

सदस्य संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर, सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस तथा सहकारिता सप्ताह के दौरान सभी दिनों तथा आईवाईसी 2025 के भाग के रूप में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहकारी ध्वज फहराने की सलाह दी जाती है।

## एनसीडीसी द्वारा एससीएआरडी बैंकों को वित्तीय सहायता

फेडरेशन एनसीडीसी से एआरडी बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देने का अनुरोध करता रहा है क्योंकि नाबार्ड से पुनर्वित्त की उपलब्धता सभी एससीएआरडी बैंकों के लिए सम्भव नहीं है और जिन्हें उपलब्ध है, वह सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने तथा एआरडी बैंक द्वारा व्यवहार्य व्यवसाय स्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एनसीडीसी ने कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण देने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना तैयार की है। फेडरेशन ने अपने व्यवसाय के विविधीकरण और विस्तार के लिए एनसीडीसी से दीर्घकालिक वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए सदस्य बैंको को पहले ही योजना प्रसारित कर दी।

योजना के मुख्य विशेषताये निम्नलिखित हैं :

- 1) ऋण की अधिकतम अवधि :  
अवधि 5 वर्ष, जो ब्याज सहित 10 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा।
- 2) ब्याज दर :  
एनसीडीसी की ब्याज दरें बाजार से सम्बन्धित हैं, जो वर्तमान में लगभग 10% है, जिसे तथापि, उधारग्रहीता बैंक कही वित्तीय सामर्थ्य के आधार पर, एनसीडीसी के प्रबन्ध निदेशक के साथ विचार विमर्ष के अनुसार 9.5% से 9.75% की सीमा में निर्धारित किया जा सकता है।
- 3) उद्देश्य :  
इस ऋण का उपयोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी उद्देश्य के लिए किसानों को ऋण देने के लिए किया जा सकता है।
- 4) एससीएआरडी बैंक प्रत्यक्ष ऋण के लिए पात्रता :
  - (i) प्रदत्त अंश पूँजी में कोई अपक्षरण नहीं होना चाहिए।
  - (ii) विगत 3 वर्षों के दौरान वार्षिक शुद्ध हानि न हुई हो।
- 5) एनसीडीसी ऋण की सुरक्षा :  
बैंक को ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में निम्नलिखित में से

कोई एक अथवा इनका संयोजन प्रदान करना होगा।

- (i) शासकीय गारण्टी
- (ii) राज्य सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक सहित किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक गारण्टी।
- (iii) भूमि और भवन सहित अचल सम्पत्तियों का बंधक।
- (iv) सावधि जमा की गिरवी।
- (v) सरकारी बॉण्ड/अनुमोदित प्रतिभूतियां आदि को दृष्टिबंधक

एनसीडीसी के पास कृषि सहकारी समितियों को अल्पावधि के ऋण देने की भी योजना है, जिसका उपयोग आभूषण ऋण देने, दीर्घावधि उधारकर्ताओं को चक्रीय ऋण सीमा स्वीकृत करने तथा सामान्य रूप से एआरडी बैंक के दीर्घावधि ऋणी सदस्यों को किसी भी प्रकार की अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अल्पावधि ऋण एआरडीबैंक के अंतरिम वित्त के रूप में प्रारम्भिक ऋण वितरण के लिए उपयोगी होगा।

## सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण

भारत सरकार ने सूचना नोट दिनांक 1.10.2024 के अन्तर्गत बहुराज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023 के अधिनियमित होने के बाद नवम्बर 2023 में गठित अंतरिम सीईए के स्थान पर सहकारी चुनाव प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है। सहकारी चुनाव प्राधिकरण की संरचना निम्नलिखित है।

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह                                       | अध्यक्ष/सभापति    |
| 2. श्री आर के गुप्ता   | उपाध्यक्ष         |
| 3. श्रीमती मोनिका खन्ना<br>(सीईए के स्थाई सदस्य के योगदान देने तक) | उपाध्यक्ष (महिला) |

बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 45 (एल) के अनुसार सीईए मतदाता सूची तैयार करने और बहुराज्यीय सहकारी समितियोंके निदेशक मण्डल एवं पदाधिकारियों के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

## केन्द्रीय बजट 2025

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में कहा गया है कि यद्यपि अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना सशक्त एवं सुदृढ़ है, फिर भी 2047 में 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विकास हासिल करने में प्रमुख चुनौतियां हैं। निवेश में मंदी तथा उपभोक्ता मांग में अनिश्चितता, विशेषरूप से शहरी मध्यमवर्ग के व्यय में दो प्रमुख चिंताओं के रूप में रेखांकित की गई है।

वित्त मंत्री ने उपरोक्त पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किए गये केन्द्रीय बजट 2025 में इन चुनौतियों का समाधान करने का साहसिक और ईमानदार प्रयास किया।

आयकर छूट सीमा बढ़ाकर ₹12 लाख करने के सबसे चर्चित निर्णय से मध्यमवर्ग की भावनाओं को ऊपर उठाने के अतिरिक्त मांग में बहुत आवश्यक वृद्धि होने की आशा है। बजट में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विकास के चार मुख्य इंजनों के रूप में कृषि एमएसएमई निवेश और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण तथा भण्डारण और आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से कटाई के बाद मूल्य सम्वर्धन कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। बजट में बढ़ती जनसंख्या की खाद्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के और 2047 तक खाद्य का प्रमुख निर्यातक बनने के लिए दीर्घकालिक रणनीति के हिस्से के रूप में इन उद्येश्यों को प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रमों और मिशन का प्रस्ताव किया गया है। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अन्तर्गत 1.7 करोड़ किसानों को सम्मिलित किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में सभी के लिए पूर्णकालिक रोजगार पैदा करने के लिए ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम, अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की कुछ किस्मों में आत्म निर्भर बनने के लिए विशेष कार्यक्रम, जिनका उत्पादन घरेलू मांग से कम है, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फलों और सब्जियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम, उच्च उपजवाले कीट प्रतिरोधी और जलवायु प्रतिरोधी बीजों का विकास, अन्दमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मत्स्य पालन का

सतत दोहन, कपास की उत्पादकता में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम बजट में घोषित कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं।

ऋण की उत्पादकता में सुधार करने के लिए, सरकार ने ब्याज अनुदान के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ा कर 5 लाख रुपये करने, 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय समावेशन में भारतीय डाक की बड़ी भूमिका और सहकारी क्षेत्र की ऋण गतिविधियों का विस्तार करने के लिए एनसीडीसी को अधिक समर्थन देने की घोषणा की है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र जो 5.7 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है तथा विनिर्माण में 36% और निर्यात में 45% की भागीदारी रखता है, उसे सरकार के प्रमुख इंजनों में से एक माना जाता है। एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुल कारोबार सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारण्टी कवर को बढ़ाकर ₹10 करोड़ तथा स्टार्टअप के मामले में ₹20 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें 1% की कम गारण्टी फीस है।

निवेश और निर्यात बजट में सूचीबद्ध विकास के अन्य दो प्रमुख इंजन हैं। बजट में मानव संसाधन में बड़े पैमाने पर निवेश में तेजी लाने का प्रस्ताव किया गया है तथा बच्चों के पोषण और सहायता, बुनियादी ढांचे में सुधार तथा स्कूली शिक्षा गुणवत्ता, युवाओं के कौशल विकास आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को केन्द्र बिन्दु के क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।

बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने और 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 80% जनसंख्या को पानी उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 2028 तक 100% जनसंख्या को पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

शहरों को विकास केन्द्रों में बदलने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष स्थापित करने, वितरण घाटे को कम करने तथा विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विद्युत क्षेत्र

में सुधार करे गति देने, 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन और स्वदेशी रूप से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने का भी प्रस्ताव है। नौपरिवहन में जहाज निर्माण को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। सरकार समुद्री विकास कोष भी स्थापित करेगी। बेहतर क्षेत्रीय सम्पर्क के लिए उडान योजना को परिवर्तित किया जाएगा। शीर्ष 50 पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने और पर्यटन में युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करने सहित विकास आदि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन्हें त्वरित निवेश के लिए पहचाना गया है। बजट में नवाचारों के लिए निवेश पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा इसके लिए कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

बजट में निर्यात को विकास के चौथे इंजन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निर्यात और निविष्टियों के मध्य बढ़ते अंतर को कम करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई प्रस्ताव सम्मिलित हैं। निर्यात ऋणों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना, निर्यात बढ़ाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहन देना, व्यापार दस्तावेज़ीकरण के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए घरेलू विनिर्माण क्षेत्र का समर्थन करना, बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एयर कार्गो की वेयरहाउसिंग सुविधायें विकसित करना आदि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रस्ताव हैं।

बजट में कई नई पहलों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। बीमा में एफडीआई को 74% से आगे बढ़ा कर 100% करना इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक की सेवाओं का विस्तार करना, नेशनल डैक फॉर फाइनेन्सिंग इन्फ्रस्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेण्ट (एनएबीएफआईडी) द्वारा ऋण विस्तार, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा विकसित करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को गहन करने के प्रमुख प्रस्तावों में से है।

बजट में गैर-वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे कारोबार करने में आसानी हो और निवेश में मंदी को दूर किया जा सके। बजट में राजकोषीय घाटे को 2024-25 में अनुमानित 4.8% से घटाकर 2025-26 में 4.4% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025-26 के दौरान अनुमानित कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़ है जिसे ₹34.96

लाख करोड़ की कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़ कर) से पूरा किया जाएगा। जबकि राजकोषीय घाटा ₹15.69 लाख करोड़ होगा।

## योजना, अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ की वर्ष 2024-25 की गतिविधियां

### (ए) सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठी एवं अध्ययन

1) एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन और नवाचार पर सम्मेलन फेडरेशन ने 24 अक्टूबर 2024 को एआरडी बैंकों में "सुधार, पुनर्गठन और नवाचार" पर अध्ययन की संशोधित आलेख आख्या पर विस्तार से विचार विमर्श हेतु एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में, जिसमें सभी एससीएआरडीबी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को संशोधित रिपोर्ट पर निम्नलिखित विचार प्रेषित करने का संकल्प लिया गया।

- फेडरेशन इस स्तर पर संशोधित रिपोर्ट के अध्याय-17 में प्रस्तावित विलय और परिसमापन के पुनर्गठन विकल्पों से पूरी तरह असहमत है। फेडरेशन, विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण संरचना परिसमापन से असहमत है, जिससे हाल के वर्षों में शीर्ष और पीसीएआरडी बैंक दोनों स्तरों पर संचित घाटे में लगातार कमी आ रही है। इसीप्रकार, संचित घाटे वाले सभी पीसीएआरडी बैंकों का परिसमापन उचित नहीं है, जिनमें वे भी सम्मिलित है जिन्होंने विभिन्न राज्यों में विगत 3-5 वर्षों में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया है तथा घाटे को उत्तरोत्तर कम किया है। यह भी अनुभव किया गया है कि पुनर्गठन प्रस्ताव में पीसीएआरडी बैंक के परिसमापन से एससीएआरडी बैंक की व्यवहार्यता पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है, जो पीसीएआरडी बैंकों के पोषण की एक मात्र एजेन्सी है।
- फेडरेशन संशोधित प्रगतिवेदन के अध्याय-16 में निहित सुधारों से सम्बन्धित सभी संस्तुतियों से सहमत है और अनुरोध करता है कि इन संस्तुतियों को नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित समय सीमा के अनुसार लागू किये जाए।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मण्डल चाहता है कि सरकार संशोधित आख्या के अध्याय-17 में उल्लेखित पुनर्गठन विकल्पों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे।

- 90 के दशक में प्रारम्भ किए गये वित्तीय क्षेत्र सुधारों से एलटीसीसीएस को बाहर रखा जाना, जिससे अन्य क्षेत्रों की दृढ़ता मिली, एलटीसीसीएस की कमजोरी का मुख्य कारण है।
- केन्द्र सरकार ने 2008-09 में इसके कार्यान्वयन की घोषणा के बाद भी एलटीसीसीएस को सुदृढ़ बनाने के लिए वैद्यनाथन कार्यदल-11 की संस्तुतियों को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।
- उपर्युक्त पृष्ठभूमि पर निदेशक मण्डल प्रतिवेदित आख्या के अध्याय-16 में 'भारत' के अन्तर्गत की गई संस्तुतियों के साथसाथ एआरडी बैंकों के कम्प्यूट्रीकरण, जो पहले ही प्रगति पर है, को एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों के लिए अपने प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति में सुधार करने का एकमात्र अवसर मानता है।
- विलय और परिसमापन के विकल्पों पर विचार करने से पहले इस क्षेत्र को यह अवसर दिया जाना चाहिए जो इसके लम्बे इतिहास में पहली बार उपलब्ध है।
- नाबार्ड द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार, अध्याय-16 में 51 संस्तुतियों को 2 वर्षों के अन्दर क्रियान्वित किया जा सकता है, जबकि उनमें से अधिकांश को 6 महीने की अल्पावधि तथा 12 महीने की मध्यम अवधि में क्रियान्वित किया जा सकता है।
- अध्याय-16 तथा कम्प्यूट्रीकरण में उल्लेखित सुधारों के साथ-साथ, राज्य और केन्द्र सरकारें एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंक की ऋण लेने की क्षमता को पर्याप्त स्तर पर बहाल करने के लिए एलटीसीसीएस को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने पर भी विचार कर सकती है। वास्तव में, इस प्रकार की वित्तीय सहायता का एक सुदृढ़ आधार है क्योंकि इस संरचना को हुई क्षति का अधिकांश भाग केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों के कारण था, जिसमें 70 और 80 के दशक में निर्देशित ऋण कार्यक्रम

आवंटित करना, 1990 में भारत सरकार की ग्रामीण ऋण माफी योजना तथा उसके पश्चात राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई विभिन्न ऋण माफी योजनाओं के अन्तर्गत बट्टे खातों में डाली गई राशि की प्रतिपूर्ति में कमी आदि सम्मिलित हैं।

- निदेशक मण्डल का दृढ़ विश्वास है कि अध्याय-16 में सूचीबद्ध संस्तुतियों के कार्यान्वयन के साथ-साथ नाबार्ड/एनसीडीसी द्वारा कम्प्यूट्रीकरण और बढ़े हुए पुनर्वित्त की व्यवस्था से सभी राज्यों में राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) तथा प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। उक्त संस्तुतियों के क्रियान्वयन के पूरा होने के बाद, एआरडी बैंकों को सुधारों का लाभ उठाने तथा स्थाई रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कम से कम 3 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए।
- अध्याय-16 में अनुशासित सुधारों के कार्यान्वयन को पूरा करने के बाद उक्त 3 वर्ष की अवधि उपरान्त सरकार और नाबार्ड द्वारा सुधारों के प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन किया जा सकता है तथा उक्त मूल्यांकन के आधार पर विलय/परिसमापन पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

## (2) आईवाईसी 2025 की राष्ट्रीय संगोष्ठी

नेफकार्ड ने 26 मार्च 2025 को आयोजित निदेशक मण्डल की 178वीं बैठक के संयोजन में 27 मार्च 2025 को चेन्नै, तमिलनाडु में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास में एआरडी बैंक की भूमिका को बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देना तथा सदस्य बैंकों को निरन्तर विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उनकी बड़ी हुई भूमिका के लिए तैयार करना था। डा. मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष ने संगोष्ठी सत्र की अध्यक्षता की। प्रबन्ध निदेशक श्री के. के. रविन्द्रन ने 'सहकारिताएं बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं' विषय पर विषयगत पत्र प्रस्तुत किया। सहकारी समितियों के अतिरिक्त निबन्धक (सेवानिवृत्त) डा. के. शिवाजी ने सतत विकास और सामाजिक परिवर्तन में सहकारी समितियों के योगदान पर एक प्रस्तुति दी। तमिलनाडु सीएसएआरडी बैंक के अतिरिक्त निबन्धक एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री एम. मुरुगन ने विगत तीन वर्षों में राज्य के लगभग 90% पीसीएआरडी बैंकों को घाटे से लाभ में लाने में तमिलनाडु सीएसएआरडी बैंक की सफलता की कहानी प्रस्तुत की। संगोष्ठी में फेडरेशन के सदस्य बैंकों के अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

फेडरेशन ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए तथ्य-पत्र तैयार किए हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के संदर्भ और विषय-वस्तु तथा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान एलटीसीसीएस की कार्ययोजना से सम्बन्धित सूचनाये सम्मिलित हैं, जिसे संगोष्ठी में जारी किया गया।

(3) वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की गतिविधियां

सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार फेडरेशन ने राज्य स्तर पर कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए 12 फरवरी 2025 को सदस्य बैंकों के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की। इस ऑन लाइन बैठक में अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित सदस्य बैंकों के 28 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलर कोटेचा ने की तथा प्रबन्ध निदेशक श्री के. के. रविन्द्रन ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर प्रस्तुति दी, जिसमें

कार्ययोजना तैयार करने हेतु पृष्ठभूमि, उद्देश्य और दिशानिर्देश सम्मिलित थे। कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें आईवाईसी की विषय-वस्तु, "सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं" पर 10 राज्यस्तर संगोष्ठियां, 2 राष्ट्रीय संगोष्ठियां, (जिनमें एक वेबिनार होगी) तथा एलटीसीसीएस से सम्बन्धित निम्नलिखित उप-विषय सम्मिलित थे :-

- (i) ग्रामीण सशक्तीकरण के लिए दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना में सुधार।
- (ii) सतत विकास में एलटीसीसीएस के योगदान को प्रोत्साहित करना।
- (iii) डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन।

कार्ययोजना में महिलाओं और युवाओं को ऋण सदस्यता बढ़ाने तथा एआरडी बैंकों द्वारा वित्त पोषित किसानों द्वारा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

राज्य स्तरीय संगोष्ठियों के कार्यक्रम नीचे दिए गये हैं।

सहकारिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप, फेडरेशन और सदस्य बैंकों ने लेटर हेड, अन्य लेखनसामग्री आदि पर आईवाईसी 2025 लोगो का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया, मासिक समाचार पत्र में आईवाईसी 2025 समाचार के लिए विशेष अनुभाग और मुद्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ फेडरेशन और सदस्य बैंकों के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों

क्रमसंख्या	राज्य का नाम	निर्धारित समय*	आयोजन स्थल
1	गुजरात	फरवरी 2025 – अंतिम सप्ताह	अहमदाबाद
2	तमिलनाडु	मई 2025 – दूसरी छमाही	चेन्नै
3	पश्चिम बंगाल	मई 2025 – अंतिम सप्ताह	कोलकाता
4	कर्नाटक	जून 2025 – पहली छमाही	बेंगलूरु
5	पंजाब	जुलाई 2025 – दूसरी छमाही	चण्डीगढ़
6	हरियाणा	अगस्त 2025 – पहली छमाही	पंचकुला
7	राजस्थान	अगस्त 2025 – दूसरी छमाही	जयपुर
8	केरल	सितम्बर 2025-पहली छमाही	थिरुअनन्थपुरम
9	हिमांचल प्रदेश	अक्टूबर 2025 – पहली छमाही	धर्मशाला
10	उत्तर प्रदेश	अक्टूबर 2025 – दूसरी छमाही	लखनऊ

\* तिथियों का निर्धारण और उनकी सूचना सम्बन्धित एससीएआरडी बैंक द्वारा दी जा रही है।

पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आईवाईसी गतिविधियों / कार्यक्रमों का कवरेज सुनिश्चित करना और वेबसाइट में आईवाईसी पर अलग अनुभाग प्रारम्भ किया।

### (बी) सुधार पहल के लिए कोर ग्रुप (सीजीआरआई)

एससीएआरडी बैंक द्वारा गठित कोरग्रुप फॉर रिफार्म इनीशिएटिव (सीजीआरआई) की अधिकांश बैंकों में नियमित बैठकें सम्पन्न हो रही हैं। सीजीआरआई आधार स्तर पर स्व-चालित सुधारों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। सीजीआरआई ने संसाधनों को जुटाने के नए रास्ते, नए उत्पादों का शुभारम्भ, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान और एससीएआरडी बैंक की रेटिंग में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्यवाही, विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के साथ-साथ वसूली और एनपीए प्रबन्धन को निर्दिष्ट करने वाली सुसंगत नीतियों और भलीभांति प्रलेखित प्रक्रिया को विकसित करने के उद्देश्य से कार्यात्मक क्षेत्रों पर संहिता तैयार करने के मुख्य क्षेत्रों में पहले से प्रारम्भ किये गये सुधारों के प्रभाव की भी समीक्षा की है।

### (सी) सोशल मीडिया जुड़ाव तथा पहुँच विस्तार कार्ययोजना

फेडरेशन ने सदस्य बैंको द्वारा सूचना प्रसार और व्यवसाय सम्वर्धन के लिए 2003 में सोशल मीडिया खाते प्रारम्भ किये हैं। इन खातों के लिंक नीचे दिए गये हैं।

#### 1. फेसबुक एकाउण्ट

नाम—nafcard.coop  
उपयोगकर्ता—NAFCARD.COOP  
बाह्य स्वरूप यूआरएल —  
<https://www.facebook.com/NAFCARD.COOP>

#### 2. इन्स्टाग्राम एकाउण्ट

नाम—nafcard.coop  
उपयोगकर्ता—NAFCARD.COOP  
बाह्य स्वरूप यूआरएल—  
<https://www.instagram.com/nafcard.coop>

#### 3. यूट्यूब एकाउण्ट

नाम— NAFCARD WORLD  
उपयोगकर्ता—@nafcard\_world  
बाह्य स्वरूप यूआरएल—  
[https://www.youtube.com/@nafcard\\_world](https://www.youtube.com/@nafcard_world)

सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर, फेडरेशन ने हाल ही में सोशल मीडिया जुड़ाव को अंतिम रूप दिया है। इस कार्य योजना में फेडरेशन के कार्यालय में मुख्य निदेशक की अध्यक्षता में सोशल मीडिया टीम का गठन सम्मिलित है, जिसका सहयोग सभी राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों में एक वरिष्ठ सहायक तथा सोशल मीडिया समन्वयक करेंगे। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने अपने मुख्यालयों पर अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को इस टीम में सम्मिलित करने के लिए सोशल मीडिया समन्वयक के रूप में नामित किया है। यह टीम आउटरीच की प्रगति की समीक्षा और साप्ताहिक कार्यों पर निर्णय लेने के लिए साप्ताहिक ऑनलाइन बातचीत करेगी। राज्य स्तर पर सोशल मीडिया समन्वयक को बैंक की व्यावसायिक प्रचार गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्य स्तर समाचारों और गतिविधियों पर साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने का कार्य भी सौंपा गया है। फेडरेशन के सोशल मीडिया खातों की पहुँच 9000 से 10000 दर्शकों के स्तर तक पहुँच गई है, जो कि विभिन्न स्तरों पर लगभग 50000 अधिकारिक और गैर-अधिकारिक पदाधिकारियों तथा भू-स्तर पर 100 लाख से अधिक सदस्योंवाले क्षेत्र के लिए अपर्याप्त है। उपरोक्त पृष्ठभूमि पर कार्य योजना में एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंक द्वारा पूरे स्टाफ, एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंक के निदेशकों के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर सदस्यों को फेडरेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में यथा सम्भव नामांकित करने के लिए विशेष प्रयास शामिल हैं।

### (डी) प्रकाशन

#### लैण्ड बैंक जरनल मासिक समाचार पत्र

फेडरेशन ने लैण्ड बैंक जरनल मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1 अप्रैल 2023 से प्रारम्भ कर दिया है तथा वर्ष के दौरान सभी 12 महीनों में इसका प्रकाशन किया है। इसके अतिरिक्त लैण्ड बैंक जरनल मासिक समाचार पत्र के मुद्रित संस्करण के साथ ही इसका ई-पत्र संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है। 2024-25 के दौरान वर्ष के अन्त में इसकी कुल प्रसार संख्या 4000 पहुँच गई है। इस समाचार पत्र में दीर्घकालीन साख संरचना क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं तथा सदस्य बैंकों के समाचार

गतिविधियों के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं रिपोर्ट जिसमें सहकरिता मंत्रालय के कार्यक्रम और पहल सम्बन्धी समाचार होते हैं, का भी प्रकाशन किया जाता है।

### वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन

सदस्य बैंकों के संचालन से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन तथा सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन भी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। आधार स्तर पर आंकड़ों को प्राप्त करने में होने वाली देरी को दूर करने लिए फेडरेशन रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को अद्यतन बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वर्ष 2022-23 की वार्षिक सांख्यिकीय

## सम्बद्धीकरण

### राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सम्बद्ध है।

#### **नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया (एनसीयूआई)**

फेडरेशन एनसीयूआई का सदस्य है तथा इसके कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ा है।

#### **कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया (सीओबीआई)**

फेडरेशन सीओबीआई के संस्थापक सदस्यों में से एक है। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलार कोटेचा को सीओबीआई की सामान्य सभा में नामित किया गया था और वह निदेशक मण्डल के निर्वाचित सदस्य भी हैं।

#### **नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि. (नेफेक)**

फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलार कोटेचा इसकी सामान्य सभा तथा एनएएफएफएसी के निदेशक मण्डल में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

#### **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)**

फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलार कोटेचा को एनसीडीसी

बुलेटिन का प्रकाशन एवं वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 की वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन शीघ्र ही जारी होगा।

### एआरडी बैंकों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

फेडरेशन अपने स्तर पर समीक्षा और भारत सरकार को सूचनाएं सम्प्रेषित करने के लिए मासिक आधार पर सदस्य बैंकों के प्रमुख क्रिया कलापों पर आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका संकलन करता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट में सम्मिलित मुख्य क्षेत्र, ऋण वितरण, वसूली निष्पादन, ऋण एवं जमा संग्रहण हैं। फरवरी 2024 से जनवरी 2025 के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का वितरण किया जा रहा है।

अधिनियम 1962 की धारा 3(4)(XVII) के अन्तर्गत एनसीडीसी की सामान्य परिषद का सदस्य नामित किया गया है।

फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से भी एसोसिएट सदस्यता बनाए हुए है:-

- इण्डियन मर्चेण्ट्स चेम्बर (आइएमसी)
- इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए)
- इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन (आइएसएससी)
- इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लि. (आइटीसी)

### **सेण्टर फॉर इण्टरनेशनल कोआपरेशन एण्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीआईसीटीएबी)**

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक सीआईसीटीएबी की सामान्य परिषद के सदस्य हैं।

### अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

#### **• इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलाएन्स (आईसीए)**

फेडरेशन वैश्विक आइसीए के साथ ही आइसीए एशिया पैसिफिक रीजन का सदस्य है। फेडरेशन आइसीए की अनेक समितियों से भी सम्बद्ध है।

- श्री डोलार कोटेचा, फेडरेशन अध्यक्ष आइसीए सामान्य सभा तथा क्षेत्रीय सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक को सिओल, दक्षिण कोरिया में नवम्बर 2019 में सम्पन्न आइसीए-एपी जनरल एसेम्बली में आइसीए-एपी ऑन बैंकिंग एण्ड

क्रेडिट कमिटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

#### • इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन (आईआरयू)

फेडरेशन आईआरयू का सदस्य है। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलार कोटेचा आईआरयू की सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

### फेडरेशन का प्रबन्धन

#### सामान्य निकाय

सामान्य निकाय में फेडरेशन के सदस्य होते हैं जिसमें प्रतिनिधि बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है।

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहटी।
2. बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि., (बिहार-झारखण्ड) पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
5. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला।
6. जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बेंगलोर।
8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
9. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।
10. पाण्डिचेरी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि., पाण्डिचेरी।
11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि., चण्डीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
13. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नै।

14. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि., शिलॉंग।
19. तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि., हैदराबाद।

#### निदेशक मण्डल

उपविधि संख्या 20 (i से v) के अनुसार, फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:-

- (i) पात्र सदस्यों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि अधिकतम 20;
- (ii) अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार का एक नामित व्यक्ति;
- (iii) ऐसे अधिकतम 2 व्यक्ति जो प्रबन्धन, सहकारी प्रबन्धन तथा वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखते हों अथवा फेडरेशन के उद्देश्यों और गतिविधियों से सम्बन्धित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों, इन्हें पदाधिकारियों के किसी चुनाव में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा अथवा पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के पात्र नहीं होंगे, को बोर्ड द्वारा सहयोजित किया जाएगा;
- (iv) प्रबन्ध निदेशक प्रबन्धन मण्डल का पदेन सदस्य होगा;
- (v) फेडरेशन के कार्यात्मक निदेशक भी प्रबन्धन मण्डल के सदस्य होंगे, जिन्हें निदेशकों की गणना के प्रयोजनार्थ बाहर रखा जाएगा;

31.03.2025 को फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित हैं:-

क्रम संख्या	प्रबन्धन मण्डल के सदस्य का नाम	सदस्य बैंक जिसका प्रतिनिधत्व कर रहे हैं
1.	श्री डोलार कोटेचा अध्यक्ष	गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
2.	श्री के. रवीन्द्र राव उपाध्यक्ष	तेलंगाना राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि.
3.	डा. मोइनुल हसन उपाध्यक्ष	पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
4.	डा. ए. आर. शिवराम उपाध्यक्ष	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
5.	श्री सुरेश कुमार गोयल उपाध्यक्ष	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.
6.	डा. बिजेन्द्र सिंह	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.
7.	श्री बिजय कुमार सिंह	बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार-झारखण्ड)
8.	श्री डब्लू. के. किण्डियाह	मेघालय सहकारी शीर्ष बैंक लि.
9.	श्री संजय सिंह चौहान	हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
10.	श्री एम. मुरुगन	तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
11.	श्री सी. के. शाजी मोहान	केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
12.	श्री दलीप सिंह यादव	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
13.	श्री के. के. रविन्द्रन	प्रबन्ध निदेशक, नेफकार्ड

#### कार्यकारिणी समिति

उपविधि संख्या 26(ए) के अनुसार, कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचित 5 बोर्ड के सदस्य होंगे।

- (1) श्री डोलार कोटेचा अध्यक्ष, (गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (2) श्री कोण्डूरु रवीन्द्र राव, उपाध्यक्ष, (तेलंगाना राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि.)
- (3) डा. मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष, (पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (4) डा. ए. आर. शिवराम, उपाध्यक्ष, (कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (5) श्री सुरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष, (पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.)
- (6) डा. बिजेन्द्र सिंह (दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.)
- (7) श्री संजय सिंह चौहान, (हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

(8) श्री वाइभा के. किण्डियाह, (मेघालय सहकारी शीर्ष बैंक लि.)

(9) श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, नेफकार्ड

#### प्रशासनिक समिति

उपविधि संख्या 27(ए) के अनुसार, प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, तथा प्रबन्ध निदेशक होंगे। 31.03.2025 को प्रशासनिक समिति में निम्नांकित सदस्य हैं :-

- (1) श्री डोलार कोटेचा, अध्यक्ष,
- (2) श्री कोण्डूरु रवीन्द्र राव, उपाध्यक्ष
- (3) डा. मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष
- (4) डा. ए. आर. शिवराम, उपाध्यक्ष
- (5) श्री सुरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष
- (6) श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सामान्य निकाय,  
संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक

निकाय, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक  
नीचे सूचीबद्ध हैं:-

तिथि स्थान के साथ प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान सामान्य

बैठकें	स्थान	तिथि
(ए) वार्षिक सामान्य निकाय	अहमदाबाद (गुजरात)	20 अगस्त 2024
<b>(बी) प्रबन्धन मण्डल</b>		
175वें बोर्ड की बैठक	अहमदाबाद (गुजरात)	20 अगस्त 2024
176वें बोर्ड की बैठक	ऑनलाइन (जूम)	24 अक्टूबर 2024
177वें बोर्ड की बैठक	चण्डीगढ़	10 जनवरी 2025
178वें बोर्ड की बैठक	चेन्नै (तमिलनाडु)	26 मार्च 2025
<b>(सी) कार्यकारिणी समिति की बैठक</b>	चण्डीगढ़	10 जनवरी 2025

**महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर निदेशक मण्डल की बैठकों में विचार किया गया**

प्रबन्धन मण्डल की बैठकें, सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों की समीक्षा के अतिरिक्त नीतिगत एवं ग्रामीण साख से सम्बन्धित परिचालन के मुद्दों पर विचार विमर्ष करने का प्रमुख वाक्पीठ बना हुआ है।

वर्ष के दौरान प्रतिवेदन के अन्तर्गत बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यावसायिक क्रिया कलापों तथा नाबार्ड से पुर्नवित्त के अन्तर्गत ऋण वितरण वसूली इत्यादि की आवधिक समीक्षा से सम्बन्धित नियमित विषयों पर विचार विमर्ष के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर भी चर्चा की :-

- 1) एलटीसीसीएस के पुनरुद्धार हेतु वित्तीय पैकेज;
- 2) अमृत काल के दौरान एलटीसीसीएस द्वारा व्यावसायिक वृद्धि तथा फेडरेशन द्वारा एमएससीएस अधिनियम 2002 की धारा 24 के अनुपालन पर आईआरएमए अध्ययन;
- 3) एआरडी बैंकों के कम्प्यूटीकरण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना- राज्यवार कार्यान्वयन की स्थिति;
- 4) पीसीएआरडी बैंकों को फेडरेशन का सदस्य के रूप में स्वीकार करना;
- 5) एमएससीएस अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा विकास निधि (सीआरआरडीएफ) - दिशा निर्देश तैयार करने हेतु सुझाव;
- 6) एमएससीएस अधिनियम 2002 और उसके अन्तर्गत नियमों के अधीन सहकारी लोकपाल संस्था के निर्माण के सम्बन्ध में अधिसूचना;
- 7) एएमआई की उपयोजना-आईएसएम के परिचालन दिशानिर्देश परिशिष्ट;

- 8) 2024-25 के दौरान कृषि-क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र कार्यक्रम की निरन्तरता;
- 9) राष्ट्रीय सहकारी फिल्म एवं ललित कला लि. (नेफेक) से शेयर पूंजी में अतिरिक्त योगदान के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना;
- 10) एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन और नवाचार पर आख्या, संशोधित मसौदा, रिपोर्ट में सहकारिता मंत्रालय/नाबार्ड द्वारा सुझाए गये पुनर्गठन विकल्प;
- 11) एससीएआरडी बैंको को एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता;
- 12) सितम्बर 2024 का सहकारी चुनाव प्राधिकरण सूचना नोट;
- 13) अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आईसीए की आम सभा - 2 से 5 जुलाई तक मैनचेस्टर में;
- 14) एकमुश्त समाधान योजना और ब्याज माफी योजनाओं की सूचना;
- 15) सहकारिता मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस (एनसीडी) पर आधारित सहकारी रैंकिंग संरचना;
- 16) दिनांक 05.03.2025 को नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक;
- 17) आईवाईसी 2025 - 'सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं'-पृष्ठभूमि नोट्स;
- 18) वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से जनवरी 2025) के दौरान प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में पूर्णतः कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों के कार्य सम्पादन की समीक्षा;
- 19) केन्द्रीय बजट-2025-26;
- 20) सहकारी क्षेत्र के लिए आवश्यक सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण पूर्ति हेतु अतिरिक्त धनराशि जुटाने हेतु एनसीडीसी में पूंजी निवेश हेतु प्रस्ताव;
- 21) कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना के संशोधित परिचालन दिशा निर्देश;

## वित्त एवं लेखा

वर्ष 2024-25 हेतु परिसम्पत्ति तथा देयता एवं आय व्यय खातों का सारांश नीचे दिया गया है।

### परिसम्पत्ति तथा देयता

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	देयता	इस तिथि को		क्रम संख्या	परिसंपत्ति	इस तिथि को	
		31.3.25	31.3.24			31.3.25	31.3.24
1.	आरक्षित एवं अन्य निधियां	2370.82	2194.49	1.	नकद एवं बैंक अवशेष	0.66	19.39
2.	सुरक्षित ऋण	562.22	538.09	2.	निवेश	2832.62	2509.70
3.	अन्य देयतायें एवं प्रावधान	282.61	149.54	3.	स्थिर सम्पत्तियां	173.74	193.60
4.	आय एवं व्यय खाते से स्थानान्तरित किया गया अधिशेष	20.15	21.30	4.	विविध देनदार एवं प्राप्य	170.41	135.73
				5.	ऋण एवं अग्रिम	3.87	21.37
				6.	विविध जमा एवं प्रिपेड व्यय	4.92	4.60
				7.	आय कर (अग्रिम कर एवं टीडीएस प्राप्य)	49.58	19.03
	<b>योग</b>	<b>3235.80</b>	<b>2903.42</b>		<b>योग</b>	<b>3235.80</b>	<b>2903.42</b>

### आय एवं व्यय

(धनराशि लाख रु. में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	
		2024-25	2023-24
	<b>आय</b>		
1.	सदस्य बैंकों से एएमएस तथा अतिरिक्त योगदान	103.93	80.93
2.	ब्याज, लाभांश एवं एलटी पूंजीगत लाभ (एमएफ)	426.36	224.92
3.	प्राप्त अनुदान (नाबार्ड)	0.00	6.28
4.	अतिरिक्त प्रावधान उलटे गये/पूर्व अवधि की आय/बीडीडीआर के लिए प्रावधान	0.53	8.81
5.	विविध आय	12.15	1.73
	<b>योग (1 से 5)</b>	<b>542.97</b>	<b>322.67</b>
	<b>व्यय</b>		
1.	प्रबन्धन लागत	157.80	157.61
2.	अन्य कार्यालय व्यय	77.44	43.18
3.	बैठक/सेमिनार/संगोष्ठी व्यय/प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.38	12.85
4.	परिसर रख-रखाव व्यय	6.34	6.08
5.	प्रावधान/निधियों में योगदान	78.81	55.93
6.	अन्य विनियोग	198.05	25.72
	<b>योग (1 से 6)</b>	<b>522.82</b>	<b>301.37</b>
	<b>अधिशेष</b>	<b>20.15</b>	<b>21.30</b>

## सदस्य बैंको का संक्षिप्त विवरण

पूर्णतः क्रियाशील एससीएआरडीबी

### गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,

489, आश्रम रोड, नेहरु ब्रिज कार्नर के सामने, अहमदाबाद-380 009

ई-मेल : info@qscardbank.org / वेबसाइट : www.khetibank.org दूरभाष : 079-26585365, 26585370, 26585371

अध्यक्ष : श्री डोलाराइ वी. कोटेचा  
ई-मेल : dollar.kotecha@jcombank.com  
मोबाइल : 9924118900

महा प्रबन्ध : डॉ. वी. एम. चौधरी  
ई-मेल : vmchoudhari@qscardbank.org  
मोबाइल : 9408715114

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
शाखाओं की संख्या	176	176	177
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	293211	292759	291908
वितरित ऋण	27553.15	37336.67	36346.86
अदत्त ऋण	64239.05	83364.50	95371.98
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	624	598	581
ii. पीसीएआरडी बैंक	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	4707.29	5291.28	5262.19
निर्बाध आरक्षित निधियां	27675.39	27676.98	30473.71
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	62.54	52.36	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	61514.45	58167.71	63630.60
- ऋण वसूली	27663.22	28307.25	32806.52
- अवशेष बकाया	33851.23	29860.45	30824.08
- वसूली (%)	44.97	48.66	51.56

एनआर-सूचना अप्राप्त।

### हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

बेस नम्बर 31-34 सहकारिता भवन, सेक्टर 2, पंचकुला - 134 109

ई-मेल : dev.incharge@gmail.com / वेबसाइट : hscardb.com दूरभाष : 0172-2587040

अध्यक्ष : श्री अमर पाल राणा  
ई-मेल : dev.incharge@gmail.com  
मोबाइल : 8930182000

प्रबन्ध निदेशक : श्री नरेश गोयल  
ई-मेल : pa2md.hscardb@gmail.com  
दूरभाष : 9466520383

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	70	70	70
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	730556	730197	725591
वितरित ऋण	9592.25	6367.15	7081.00
अदत्त ऋण	172710.64	175834.75	177972.99
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	52	48	48
ii. पीसीएआरडी बैंक	474	458	424
कुल प्रदत्त पूंजी	4281.02	4281.02	4281.02
निर्बाध आरक्षित निधियां	51155.63	51166.15	51174.77
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	4.79	एनआर	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	214037.00	209612.52	217665.20
- ऋण वसूली	31482.00	10705.44	4141.95
- अवशेष बकाया	182555.00	198907.08	213523.25
- वसूली (%)	14.66	5.11	1.90

एनआर-सूचना अप्राप्त।

## हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

ब्लाक नम्बर ३डी, एसडीए काम्पेक्स कसुम्पटी शिमला - १७१ ००९

ई-मेल: hpardbank@gmail.com / वेबसाइट: www.hpardb.in

दूरभाष : ०१७७-२६२११३७, २६२१४३७, २६२३८३७

अध्यक्ष : श्री संजय सिंह चौहान  
ई-मेल : s.sanjaysingh2002@gmail.com  
मोबाइल : ९४१८४०००३३

प्रबन्ध निदेशक : डा हरीश गज्जू (एचएएस)  
ई-मेल : mdhpscldb@gmail.com  
मोबाइल : ९४१८००००८८

### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	२०२२-२३	२०२३-२४	२०२४-२५
पीसीएआरडी बैंकों को शाखाओं की संख्या	३०	३०	३०
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	४३९२५	४६५२६	४७४८०
वितरित ऋण	१०५६१.६०	११०१२.३१	१०५६३.२३
अदत्त ऋण	३५६५३.२८	४२४२५.१३	४०००१.४५
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	१७९	१७२	१६७
ii. पीसीएआरडी बैंक	५७	५४	४८
कुल प्रदत्त पूंजी	२७६९.०१	२८७२.०१	२७७५.२३
निर्बाध आरक्षित निधियां	१७९२.७५	१७८१.७५	१७८१.७५
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	२६१.५९	२५४.०५	२१४.२१
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	२१०८३.२६	२१६५३.९६	२३०२७.८६
- ऋण वसूली	७०५०.०५	६२०९.५४	७६६८.१३
- अवशेष बकाया	१४०३३.२१	१५४४४.४२	१५३५९.७३
- वसूली (%)	३३.४४	२८.६८	३३.३०

## जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

१२, पोस्ट ऑफिस लेन, हैदरपुरा, श्रीनगर - १९० ०१४

ई-मेल: scardbjk@rediffmail.com / वेबसाइट: www.jkscardb.org

दूरभाष: ९११९४२४३१९६५, (प्रधान कार्यालय जम्मू) ९११९४२४३१८९२ (प्रधान कार्यालय श्रीनगर)

प्रबन्ध निदेशक: श्री मोहम्मद असलम भट्ट

ई-मेल: ceo@jkscardb.com

मोबाइल: ९४१९००३१६१

### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	२०२२-२३	२०२३-२४	२०२४-२५
शाखाओं की संख्या	५१	५१	५१
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	९९५४२	९९८०८	९९९५६
वितरित ऋण	६४९.३०	१६२३.०१	८१६.३९
अदत्त ऋण	४८०१.२६	५००२.०४	५०८७.२१
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	२०१	१९४	१९४
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	२९१६.९८	२९१९.५३	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	२३७.६३	२३७.६३	एनआर
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	-१७७.८२	-२०४.४७	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	३६७७.६६	३३५५.७५	३३७२.३४
- ऋण वसूली	१२५४.५५	११२०.५९	७४४.२८
- अवशेष बकाया	२४२३.११	२२३५.१६	२६२८.०६
- वसूली (%)	३२.६१	३०.००	२०.७४

एनआर-सूचना अप्राप्त।

### कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

टीपू सुलतान पैलेस रोड, चमराजपेट, बेंगलूरु - 560 018

ई-मेल: md.kscardbank@gmail.com / वेबसाइट: www.kscardbank.in	दूरभाष : 080-26702024
अध्यक्ष : श्री के. सदाक्षरी ई-मेल : president.sldb@yahoo.com मोबाइल : 9844014111	प्रबन्ध निदेशक : श्री बी. सी. सतीश ई-मेल : md.kscardbank@gmail.com मोबाइल : 9845008559

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	181	183	184
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	1263722	1261696	1261696
वितरित ऋण	31005.57	35192.01	55404.65
अदत्त ऋण	199133.59	199498.90	244248.92
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	243	234	226
ii. पीसीएआरडी बैंक	445	419	406
कुल प्रदत्त पूंजी	8866.15	8939.91	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	9190.78	9433.79	एनआर
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	8.91	10.37	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	82470.74	93962.03	65189.08
- ऋण वसूली	48281.83	75294.06	41737.30
- अवशेष बकाया	34188.91	18667.97	23451.78
- वसूली (%)	58.54	80.13	64.02

एनआर-सूचना अप्राप्त।

### केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

पोस्ट बॉक्स नम्बर 56 स्टेच्यू जंक्शन थिरुअनन्तपुरम - 695 001

ई-मेल: ho.cardbank@gmail.com / वेबसाइट: www.keralalandbank.in	दूरभाष: 0471-2460595
संयोजक प्रशासनिक समिति: श्री हरि शंकर ई-मेल: presidentpa.kscardb@gmail.com मोबाइल: एनआर	प्रबन्ध निदेशक: श्री टी.वी. सुभाष ई-मेल: md.kscardb@gmail.com मोबाइल: एनआर

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	77	77	77
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	1934754	1976439	एनआर
वितरित ऋण	280836.26	282625.80	319483.89
अदत्त ऋण	783678.24	782475.16	801840.25
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	174	213	264
ii. पीसीएआरडी बैंक	1234	1168	एनआर
कुल प्रदत्त पूंजी	23161.05	23592.58	24054.81
निर्बाध आरक्षित निधियां	65972.81	85437.96	85778.86
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	2.48	2.57	2.39
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	411426.71	405114.53	459588.67
- ऋण वसूली	261752.79	253747.99	291732.15
- अवशेष बकाया	149673.92	151366.54	167856.82
- वसूली (%)	63.62	62.64	63.48

एनआर-सूचना अप्राप्त।

### पॉण्डिचेरी सहकारी सेण्ट्रल लैण्ड डेवलपमेण्ट बैंक लि.

नम्बर 24, कोलास नगर, उप्पलम, पुडुचेरी 605 001

ई-मेल: pccldbank@gmail.com

दूरभाष : 0413-2357985 / 2358827

अध्यक्ष : थिरु एस. मुरली

ई-मेल : pccldbank@gmail.com

मोबाइल : 9942533315

प्रबन्ध निदेशक : थिरु के. मारान

ई-मेल : pccldbank@gmail.com

मोबाइल : 9600993153

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
शाखाओं की संख्या	1	1	1
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	20525	20856	20738
वितरित ऋण	3957.39	4495.70	4226.93
अदत्त ऋण	4824.25	5260.07	5444.37
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	28	27	25
ii. पीसीएआरडी बैंक	-	-	-
कुल प्रदत्त पूँजी	561.73	580.03	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	565.14	563.88	एनआर
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	5.21	एनआर	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	4690.24	3970.19	5040.34
- ऋण वसूली	4274.83	3580.98	4658.11
- अवशेष बकाया	414.93	389.20	382.24
- वसूली (%)	91.15	90.20	92.42

एनआर-सूचना अप्राप्त।

### पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.

एससीओ 54, बैंक स्क्वायर, सेक्टर-17-बी, चण्डीगढ़-160 017

ई-मेल: sadbmd@gmail.com

दूरभाष: 0172-2705834, 5011708

अध्यक्ष: श्री पवन कुमार टीनू

ई-मेल: sadbchairman@gmail.com

मोबाइल: सूचना अप्राप्त

प्रबन्ध निदेशक: श्रीमती बरजिन्दर कौर बाजवा, अपर निबन्धक, निबन्धक सहकारी समितियां

ई-मेल: sadbmd@gmail.com

मोबाइल: 9878670005

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	89	89	89
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	834268	832480	832725
वितरित ऋण	507.22	0.00	0.00
अदत्त ऋण	186489.84	161780.04	145935.69
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	112	121	82
ii. पीसीएआरडी बैंक	594	536	550
कुल प्रदत्त पूँजी	7888.15	7888.15	7888.15
निर्बाध आरक्षित निधियां	46240.28	45938.22	45938.22
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	32.96	33.92	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	267090.94	272914.89	278102.44
- ऋण वसूली	38348.95	30745.14	28172.14
- अवशेष बकाया	228741.99	242169.75	249930.30
- वसूली (%)	14.36	11.27	10.13

एनआर-सूचना अप्राप्त।

### राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.

नेहरू सहकार भवन, २२ गोडाउन सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर - ३०२ ००५

ई-मेल: rslldbmd@yahoo.in / वेबसाइट: www.rslldb.nic.in

दूरभाष : ०१४१ २७४०४४०

प्रशासक : श्री संदीप खण्डेलवाल  
ई-मेल : addl2ho.coop@rajasthan.gov.in  
मोबाइल : ९९५०४६६७५५

प्रबन्ध निदेशक : श्री जितेन्द्र प्रसाद  
ई-मेल : rslldbmd@yahoo.in  
मोबाइल : ९८२९१२०७९८

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	२०२२-२३	२०२३-२४	२०२४-२५
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	३६	३६	३६
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	१२३२६८९	१२३५६८९	एनआर
वितरित ऋण	१५४३१.१६	५२८४.८०	१८९६.९७
अदत्त ऋण	१५८९९८.३५	१५४१३९.१५	९१४४५.९२
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	५०	४०	३९
ii. पीसीएआरडी बैंक	२०१	१८८	१८१
कुल प्रदत्त पूंजी	४१३४.५५	४१३४.५५	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	७७९६९.५४	८६८६९.८१	एनआर
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	१४.९२	१३.३५	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	१००५०३.५०	९५५७६.६५	एनआर
- ऋण वसूली	३१४८२.४९	१९६०१.०८	एनआर
- अवशेष बकाया	६९०२१.०१	७५९७५.५७	एनआर
- वसूली (%)	३१.३२	२०.५१	एनआर

एनआर-सूचना अप्राप्त।

### तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

१८१, लुज़ चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नई - ६०० ००४

ई-मेल: slldbchn@yahoo.co.in / tncsardbho@gmail.com

दूरभाष: ०४४-२४९९३८५४

प्रबन्ध निदेशक: श्री एम. मुरुगन, अतिरिक्त निबन्धक

ई-मेल: tncsardbho@gmail.com

मोबाइल: ७३३८८५००१०

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	२०२२-२३	२०२३-२४	२०२४-२५
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	१८०	१८०	१८०
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	१६७२७१३	१४८७५२९	८९७९३०
वितरित ऋण	१०९१४४.४५	१२५०२८.९१	१७४७८५.५०
अदत्त ऋण	९७२६७.३२	११५०८०.९८	१५०७३६.८९
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	११७	१०९	१०१
ii. पीसीएआरडी बैंक	४१५	४५३	४६०
कुल प्रदत्त पूंजी	५२७७.६०	५२३६.७६	५२१६.७६
निर्बाध आरक्षित निधियां	१७२५७.६९	१७५९३.२२	२८८६५.८६
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	३९.१०	४२.४४	एनआर
बुनयादी स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	१३२५८०.८६	१४९६६६.३०	१८३५९६.८१
- ऋण वसूली	१२४७५९.१३	१४२२३५.९३	१७७७५२.३६
- अवशेष बकाया	७८२१.७३	७४३०.३७	५८४४.४५
- वसूली (%)	९४.१०	९५.०४	९६.८२

एनआर-सूचना अप्राप्त।

### त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

द्वितीय तल, ओ/ओ आरसीएस, पैलेस कम्पाउण्ड, अगरतला-799 001

ई-मेल: tcardbltd.2012@gmail.com

दूरभाष : 0381 2323972

मह प्रबन्धक : श्री राधा मोहन देबर्मा  
ई-मेल : tcardbltd.2012@gmail.com  
मोबाइल : 8974704432

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
शाखाओं की संख्या	5	5	5
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	955706	955706	955706
वितरित ऋण	13.50	74.45	0.00
अदत्त ऋण	784.80	793.62	726.32
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	19	19	19
ii. पीसीएआरडी बैंक	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	955.71	957.10	952.28
निर्बाध आरक्षित निधियां	8.87	8.67	8.67
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एनआर	एनआर	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	885.47	784.72	708.64
- ऋण वसूली	114.17	65.55	67.30
- अवशेष बकाया	771.30	719.17	641.34
- वसूली (%)	12.89	8.35	9.50

एनआर-सूचना अप्राप्त।

### उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.

10 माल एवेन्यू, लखनऊ -226 001

ई-मेल: upsgvb@yahoo.in / वेबसाइट: www.upsgvb.in

दूरभाष: 0522-2238844, 2238855

अध्यक्ष: श्री संतराज यादव  
ई-मेल: santarajyadav@gmail.com  
मोबाइल: 9415356478

प्रबन्ध निदेशक: श्री राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ  
ई-मेल: md.upsgvb@gmail.com  
मोबाइल: 9005433333

#### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
शाखाओं की संख्या	323	323	323
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	1421120	1410573	1421925
वितरित ऋण	27066.62	40854.00	39316.31
अदत्त ऋण	257862.28	269309.66	282248.94
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	2560	2520	2459
ii. पीसीएआरडी बैंक	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	27536.51	28187.75	28946.92
निर्बाध आरक्षित निधियां	26142.73	26190.30	26224.92
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	31.82	32.09	30.74
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	188675.93	207415.66	199899.85
- ऋण वसूली	54079.78	61691.68	54054.59
- अवशेष बकाया	134596.15	145723.98	145845.26
- वसूली (%)	28.66	29.74	27.04

## पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

आइसीएमएआरडी बिल्डिंग, छठवां तल 14/2 सीआईटी स्कीम-VII(एम) अल्टाडंगा, कोलकाता-700 067

ई-मेल: wbscardb@gmail.com / वेबसाइट: www.wbscardb.com

दूरभाष : 033-23560028, 23560065

विशेष अधिकारी: डा. मोअइनुल हसन

ई-मेल: moinulhassan@hotmail.com

मोबाइल: 9434100000

प्रबन्ध निदेशक : श्री चिन्मय गुप्ता

ई-मेल : md@wbscardb.com

मोबाइल : 9903654589

### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	24	24	24
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	419014	434146	420688
वितरित ऋण	40352.15	41096.58	46387.43
अदत्त ऋण	150362.50	150652.75	153714.80
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	77	76	78
ii. पीसीएआरडी बैंक	599	590	572
कुल प्रदत्त पूंजी	10078.59	10233.64	10413.90
निर्बाध आरक्षित निधियां	15007.52	16180.79	10808.49
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	3.20	3.11	3.10
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	104759.11	107212.09	114330.23
- ऋण वसूली	42036.87	41408.05	44610.41
- अवशेष बकाया	62722.24	65804.04	69719.82
- वसूली (%)	40.13	38.62	39.02

## राज्य सहकारी बैंक (एससीबी)

### दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि.

31 नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज नई दिल्ली-110002

ई-मेल: bkg.dscb@gmail.com

दूरभाष: 011-41705038

अध्यक्ष: डा. बिजेन्द्र सिंह

ई-मेल: dscbho@gmail.com

मोबाइल: 9810830255

प्रबन्ध निदेशक : श्रीमती अनिता रावत

ई-मेल : md.dscb@gmail.com

मोबाइल : 8588836112

कर्मचारियों की स्थिति:

प्रधान कार्यालय पर : 47 शाखाओं पर : 412

ब्याज दर: निर्गत ऋणों पर: 7% से 17.00%

जमा संग्रहण पर: 3% से 7.05%

### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
अदत्त ऋण	89513.49	97080.21	105948.10
वितरित ऋण	27775.86	26172.05	30321.69
कुल प्रदत्त पूंजी	2016.51	2093.68	2225.45
निर्बाध आरक्षित निधियां	33083.20	39103.33	41561.80
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	53.78	53.75	50.53
अदत्त जमा ग्रहण	134549.02	133542.80	135552.47
अदत्त उधार राशियां	-	-	-
शुद्ध लाभ	2714.39	2279.24	2177.83
संचित हानि यदि कोई है	-	-	-
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	60319.39	64476.33	66644.71
- ऋण वसूली	59373.77	63504.38	65618.85
- अवशेष बकाया	945.62	971.95	1025.86
- वसूली (%)	98.43	98.49	98.46

## मेघालय कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लि.

एम. जी. रोड, शिलॉंग – 793 001

ई-मेल: headoffice@megcab.com / वेबसाइट: www.megcab.com	दूरभाष: 0364 – 2225190, 2224160
अध्यक्ष: श्री वैमा के.किन्डियाह ई-मेल: headoffice@megcab.com मोबाइल: 7702331133	प्रबन्ध निदेशक : श्री ओमॉन्ड ई.जे.नांगब्री ई-मेल : headoffice@megcab.com मोबाइल : 9402306321
कर्मचारियों की स्थिति: प्रधान कार्यालय पर : 131 शाखाओं पर : 329	ब्याज दर: वितरित ऋण पर: 7% से 12.50% जमा संग्रहण पर: 3.50% से 7.50%

### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
अदत्त ऋण	169240.65	187443.01	190940.21
वितरित ऋण	13636.29	15888.96	16936.97
कुल प्रदत्त पूंजी	1005.61	1022.45	1092.78
निर्बाध आरक्षित निधियां	19141.18	20771.02	22508.13
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	18.97	24.58	23.01
अदत्त जमा ग्रहण	351069.90	376429.24	396569.04
अदत्त उधार राशियां	5233.81	6036.08	5606.55
शुद्ध लाभ	1477.46	1669.53	1831.83
संचित हानि यदि कोई हैं	-	-	-
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	13048.34	21449.08	एनआर
- ऋण वसूली	4355.27	12572.45	एनआर
- अवशेष बकाया	8693.07	8876.63	एनआर
- वसूली (%)	33.38	58.62	एनआर

एनआर-सूचना अप्राप्त।

## तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.

4-441, ट्टाप बाज़ार, हैदराबाद – 500 001

ई-मेल: mdoffice@tscab.org / वेबसाइट: www.tscab.org	दूरभाष: 040-24685520/24685541/24685510
अध्यक्ष: श्री मार्नेनी रविन्द्र राव ई-मेल: presidentoffice@tscab.org मोबाइल: 7702331133	प्रबन्ध निदेशक : श्री यादला कृष्ण राव ई-मेल : mdoffice@tscab.org मोबाइल : सूचना अप्राप्त
कर्मचारियों की स्थिति: सूचना अप्राप्त	ब्याज दर: सूचना अप्राप्त

### प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
अदत्त ऋण	1161848.00	1297477.07	एनआर
वितरित ऋण	1080501.46	881453.62	एनआर
कुल प्रदत्त पूंजी	33086.44	37972.18	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	72857.00	90032.71	एनआर
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	10.46	10.14	एनआर
अदत्त जमा ग्रहण	740291.00	798073.68	एनआर
अदत्त उधार राशियां	850878.00	888834.00	एनआर
शुद्ध लाभ	9631.00	6917.89	एनआर
संचित हानि यदि कोई हैं	-	-	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	768566.07	812159.27	एनआर
- ऋण वसूली	759014.79	802139.13	एनआर
- अवशेष बकाया	9551.28	10020.14	एनआर
- वसूली (%)	78.76	98.77	एनआर

एनआर-सूचना अप्राप्त।

अन्य एससीएआरडी बैंक

**बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि.**

भूमि विकास बैंक भवन, बुद्ध मार्ग पटना-800 001

ई-मेल: ldbpat@gmail.com

दूरभाष: 0612-2226221, 2226222

अध्यक्ष : श्रीमती ममता सिंह  
ई-मेल : ldbpat@gmail.com  
मोबाइल : 0612-2223853

प्रबन्ध निदेशक : डा. कौशलेन्द्र सिंह  
ई-मेल : ldbpat@gmail.com  
मोबाइल : 9430265715

**प्रमुख वित्तीय मानदण्ड**

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
शाखाओं की संख्या	151	151	151
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	702362	702362	702362
वितरित ऋण	0.00	0.00	492.85
अदत्त ऋण	3335.80	3178.76	3021.72
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	363	361	358
ii. पीसीएआरडी बैंक	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	2812.33	2808.40	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	43935.04	43935.04	एनआर
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	2.68	2.60	एनआर
प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति			
- मांग	42700.93	42461.04	42619.67
- ऋण वसूली	4687.95	4430.96	3143.85
- अवशेष बकाया	38012.98	38030.08	39475.82
- वसूली (%)	10.97	10.43	7.37

एनआर-सूचना अप्राप्त।

## 2024-25 के दौरान सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों का प्रतिवेदन

2024-25 के दौरान पूर्णतया सक्रिय 13 एससीएआरडी बैंकों की गतिविधियों के आंकड़े इस रिपोर्ट के अनुलग्नकों में दिए गए विवरणों में प्रस्तुत किया गया है।

### 1. ऋण वितरण

31 मार्च 2025 तक पूर्णतया कार्यात्मक 13 एससीएआरडी बैंकों द्वारा कुल वितरित धनराशि गत वर्ष वितरित ऋण ₹5798.54 करोड़ की तुलना में ₹6890.52 करोड़ थी। वर्ष के दौरान एससीएआरडी बैंकों द्वारा कुल वितरित ऋण में 18.83% की वृद्धि अंकित करते हुए ₹1091.98 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान सर्वाधिक योगदान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का रहा।

### 2. अदत्त ऋण

31.03.2025 को एससीएआरडी बैंकों के कुल अदत्त ऋण ₹22430.58 करोड़ थे, जबकि गतवर्ष के दौरान यह ₹21362.28 करोड़ था जो वर्ष में समग्र व्यापार स्तर में 5% की वृद्धि को दर्शाता है। 13 पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों में से 8 बैंकों ने अर्थात् गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, राजस्थान तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने वर्ष के दौरान बकाया ऋणों में वृद्धि पाई गई है।

### 3. उधार राशियां

वर्ष के दौरान 7 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडी बैंकों) की गतवर्ष 2023-24 कुल उधार राशि ₹2961.58 करोड़ के सापेक्ष 2024-25 में ₹3941.67 करोड़ रही। विभिन्न अभिकरणों से जुटाये गये संसाधनों की संरचना से यह ज्ञात होता है कि 73% पुनर्वित्त नाबार्ड से लिया गया था जबकि एनसीडीसी एवं राज्य सरकार, एनएचबी, एससीबी आदि सहित अन्य ने 27% का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 13 पूर्णतः कार्यात्मक राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों में से केवल 6 को ही नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किया गया।

### 4. बकाया उधार राशियां

31.03.2025 तक एससीएआरडी बैंकों की कुल बकाया उधार राशियां 8.31% वृद्धि के साथ 13546.98 करोड़ रुपए रहीं जो की गतवर्ष के 12507.88 करोड़ रुपए थी, जिसमें से लगभग 81% नाबार्ड से प्राप्त हुई।

### 5. जमा संग्रहण बकाया

एससीएआरडी बैंकों का कुल जमा संग्रहण बकाया 31 मार्च 2024 को ₹2234.27 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2025 को ₹2366.71 करोड़ था। कर्नाटक तथा तमिलनाडु एससीएआरडी बैंक जमा संग्रहण में प्रथम दो स्थानों पर हैं, इसके बाद केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं, जबकि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गति पाना शेष है। कुल 12 एससीएआरडी बैंकों में से 8 बैंकों ने वर्ष के दौरान अपने जमा संग्रहण में वृद्धि की है।

### 6. वित्तीय विवरण

वर्ष के दौरान प्रस्तुत पूर्व-लेखा परीक्षित आंकड़ों के अनुसार 9 बैंकों ने वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा अर्जित कुल लाभ गत वर्ष के 297.67 करोड़ रुपए की तुलना में 248.20 करोड़ रुपए रहा, जबकि शेष 4 बैंकों को गतवर्ष के 563.27 करोड़ रुपए की तुलना में कुल ₹164.44 करोड़ का घाटा हुआ। एससीएआरडी बैंक हरियाणा ने वर्ष 2023-24 के ₹518.77 करोड़ के अपने घाटे को वर्ष के दौरान ₹124.18 करोड़ पर नीचे ले आया।

### 7. गैर-निश्पादित आस्तियां (एनपीए)

वर्ष के दौरान एससीएआरडी बैंकों की सकल गैर निश्पादित आस्तियां, लगभग 39% के स्तर पर ही रही। केवल केरल और पाण्डिचेरी ही एनपीए को क्रमशः 13.39% और 2.82% के सहनीय स्तर पर रोक सके। जबकि अन्य सभी एससीएआरडी बैंकों का सकल एनपीए 20% से अधिक था।

## 8. ऋण वसूली की स्थिति

एससीएआरडी बैंकों द्वारा मांग वसूली और बकाया की स्थिति वर्ष के दौरान दोनों स्तरों (शीर्ष और प्राथमिक) में आंशिक गिरावट पाई गई। शीर्ष स्तर पर एससीएआरडी बैंकों की कुल औसत वसूली गत वर्ष के 45.06% की तुलना में 43.38% रही। अंतिम ऋण बकायेदारों के स्तर पर कुल वसूली के दौरान 41.40% से घटकर 40.67% हो गई।

### i. शीर्षस्थ स्तर पर

शीर्षस्थ स्तर पर, वर्ष 2024-25 के दौरान एससीएआरडी बैंकों की कुल मांग गत वर्ष के ₹13451.51 करोड़ की तुलना में ₹13962.08 करोड़ रही, जबकि वर्ष के दौरान संग्रह ₹6060.61 करोड़ से घटकर ₹6056.44 करोड़ रह गया। वर्ष के दौरान एससीएआरडी बैंकों का कुल बकाया राशि ₹7389.76 करोड़ से बढ़कर ₹7905.18 करोड़ हो गई।

### ii. भू-स्तर पर

अन्तिम ऋणी सदस्य स्तर पर, कुल मांग 2023-24 के ₹16293.43 करोड़ के सापेक्ष 2024-25 में 7.33% की वृद्धि के साथ ₹17487.76 करोड़ थी। इसके सापेक्ष ऋण वसूली में 2023-24 के ₹6745.36 करोड़ की तुलना में 2024-25 में 5.43% की वृद्धि अंकित कराते हुए ₹7111.64 करोड़ रही। तथापि, अन्तिम ऋणी सदस्य स्तर पर कुल बकाये में भी 2023-24 के ₹9546.93 करोड़ की तुलना में 2024-25 में 8.68% की वृद्धि के साथ ₹10375.67 करोड़ रही।

## 9. कर्मचारियों की स्थिति

पूर्णतया कार्यशील 13 एससीएआरडी बैंकों में कुल कर्मचारियों की संख्या 2024-25 में 4281 थी, जबकि गतवर्ष के दौरान यह संख्या 4371 थी। इसीप्रकार पीसीएआरडी बैंकों के कुल कर्मचारियों की संख्या भी 2023-24 में 4079 से 57 कम होकर 2024-25 में 4022 रह गई।

## 10. संगठनात्मक संजाल तंत्र (आउटलेट्स)

कुल परिचालन इकाइयों की संख्या 2023-24 के दौरान 1853 से घटकर 2024-25 में 1851 रह गई। जबकि एससीएआरडी बैंकों की शाखाओं की संख्या गतवर्ष के 643 से घटकर 2024-25 में 639 रह गई। इसीप्रकार, पीसीएआरडी बैंकों की संख्या भी गतवर्ष की तुलना में 609 से बढ़कर 610 हो गई, जबकि पीसीएआरडी बैंकों की पर्यवेक्षी इकाइयां और शाखाएं पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 83 और 518 पर स्थिर रहीं।

## 11. सदस्यता

पूर्ण रूप से क्रियाशील 13 एससीएआरडी बैंकों की कुल सदस्यता 2024-25 में 99.30 लाख से बढ़कर 92.98 लाख रही। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋणी सदस्यों की संख्या 9.11 लाख घटकर (31.03.2024 के) 39.54 लाख से (31.03.2025 को) 30.43 लाख रह गई। जिसका कारण तमिलनाडु सीएसएआरडी बैंक की संख्या में 5.90 लाख की कमी हो जाना है, जिससे बैंकों की सदस्य संख्या में 6.36% की गिरावट आई। इसीप्रकार गैर-ऋणी सदस्यों की संख्या भी 2024-25 के दौरान 9.59 लाख घट कर 50.16 लाख रह गई जबकि 2023-24 के दौरान यह 59.76 लाख थी।

उर्पयुक्त विश्लेषण सदस्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत 2024-25 (अनन्तिम) तथा लेखापरीक्षित नहीं किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। जिन बैंकों ने वर्ष 2024-25 की समीक्षा के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई, उनके परिचालन समीक्षा के लिये 2023-24 के आंकड़ों का आधार लिया गया।

## आभार

फेडरेशन, संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा सदस्य बैंकों की गतिविधियों के विस्तार के अपने प्रयासों के साथ भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, एन.सी.डी.सी., एन.सी.यू.आई. तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थानों के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये हैं। प्रबन्धन मण्डल इन सभी अभिकरणों और संस्थानों द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनकी आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसकी सदस्य संस्थाये सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल सहकारिता मंत्रालय को फेडरेशन एवं दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए नई तकनीक अपनाने के माध्यम से आर्थिक पुनरुद्धार के लिए उनके द्वारा निरन्तर दिए जा रहे नीतिगत मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिये आभार प्रदर्शित करता है।

आरम्भ से ही नाबार्ड एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुनर्वित्त सहयोग के साथ प्रगति में सहयोग प्रदान करता रहा है। प्रबन्धन मण्डल नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उसके सतत पुनर्वित्त सहयोग तथा दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा है। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन, कर्मियों विशेष रूप से एससीएआरडी बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति गहन आभार व्यक्त करते हैं, जिसके कारण फेडरेशन प्रतिवेदित वर्ष के दौरान दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना क्षेत्र के विकास के लिए अपनी सेवाएं दे पाने में सक्षम हो सका है।

हम अपने सभी सदस्य बैंकों के अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति उनके सहयोग के लिए

गहन आभार व्यक्त करते हैं, जिसके कारण फेडरेशन को प्रतिवेदित वर्ष के दौरान संरचना क्षेत्र के विकास के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया गया। प्रबन्धन मण्डल, फेडरेशन के सक्षम अधिकारी प्रबन्धन मण्डल फेडरेशन के सक्षम नेतृत्व तथा भारत सरकार एवं अन्य अभिकरणों के साथ दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से सम्बन्धित मामलों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलार कोटेचा के बहुमूल्य योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

हम माननीय उपाध्यक्षों श्री के. रवीन्द्रर राव, डा. मोइनुल हसन, श्री सुरेश कुमार गोयल और डा. ए. आर. शिवराम के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने फेडरेशन तथा दीर्घ कालीन साख संरचना क्षेत्र को अपना प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया।

प्रबन्धन मण्डल श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है जिन्होंने पूर्णनिष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से,

हस्ता /—  
डोलार कोटेचा  
अध्यक्ष



**तालिका २ – उधार राशियां वर्ष के दौरान**

(₹ लाखों में)

क्रम संस्था	एससीएआरडीबी का नाम	2024-25 में बढ़ाई गई					महा योग	
		नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/ एनएचबी/एससीबी आदि)	2024-25 (3+4+5+6)	2023-24	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	हरियाणा	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	3200.00	
3.	हिमांचल प्रदेश	7800.00	0.00	0.00	0.00	7800.00	8800.00	
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	कर्नाटक	54779.78	0.00	2350.00	0.00	57129.78	41605.00	
6.	केरल	155400.00	0.00	0.00	0.00	155400.00	100000.00	
7.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	1229.40	1229.40	1099.79	
8.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	राजस्थान	6000.00	0.00	0.00	8159.36	14159.36	22242.40	
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	18817.00	18817.00	0.00	
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.	उत्तर प्रदेश	31045.77	0.00	0.00	27087.74	58133.51	62718.64	
13.	पश्चिम बंगाल	32815.00	0.00	0.00	47683.36	80498.36	56491.80	
	<b>योग (1 से 13)</b>	<b>287840.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3350.00</b>	<b>102976.86</b>	<b>394167.41</b>	<b>296157.63</b>	

**तालिका ३ – बकाया उधार राशियां**

(रु. लाखों में)

क्रम संख्या	एससीआरडीबी का नाम	31 मार्च 2025 को बकाया उधार राशियां				महा योग	
		नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/एनएसबी/एससीबी आदि)	जैसा 31.03.2025 को (3+4+5+6)	31.03.2024 को स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	2200.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	5650.00
2.	हरियाणा	0.00	3441.00	105685.35	0.00	109126.35	108126.22
3.	हिमांचल प्रदेश	27360.79	610.05	20.12	0.00	27990.96	26424.47
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	कर्नाटक	146393.76	283.38	4625.14	0.00	151302.28	127324.99
6.	केरल	640606.80	31.95	0.00	18404.33	659043.08	595987.33
7.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	478.45	478.45	473.82
8.	पंजाब	35631.16	19.86	0.00	10467.70	46118.72	60090.50
9.	राजस्थान	47404.12	220.28	220.28	42129.24	89973.92	89238.57
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	6389.87	15828.00	22217.87	6412.37
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	82740.41	0.00	27200.00	13533.91	123474.32	104527.83
13.	पश्चिम बंगाल	108124.47	0.00	0.00	14031.74	122156.21	125915.67
	<b>योग (1 से 13)</b>	<b>1090461.51</b>	<b>4885.80</b>	<b>144477.48</b>	<b>114873.37</b>	<b>1354698.16</b>	<b>1250787.77</b>

### तालिका - 4 जमा संग्रहण

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	इस स्थिति की जमा संग्रहण			
		31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
1.	गुजरात	23810.08	23285.78	22454.94	24978.75
2.	हरियाणा	346.25	10.66	10.66	11.31
3.	हिमांचल प्रदेश	12513.05	14447.29	16699.18	18674.10
4.	जम्मू एवं कश्मीर	16465.20	17123.61	18228.89	18968.43
5.	कर्नाटक	48431.17	50590.87	47272.21	46836.93
6.	केरल	30368.17	33880.25	37041.58	39628.92
7.	पाण्डिचेरी	4106.19	4765.40	4801.95	4818.53
8.	पंजाब	24895.05	18046.32	15303.47	10366.38
9.	राजस्थान	177.48	172.46	170.32	0.00
10.	तमिलनाडु	29956.57	33116.69	33822.90	43798.92
11.	उत्तर प्रदेश	3052.00	1407.70	930.20	806.84
12.	पश्चिम बंगाल	25231.45	25498.50	26690.15	27782.18
	<b>योग (1 से 12)</b>	<b>219352.66</b>	<b>222345.53</b>	<b>223426.45</b>	<b>236671.29</b>

### तालिका 5 - लाभ/हानि

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	इस तिथि को लाभ/हानि		इस तिथि को संचित हानि	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	गुजरात	7500.00	6430.21	0.00	0.00
2.	हरियाणा	(12418.41)	(51876.73)	107937.54	95519.13
3.	हिमांचल प्रदेश	1406.89	(428.39)	0.00	1367.64
4.	जम्मू एवं कश्मीर	(1791.74)	(1871.74)	19430.47	17638.73
5.	कर्नाटक *	3140.98	3140.98	0.00	0.00
6.	केरल	3881.04	3505.74	0.00	0.00
7.	पाण्डिचेरी	40.44	110.84	280.56	321.00
8.	पंजाब *	419.79	419.79	0.00	0.00
9.	राजस्थान *	(2150.14)	(2150.14)	0.00	0.00
10.	तमिलनाडु	6578.00	6265.38	0.00	0.00
11.	त्रिपुरा	(83.72)	21.64	1942.39	1858.66
12.	उत्तर प्रदेश	1700.77	9831.08	0.00	0.00
13.	पश्चिम बंगाल	152.05	62.48	824.97	744.54

नोट:- (1) कोष्ठक में दिए आंकड़े हानि दर्शाते हैं।

(2) \*31.03.2024 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

**तालिका 6 – गैर निष्पादित अस्तियां (एनपीए)**

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	31.03.2025 की स्थिति			31.03.2024 की स्थिति		
		कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए	कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए
1.	गुजरात	96501.12	22937.02	23.77	83364.50	24657.92	29.58
2.	हरियाणा	177972.94	160717.41	90.30	172710.64	155684.82	90.14
3.	हिमांचल प्रदेश	40001.45	14697.28	36.74	42423.14	15203.66	35.84
4.	जम्मू एवं कश्मीर	5087.21	2256.15	44.35	5002.04	2312.08	46.22
5.	कर्नाटक *	199498.86	74926.04	37.56	199498.86	74926.04	37.56
6.	केरल	801840.24	107395.08	13.39	782475.16	92531.04	11.83
7.	पाण्डिचेरी	5444.37	153.36	2.82	5260.07	156.36	2.97
8.	पंजाब	145935.69	125000.00	85.65	161780.04	113828.36	70.36
9.	राजस्थान *	154139.15	95049.87	61.66	154139.15	95049.87	61.66
10.	तमिलनाडु *	115080.98	11073.18	9.62	115080.98	11073.18	9.62
11.	त्रिपुरा	726.32	678.50	93.42	793.62	708.64	89.29
12.	उत्तर प्रदेश	253697.96	187190.53	73.78	240821.74	183462.43	76.18
13.	पश्चिम बंगाल	137378.86	33701.28	24.53	138357.79	37126.23	26.83
	<b>योग (1 से 13)</b>	<b>2133305.15</b>	<b>835775.70</b>	<b>39.18</b>	<b>2101707.73</b>	<b>806720.63</b>	<b>38.38</b>

टिप्पणी : \*31.03.2024 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

## तालिका 7 – मांग वसुली अधिशेष स्थिति

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंकों की संख्या	31.03.2025 को शीर्ष स्तर पर				31.03.2024 को वसुली %	31.03.2025 को अंतिम ऋणी सवस्य स्तर पर				31.03.2024 को वसुली (%)
		मांग	वसुली	अधिशेष	वसुली (%)		मांग	वसुली	अधिशेष	वसुली (%)	
1.	गुजरात	60975.19	32277.90	28697.29	52.94	48.61	60975.19	32277.90	28697.29	52.94	48.61
2.	हरियाणा	197335.59	7939.87	189395.72	4.02	5.90	217665.20	9112.75	208552.45	4.19	5.11
3.	हिमांचल प्रदेश	21602.21	6242.48	15359.73	28.90	23.75	23027.86	7668.13	15359.73	33.30	28.68
4.	जम्मू व कश्मीर	3372.34	699.32	2628.06	20.74	30.00	3372.34	699.32	2628.06	20.74	30.00
5.	कर्नाटक	108074.80	16130.67	91944.13	14.93	36.03	65189.08	41737.30	23451.78	64.02	80.13
6.	केरल	327219.23	274067.04	53152.19	83.76	84.90	459588.67	291732.15	167856.52	63.48	62.64
7.	पाण्डिचेरी	5040.34	4658.11	382.23	92.42	90.20	5040.34	4658.11	382.23	92.42	90.20
8.	पंजाब	109336.92	24075.15	85261.77	22.02	22.92	278102.44	28172.14	249930.30	10.13	11.27
9.	राजस्थान	123570.10	7409.56	116160.54	6.00	15.48	137279.70	18621.70	118658.00	13.56	20.51
10.	तमिलनाडु	147671.13	136362.38	11308.75	92.34	90.11	183596.81	177752.36	5844.45	96.82	95.04
11.	त्रिपुरा	708.64	67.30	641.34	9.50	8.35	708.64	67.30	641.34	9.50	8.35
12.	उत्तर प्रदेश	199899.85	54054.59	145845.26	27.04	29.74	199899.85	54054.59	145845.26	27.04	29.74
13.	पश्चिम बंगाल	91401.17	41659.78	49741.39	45.58	40.43	114330.23	44610.41	69719.82	39.02	38.62
	योग (1 से 13)	1396207.51	605644.15	790518.40	43.38	45.06	1748776.35	711164.16	1037567.23	40.67	41.40

## तालिका 8 - कर्मचारियों की स्थिति

(संख्या)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी में कर्मचारियों की स्थिति						वर्ष के दौरान पीसीएआरडीबी में कर्मचारियों की स्थिति					
		2024-25			2023-24			2024-25			2023-24		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	गुजरात	506	75	581	516	82	598	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
2.	हरियाणा	40	6	46	41	7	48	387	37	424	408	50	458
3.	हिमांचल प्रदेश	118	49	167	123	49	172	5	43	48	46	8	54
4.	जम्मू व कश्मीर	161	33	194	161	33	194	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
5.	कर्नाटक	151	75	226	157	77	234	272	134	406	279	140	419
6.	केरल *	93	171	264	90	123	213	एनआर	एनआर	1381	एनआर	एनआर	1381
7.	पाण्डिचेरी	21	4	25	23	4	27	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
8.	पंजाब	60	22	82	87	34	121	494	56	550	487	49	536
9.	राजस्थान	34	5	39	35	5	40	168	13	181	177	11	188
10.	तमिलनाडु	54	47	101	60	49	109	344	116	460	344	109	453
11.	त्रिपुरा	16	3	19	16	3	19	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
12.	उत्तर प्रदेश	2178	281	2459	2235	285	2520	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
13.	पश्चिम बंगाल	64	14	78	62	14	76	499	73	592	517	73	590
	<b>योग (1 से 13)</b>	<b>3496</b>	<b>785</b>	<b>4281</b>	<b>3606</b>	<b>765</b>	<b>4371</b>	<b>2169</b>	<b>472</b>	<b>4022</b>	<b>2258</b>	<b>440</b>	<b>4079</b>

टिप्पणी:- (1) एनए- लागू नहीं।  
(2) एनआर- सूचना अप्राप्त।  
(3) \*31.03.2024 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

**तालिका 9 – संगठनात्मक संजाल**

(संख्या)

क्रम संख्या	एससीआरडीबी का नाम	(एकात्मक / मिश्रित ढांचा) शाखाओं की संख्या		पर्यवेक्षी इकाइयों की संख्या (क्षेत्रीय / मण्डलीय / आंचलिक)		(संघीय/मिश्रित ढांचा) पीसीएआरडीबी की संख्या		(संघीय/मिश्रित ढांचे में) पीसीएआरडीबी शाखाओं की संख्या		कुल संजाल	
		31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024
1.	गुजरात	177	176	0	0	एनए	एनए	एनए	एनए	177	176
2.	हरियाणा	0	0	0	0	19	19	70	70	89	89
3.	हिमांचल प्रदेश	51	51	0	0	1	1	30	30	82	82
4.	जम्मू व कश्मीर	47	51	2	2	एनए	एनए	एनए	एनए	49	53
5.	कर्नाटक	25	25	0	0	184	183	0	0	209	208
6.	केरल *	0	0	14	14	77	77	194	194	285	285
7.	पाण्डिचेरी	1	1	1	1	एनए	एनए	एनए	एनए	2	2
8.	पंजाब	0	0	24	24	89	89	0	0	113	113
9.	राजस्थान	0	0	2	2	36	36	124	124	162	162
10.	तमिलनाडु	0	0	22	22	180	180	0	0	202	202
11.	त्रिपुरा	5	5	0	0	एनए	एनए	एनए	एनए	5	5
12.	उत्तर प्रदेश	323	323	18	18	एनए	एनए	एनए	एनए	341	341
13.	पश्चिम बंगाल	11	11	0	0	24	24	100	100	135	135
	<b>योग (1 से 13)</b>	<b>640</b>	<b>643</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>610</b>	<b>609</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>1851</b>	<b>1853</b>

टिप्पणी : (1) एनए- लागू नहीं।  
(2) \*31.03.2024 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

**तालिका 10 – सदस्यता तथा निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल का विवरण**

(संख्या)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	ऋणी सदस्य		गैरऋणी सदस्य		कुल सदस्यता (ऋणी तथा गैर ऋणी)		क्या एससीएआरडीबी का निर्वाचित बोर्ड है (हां/नहीं)		निर्वाचित बोर्ड वाली पीसीएआरडीबी की संख्या	
		31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024
1.	गुजरात	291908	293285	8330	7841	300238	301126	हाँ	हाँ	एनए	एनए
2.	हरियाणा	70068	72638	655523	657559	725591	730197	हाँ	हाँ	14	14
3.	हिमांचल प्रदेश	14146	13398	104166	100805	118312	114203	हाँ	हाँ	1	1
4.	जम्मू व कश्मीर	78090	78016	21866	21792	99956	99808	नहीं	नहीं	एनए	एनए
5.	कर्नाटक *	680575	680575	581121	581121	1261696	1261696	हाँ	हाँ	182	181
6.	केरल	1241112	1314910	693642	661529	1934754	1976439	हाँ	हाँ	77	76
7.	पाण्डिचेरी	3196	3181	17660	17557	20856	20738	नहीं	नहीं	एनए	एनए
8.	पंजाब	51796	56835	780929	775645	832725	832480	हाँ	हाँ	82	87
9.	राजस्थान	NR	725526	NR	510163	1238201	1235689	नहीं	नहीं	21	21
10.	तमिलनाडु	93167	168211	804763	1319318	897930	1487529	नहीं	नहीं	0	0
11.	त्रिपुरा	1232	1523	24269	24269	25501	25792	नहीं	नहीं	एनए	एनए
12.	उत्तर प्रदेश	353916	378541	1068009	1032032	1421925	1410573	हाँ	हाँ	एनए	एनए
13.	पश्चिम बंगाल	163972	167443	255956	265960	419928	433403	नहीं	नहीं	12	7
	<b>योग (1 से 13)</b>	<b>3043178</b>	<b>3954082</b>	<b>5016234</b>	<b>5975591</b>	<b>9297613</b>	<b>9929673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>389</b>	<b>387</b>

नोट-  
(1) एनए-लागू नहीं।  
(2) एनआर-सूचना अप्राप्त।  
(3) \* 31.03.2024 की स्थिति समीक्ष के लिए विचारणीय है।

## LIST OF MEMBERS (31.03.2025)

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd., (Bihar- Jharkhand), Patna.
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

## सदस्यों की सूची (31.03.2025)

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहटी।
2. बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार – झारखण्ड), पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
5. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला।
6. जम्मू व कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बेंगलोर।
8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
9. उड़ीशा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।
10. पाण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि., पाण्डिचेरी।
11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि., चण्डीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
13. तमिलनाडू सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नई।
14. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि., शिलांग।
19. तेलंगाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि., हैदराबाद।



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL  
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक  
महासंघ मर्यादित**

७०३ए, बीएसईएल टेक पार्क, ७वी मंजिल, ए - विंग,  
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३  
टेलीफोन (कार्यालय): (०२२) ४०००४९६९/४०००४९७०  
फैक्स : (०२२) २७८१ ४२२३  
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com /  
ncardbf.org@gmail.com  
वेबसाईट : www.nafcard.org

703A, BSEL Tech Park, 7th Floor, A Wing,  
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400 703  
Telephone (Office) : (022) 40004969 / 40004970  
Fax : (022) 2781 4223  
E-mail : nafcard.org@gmail.com /  
ncardbf.org@gmail.com  
Website : www.nafcard.org